

पहली FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2015-2016

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई July, 2015

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2015-2016.

वर्ष 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 57 अनुदान मांगे तथा 2 विनियोग है। ₹40,821.88 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सिहत प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹25,495.24 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹15,325.62 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सिहत, ₹82 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

(क) दूर संचार विभाग द्वारा किराए के भवन हेतु

करना।

किराया, दरों तथा करों के व्यय को पूरा

INTRODUCTORY NOTE

Subject: First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2015-2016.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-2016 includes 57 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹40,821.88 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹25,495.24 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹15,325.62 crore. Besides, token provision of ₹82 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

7.00

7.00

आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan Total नकद व्यय Cash Outgo नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION 10 नागर विमानन मंत्रालय 10 Ministry of Civil Aviation (क) (i) नागर विमानन महानिदेशालय के परिसरों (a) For providing funds for (i) Minor works में गौण कार्यों संबंधी निधियां प्रदान करना at the Directorate General of Civil (₹0.46 करोड़), (ii) नागर विमानन Aviation (₹0.46 crore), (ii) remuneration महानिदेशालय में तैनात उड़ान संचालन to Flight Operations Inspectors (₹12.83 निरीक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करना (₹12.83 crore) and (iii) payment of Service Tax करोड़), (iii) उड़ान संचालन निरीक्षणों के with respect to Flight Operations संबंध में सेवा कर के भुगतान हेतु (₹6.75करोड़)। Inspectors (₹6.75 crore). 20.04 20.04 (ख) इक्विटी समावेशन के रूप में एअर इंडिया (b) For providing additional funds to Air को अतिरिक्त निधियां। India as equity infusion. 800.00 800.00 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND **INDUSTRY** 13 औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग 13 Department of Industrial Policy and **Promotion** (क) उत्तर-पूर्व औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति For meeting additional expenditure (एनईआईआईपी), के तहत लम्बित दावों का towards honouring the pending claims निपटान करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। under North East Industrial Investment 50.00 50.00 Promotion Policy (NEIIP). (ख) "मेक इन इण्डिया" कार्य योजना के तहत (b) For meeting an additional expenditure भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) towards Indian Leather Development के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। Programme (ILDP) under "Make in India" action Plan. 50.00 50.00 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 15 दूर संचार विभाग 15 Department of Telecommunications

(a) For meeting the expenditure towards

by DoT.

Rent, Rates and Taxes for rented building

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) आईएसएमइएस, जालना, डब्ल्यूएमएस शिलोना, आईडब्ल्यूएमएमएस कोलकाता तथा डब्ल्यूएमएस गोरखपुर के सशस्त्र गार्ड के लंबित बिल पर व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting the expenditure on pending armed guard bills for ISMES Jalna, WMS Shillong, IWMS Kolkata and WMS Gorakhpur.	-	2.00	2.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
(i) खाद्य तेलों के आयात के चलते लंबित दावों के	For meeting expenditure towards (i)			
निपटान हेतु सब्सिडी (₹150.00 करोड़), (ii) ''कच्चे चीनी उत्पादन के विपणन और संवंधन सेवाओं पर सहायता''	subsidy for settlement of pending claims on account of import of edible oils (₹150			
स्कीम के तहत चीनी कारखानों को सहायता उपलब्ध	crore) (ii) incentive to Sugar mills under			
कराना (₹100.00 करोड़), (iii) चीनी कारखाना, 2015	the scheme "Incentive on Marketing and			
को साफ्ट ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम पर ब्याज	Promotion Service of Raw Sugar			
सहायता का भुगतान (₹150.00 करोड़), (iv) राष्ट्रीय	Production" (₹100 crore) (iii) interest			
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न और फेयर	subvention scheme for "Extending soft loan			
प्राइस ऑफ डीलर्स मर्जिन को चलाने, अंतर-राज्य परिचालन	to sugar mills, 2015" (₹150 crore) (iv)			
पर होनेवाले व्यय को पूरा करने हेतु विधानमंडल रहित	Central Assistance to UTs without			
संघ शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹5.00 करोड़)	legislature for meeting expenditure under		100.00	100.00
के व्यय को पूरा करना।	National Food Security Act (₹ 5 crore).	-	400.00	400.00
· \(\cdot				

संस्कृति मंत्रालय

20 संस्कृति मंत्रालय

(क) व्यय को पूरा करनाः (1) एएसआई के चुनिंदा केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए बजट घोषणा का कार्यान्वयन (₹20 करोड़), (2) सामान्य सहायता अनुदान (i) कला एवं संस्कृति की योजना के अन्तर्गत (₹74.00 करोड़), (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भारतीय पुरातत्व सोसाइटी को अनुदान प्रदान करना (₹0.25 करोड़), (3) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानः (i) कला एवं संस्कृति शताब्दी समारोह-अन्य (मिशन, स्कीमों तथा स्वायत्तशासी संगठन की स्कीम के अन्तर्गत जन्मशताब्दी एवं शताब्दियां मनाना (₹5.00 करोड़), (ii) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, उन्नयन एवं विकासात्मक कार्यकलाप आदि (₹11.69 करोड़), (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा विकासात्मक कार्यकलाप (₹4.00 करोड़), (iv) "संग्रहालयों" अन्य (राष्ट्रीय रमारक प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, स्कीम एवं स्वायत्त संगठन)" के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/कार्यकलाप, भवन परियोजनाओं एवं गैलरियों का आधुनिकीकरण (₹10.30 करोड़), (4) "लघु चालू संरक्षण/ परिरक्षण कार्यों आदि को पूरा करने हेतु (₹35.00 करोड़)।

MINISTRY OF CULTURE

20 Ministry of Culture

(a) For meeting expenditure (1) for implementation of Budget Announcements for carrying out conservation, and developmental works of selected centrally protected monuments of ASI (₹20 crore) (2) Grants-in-aid General (i) under the Scheme of Art and Culture (₹ 74 crore), (ii) for providing grant to Indian Archaeological Society of the Archaeological Survey of India (₹ 0.25 crore), (3) Grants for creation of Capital Assets for (i) commemoration of anniversaries & centenaries under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations - Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations (₹5 crore), (ii) implementation of projects, up-gradation and developmental activities etc. (₹11.69 crore), (iii) undertaking developmental activities by Delhi Public Library(₹ 4 crore), (iv) undertaking various programme/activities, building projects and modernization of galleries under the "Museums others (National Monuments Authority, Competent Authority, Schemes and Autonomous Organizations)" (₹10.30 crore) (4) towards completion of ongoing

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए (i) कला और संस्कृति, वर्षगांठ और शताब्दियों के स्मरण हेतु शताब्दी समारोह टैंगोर संस्कृति के निर्माण की स्कीम और गांधी हेरिटेज साईट कमीशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए (₹42.92 करोड़), और (ii) राज्य सरकार को निधियां प्रदान करने के लिए "संग्रहालय" (₹7 करोड़)।	conservation/preservation works etc. under "Minor Works" (₹35 crore). (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under (i) the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations for commemoration of anniversaries & Centenaries, construction of Tagore Culture Complex and for implementation of project of Gandhi Heritage site Mission (₹42.92 crore) and (ii) "Museum" for providing funds to State Govt (₹7 crore).	25.00 5.00	<u>-</u>	25.00
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (₹1500.00 करोड़), (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम-समान्य (₹749.00 करोड़), (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के ईएपी घटक (₹185.00 करोड़), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम डीडीपी (₹251.00 करोड़), (v) स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को सहायतार्थ प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना के लिए सामान्य अनुदान सहायता का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹250.00 करोड़)।	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation For meeting additional expenditure towards (i) Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹1500 crore) (ii) National Rural Drinking Water Programme (Programme Component) (₹749 crore) (iii) EAP component of National Rural Drinking Water Programme (₹185 crore), (iv) National Rural Drinking Water Programme - DDP (₹251 crore) and (v) Grants-in-aid General to Swachh Bharat Abhiyan/Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹250 crore) - World Bank Project.	2,685.00	- 2	2,685.00
विदेश मामले मंत्रालय (i) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां (₹175 करोड़) और किराया और वार्षिक अनुदान व्यय के लिए (₹36.00 करोड़), (ii) उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरो से संबंधित हुण्डियों के निपटारे के लिए व्यय (₹95.54करोड़), (iii) भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित व्यय (₹10 करोड़), (iv) एयर इंडिया के रख-रखाव की लागत का व्यय (₹188.91 करोड़)।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 33 Ministry of External Affairs For meeting (i) additional funds to South Asian University for construction of the campus (₹175 crore) and expenditure towards rent and annual contribution (₹36 crore), (ii) expenditure towards settlement of bills relating to Vice President's abroad visits (₹95.54 crore), (iii) expenditure relating to 10th World Hindi Conference at Bhopal (₹10 crore) and (iv) payment to Air India towards maintenance cost (₹188.91 crore).	-	10.00	10.00
वित्त मंत्रालय 35 वित्तीय सेवा विभाग (क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋणों को गांरटी उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट गारंटी निधि की स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करना। (ख) (i) सरकारी क्षेत्र बैंक के पूर्ण पूंजीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹120,10 करोड़), (ii) मुद्रा बैंक के स्थापना हेतु इक्विटी	MINISTRY OF FINANCE 35 Department of Financial Services (a) For meeting expenditure towards establishment of Credit Guarantee Fund for providing guarantees to Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) (b) For meeting expenditure (i) on recapitalization of Public Sector Banks (₹12010 crore) (ii) towards equity	500.00	-	500.00

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंशदान (₹100.00 करोड़) के संबंध में व्यय हेतु। (ग) जम्मू व कश्मीर में सरकारी हिस्से के रूप में लाइसेंस रहित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पुनरूद्धार हेतु नाबार्ड को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।	contribution for establishment of the MUDRA Bank (₹ 100 crore). (c) For providing interest free loan to NABARD for revival of unlicensed District Central Cooperative Banks in Jammu & Kashmir as Government's share.	12,110.00	- 12 111.20	,110.00 111.20
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
 मंत्रिमण्डल प्रधानमंत्री के एअरक्राफ्ट के अनुरक्षण हेतु एअर इंडिया के लंबित दावों की स्वीकृति हेतु। पृलिस भैसर्स रोसोबार्न एक्सपोर्ट, रुस से 6 एमआई 17 वी-5 हेलीकाप्टरों की प्राप्ति हेतु (₹452.82 करोड़)। 	 54 Cabinet For clearing pending claims of Air India towards maintenance of Prime Minister's Aircrafts. 55 Police For Procurement of six MI 17 V-5 Helicopters from M/s Rosobornexport, Russia (₹452.82 crore). 	-	100.00	100.00
पंचायती राज मंत्रालय 71 पंचायती राज मंत्रालय (क) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) हेतु व्यय को पूरा करना। (ख) एनईआर एंड सिक्किम के लाभ हेतु अतिरिक्त प्रावधान।	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 71 Ministry of Panchayati Raj (a) For meeting expenditure towards Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA). (b) Additional provision for the benefit of NER and Sikkim.	270.00 30.00	-	270.00 30.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
(क) (i) "भारतीय सामिरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड" (आईएसपीआरएल) को भुगतान स्कीम के तहत विशाखापटनम में भंडारण केवर्न के संबंध में उसके वार्षिक कार्य और रख-रखाव की लागत को पूरा करने हेतु (₹47.00 करोड़),(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी" के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (१₹660 करोड़)। (ख) भारतीय सामिरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड को निधियां प्रदान करने हेतु।	 75 Ministry of Petroleum and Natural Gas (a) For (i) meeting annual operations and maintenance in respect of storage cavern at Visakhapatnam under the scheme "Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited" (ISPRL) (₹47 crore) and (ii) providing the funds "Other Subsidy payable including NE Region" (₹660 crore). (b) For providing funds for Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL). 	1,153.00	47.00	47.00 1153.00
विद्युत मंत्रालय		1,133.00	-]	1133.00
77 विद्युत मंत्रालय विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियां उपलब्ध कराना।	 MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For providing Funds to Power System Development Fund (PSDF). 	1,000.00	- 1	,000.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84 ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एनईआर एवं सिक्किम के विकास के लिए ₹100 करोड़ सहित) के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	MINISTRY RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development For meeting additional expenditure of ₹1,000 crore towards providing grants for creation of capital assets under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (including ₹100 crore to development of NER and Sikkim).	1,000.00	- 1	,000.000

		ोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97 पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
पर्यटक अवसंरचना स्कीम के तहत केंद्रीय एजेन्सियों	For providing additional expenditure			
को (1) पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायता	towards (1) Grants for Creation of Capital			
अनुदान प्रदान करने हेतु (₹25.00 करोड़), (ii)	Assets (i) to Central Agencies under the			
कुतुब शाही परियोजना के लिए पर्यटक अवसंरचना	scheme Tourist Infrastructure (₹ 25 crore)			
विकास के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन	(ii) under Tourism Infrastructure			
हेतु (₹10.00 करोड़),और (2) तीर्थ स्थलों की खूबसूरती (पीआईएएसएडी) के लिए राष्ट्रीय मिशन	Development for Qutub Shahi Project (₹ 10 crore) and (2) Grants-in-aid General for			
के तहत वाराणसी को सामान्य सहायता अनुदान	Varanasi Project under National Mission for			
पुर तिला पाराजारा। पुरासाच्या राहावसा अनुपास (₹10.00 करोड़)।	Beautifying Pilgrimage Centres (PRASAD)			
((10.00 4.49))	(₹ 10 crore).	20.00	-	20.00
शहरी विकास मंभालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104 शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
पास-थ्रू सहायता उपलब्ध कराना (i) चेन्नई मेट्रो	For providing Pass Through Assistance (i) to			
रेल लि. (₹750.00 करोड़), (ii) बैंगलोर मेट्रो	Chennai Metro Rail Limited (₹ 750 crore)			
रेल निगम (₹250 करोड़)।	(ii) to Bangalore Metro Rail Corporation	4 000 00		000 00
	(₹ 250 crore).	1,000.00	- 1	.000.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child			
	Development			
(क) (i) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर	(a) For meeting expenditure under the			
राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु	Scheme (i) One Stop Centre (₹ 0.75			
(₹0.75 करोड़), (ii) किशोरावस्था बालिकाओं	crore) for construction of one stop			
के संशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम	centres in the North Eastern States (ii)			
(सबला) (₹18 करोड़) और (iii) एकीकृत	Rajiv Gandhi Scheme for empowerment			
बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹382.00	of Adolescent girls (SABLA) (₹ 18 crore)			
करोड़)।	& (iii) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 382 crore)	400.00		400.00
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i)	(b) For meeting expenditure for (i)	400.00	-	400.00
एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	Integrated Child Development Service			
(₹3218.00 करोड़), (ii) राज्यों में वन स्पाट	(ICDS) (₹ 3218 crore), (ii) construction			
सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹5.59 करोड़), (iii)	of one stop centres in the States (₹ 5.59			
किशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण की	crore), (iii) Rajiv Gandhi Scheme for			
राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेतु	empowerment of Adolescent girls (SABLA)			
(₹382.00 करोड़)।	(₹ 382 crore)	3,600.00	- 3	8600.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	24,718.04	777.20 25	,495.24

पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदान/ विनियोग से ₹15,325.62 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की समान बचत से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नानुसार हैं:

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें कृषि मंत्रालय

- कृषि एवं सहकारिता विभाग
 - (क) (i) 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम (एमआईडीएच)-केन्द्रीय बागवानी संस्थान

This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹15,325.62 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Technical Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE

- Department of Agriculture and Cooperation
 - (a) For (i) re-appropriation of funds from lump sum provision for North Eastern

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(केन्द्रीय क्षेत्र) के अंतर्गत कार्यकारी शीर्ष मोटर यान (₹0.15 करोड़), मशीनरी एवं उपकरण (₹0.10 करोड़), तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹3.75 करोड़), कार्यालय शीर्षों के तहत नए उपशीर्ष वस्तुशीर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों का पुनिर्विनियोजन। (ii) कृषोन्नति योजना- राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मशीनरी व उपस्कर (₹3.00 करोड़), की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	Region towards Motor Vehicles (₹ 0. crore), Machinery and Equipme (₹ 0.10 crore) and Major Works (₹ 3. crore) under the scheme 'Mission Integrated Development Horticulture – Central Institute Horticulture (Central Sector) and (meeting additional requirement und Machinery & Equipment (₹ 3 crore) mobile soil testing laboratory und National Project on management of Soil Health and Fertility und Krishonnati Yojna under State Plan	ent 75 for of of iii) der for der ent	_	1.75
(ख) कृषोन्नत योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत मशीनरी एवं उपस्कर की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement in Machinery and Equipment und Integrated Scheme on Agricultumarketing under Krishonnati Yoj	for ler ire na		
उ पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्रियकी विभाग रीजनल केडर स्टेशनों (₹0.13 करोड़), सेन्ट्रल पोल्ट्री डवलेपमेंट ओरगेनाईजेशन (₹0.25 करोड़), सेन्ट्रल शीप बिडिंग फार्म (₹0.13 करोड़), एनिमल क्वैरन्टिन सर्टिफिकेशन स्टेशनों (₹3.90 करोड़), और नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ (₹0.04	Central Sector. 3 Department of Animal Husbanda Dairying and Fisheries For meeting the additional requirement relational Fodder Stations (₹0.13 cror Central Poultry Development Organizati (₹0.25 crore), Central Sheep Breeding Fa	for e), on rm	-	1.00
करोड़), की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय	(₹0.13 crore), Animal Quarantine Certificati Stations (₹ 3.90 crore) and National Institu of Animal Health (₹ 0.04 crore). MINISTRY OF CHEMICALS AN	4.45	-	4.45
	FERTILISERS			
7 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (i) सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी को शैक्षिक गतिविधियों में और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षमता को बढ़ावा देने हेतु (₹15 करोड़), अतिरिक्त राशि प्रदान करना। (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत कैमिकल प्रमोशन एंड डेवलेपमेंट स्कीम (सीपीडीएस) को (₹2 करोड़), और इंस्टीटयूट आफ पेस्टीसाइडस फारमूलेशन एंड टेवनोलोजी (आईपीएफटी) को (₹0.75 करोड़) की	Petrochemicals For providing (i) additional funds to Cent Institute of Plastic engineering a Technology (₹15 crore) for enhancing t capabilities in academic activities and sk development training programme and (Grant-in-aid General (₹2 crore) und Chemicals Promotion and Development Scheme and Institute of Pesticides for	ral nd he iill iii) ler		
राशि प्रदान करना। 8 उर्वरक विभाग प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के तहत भुगतान करने	formulation and technology (₹ 0.75 cross **Department of Fertilisers** For making payment under Management		-	17.00
के लिए। 9 भेषज विभाग हिन्दुस्तान एंटीबाइओटिक लिमिटिड को अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु, भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम को ऋण के तौर पर दुबारा निकालना।	Information Technology. 9 Department of Pharmaceuticals For recoupment of an advance sanction from the Contingency Fund of India as lo to Hindustan Antibiotics Limited for t payment of salaries of its employees.	an	11.50	2.80 11.50
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 15 दूरसंचार विभाग मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक संचार लि. के पक्ष	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AN INFORMATION TECHNOLOGY 15 Department of Telecommunications	ND		

			<u>(क</u> ा	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
में माध्यमस्थम पंचाट निर्णय/उच्चतम न्यायलय कारण भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृ अग्रिम को दुबारा निकालना।		Contingency Fund of India in respect of M/s Himachal Futuristic Communications Ltd. due to arbitration award/Supreme Court orders.	-	93.64	93.64
उपभोक्ता, खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय	M	INISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	18	Department of Food and Public Distribution			
चीनी विकास निधि को अंतरण		Transfer to Sugar Development Fund.	-	250.00	250.00
रक्षा मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा मंत्रालय	21	Ministry of Defence			
तट रक्षक बल के लिए समुद्री जहाज, एयरक्राप	ਦ	For meeting expenditure towards			
और फ्लीट की प्राप्ति हेतु व्यय को पूरा करना।		acquisition of ships, Aircrafts and Fleets for			
		Coast Guard Organisation.	-	300.00	300.00
23 रक्षा सेवाएं-थल सेना		Defence Services - Army			
न्यायालय आदेशों के चलते भुगतान को पूरा कर	ने	For meeting payment arising out of Court			
हेतु।		Orders.	-	30.00	30.00
28 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		Capital Outlay on Defence Services			
न्यायालय आदेशों के चलते भुगतान को पूरा कर	न	For meeting payment arising out of Court		0.11	0.11
हेतु।		Orders.	-	0.11	0.11
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	M	INISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		Ministry of Development of North Eastern Region			
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के तहत व्य को पूरा करने हेतु।	य	For meeting expenditure under North East Road Sector Development Scheme.	75.00	-	75.00
वित्त मंत्रालय	М	NISTRY OF FINANCE			
34 आर्थिक कार्य विभाग		Department of Economic Affairs			
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के कार		For meeting expenditure on account of			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		Contributions to International Development			
a		Association.	_	13.33	13.33
40 व्यय विभाग	40	Department of Expenditure			
सरकारी वित्तीय प्रबंध प्रणाली के व्यय को पृ		For meeting expenditure of Public Financial			
करने हेतु।		Management System.	37.00	-	37.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48	Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्न व्यय को पूरा करने हेतु (1) सामान		(a) For meeting expenditure towards (1)			
सहायता अनुदान हेतु (i) नर्सिंग सेवार		Grants-in-aid General for (i)			
का अपग्रेडेशन/सुदृढ़ीकरण (एनएएम्		upgradation/strengthening of Nursing			
जीएनएम) (₹ 1.00 करोड़) (ii) राष्ट्री		Services (NAM/GNM)(₹ 1 crore) (ii)			
राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रान		developing Trauma Care Facilities in			
केयर सुविधाओं का विकास (₹ 7.61 करोड़),	Govt. Hospitals on National Highways			
(iii) जले घावों का उपचार व प्रबंध (₹2.8		(₹7.61 crore), (iii) prevention &			
करोड़), वरिष्ठों की स्वास्थ्य देखभाल हे	~	management of Burn injury (₹2.86			
राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़), (७		crore), (iv) National Programme for			
राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 82.2		Health Care of the Elderly (₹ 0.50			
करोड़) और (2) पूंजी आस्तियों के सृज		crore), (v) National VBD Control			
हेतु अनुदान (i) देश में अविकसित क्षेत्रों	Н	Programme (₹ 82.29 crore) and (2)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण

Grant No. & title and description of items

आयोजना आयोज Plan No

आयोजना-भिन्न Non Plan जोड़ Total

नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (₹ 250.00 करोड़), (ii) राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (पीजी सीटों) का सुद्दीकरण और अपग्रेडेशन (₹ 10.00 करोड़), (iii) फार्मेसी स्कूल/कालेजों का सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन (₹1.50 करोड़), (iv) नर्सिंग सेवाओं (एनएएम)/ जीएनएम) का अपग्रेडेशन/सुदृढ़ीकरण हेत् (₹ 4.00 करोड़), (v) कैंसर, मधुमेह, ह्रदय वाहिनी रोग और लकवा का उपचार व नियंत्रण हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन (₹ 30.00 करोड़), (vi) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान की स्थापना (₹ 3.00 करोड़), (vii) एनआरएचएम को जोड़ने वाला अग्र कार्यक्रम (₹ 50.00 करोड़), (viii) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं का विकास (₹ 52.68 करोड़), (ix) जले घाव के उपचार और प्रबंध हेत् क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता (₹ 15.60 करोड़), (x) बहरेपन का उपचार और नियंत्रण हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना (₹ 0.25 करोड़), (3) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65.00 करोड़)।

(ख) निम्न व्यय को पूरा करने हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा हेतु (₹ 583.00 करोड़), (ii) नर्सिंग सेवाओं (एनएएम/जीएनएम) का अपग्रेडेशन/सुदृढ़ीकरण (₹ 5.00 करोड़), (iii) गायना-वर्म प्रोग्राम (₹ 0.10 करोड़) (iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता कार्यक्रम हेत् (₹ 47.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 23.00 करोड़) (vi) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं के विकास हेतू क्षमता निर्माण हेतू दी जाने वाली सहायता (₹ 59.12 करोड़) (vii) जले घावों का उपचार और प्रबंध हेत् क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता हेतु (₹ 5.00 करोड़) (viii) वरिष्ठों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 10.00 करोड़) (ix) राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.41 करोड़) (ईएसी) (2) पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (i) देश में अविकसित

Grants for Creation of Capital Assets for (i) establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 250 crore), (ii) strengthening and upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats) (₹ 10 crore), (iii) Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.50 crore), (iv) For strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/ GNM) (₹4 crore), (v) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular diseases & Stroke (₹ 30 crore), (vi) setting up of State level institutions of Allied Health Sciences in Government Medical Colleges (₹ 3 crore), (vii) Forward Linkages to NRHM (₹ 50 crore), (viii) developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹ 52.68 crore), (ix) assistance to Capacity Building for prevention management of Burn injury (₹ 15.60 crore), (x) setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.25 crore), (3) Grantsin-Aid General for social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 65 crore).

(b) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-Aid General for (i) towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 583 crore), (ii) Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 5 crore) (iii) Guinea-Worm Programme (₹ 0.10 crore) (iv) For National Blindness Programme (₹ 47 crore) (v) National Mental Health Programme (₹ 23 crore) (vi) assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 59.12 crore) (vii) For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 5 crore) (viii) For National Programme for Health Care of Elderly(₹ 10 crore) (ix) National VBD control programme (₹ 10.41 crore) (EAC) (2) Grants for 65.00

65.00

जोड

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

आयोजना-भिन्न

आयोजना

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण **Total** Grant No. & title and description of items Plan Non Plan क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की Creation of Capital Assets (i) स्थापना (₹ 1210.00 करोड़) (ii) पी जी establishment of new Medical Colleges सीटों के वृद्धि/सृजन हेत् राज्य सरकारी in underserved areas in the country चिकित्सा महाविद्यालयों का अपग्रेडेशन (₹1210 crore) (ii) upgradation of State (₹100.00 करोड़) (iii) नर्सिंग सेवाओं Govt. Medical Colleges for increase/ (एनएएम/जीएनएम) का स्दृढ़ीकरण/ creation of PG Seats (₹ 100 crore) (iii) अपग्रेडेशन (₹ 40.00 करोड़) (iv) राज्य/ Strengthening/upgradation of Nursing केंद्रीय सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का Services (ANM/GNM) (₹ 40 crore) (iv) स्दृढ़ीकरण/अपग्रेडेशन (₹ 385.00 करोड़) strengthening and upgradation of (v) कैंसर, मध्मेह, ह्रदय वाहिनी रोग और State/Central Government Medical लकवा के उपचार व नियंत्रण हेत् राष्ट्रीय Colleges (₹385 crore) (v) implementation कार्यक्रम का क्रियान्वयन (₹ 238.00 करोड़) of National programme for Prevention (vi) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-(₹40.00 करोड़) (vii) राष्ट्रीय राजमार्ग पर vascular diseases & Stroke (₹238 crore). सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर स्विधाओं (vi) National Mental Health Programme का विकास करने हेत् क्षमता निर्माण को दी (₹40 crore) (vii) assistance to Capacity जाने वाली सहायता (₹ 59.86 करोड़) (viii) Building for developing Trauma Care जले घावों का उपचार और प्रबंध हेत् क्षमता Facilities in Government Hospitals on निर्माण को दी जाने वाली सहायता (₹ 49.67 National Highways (₹ 59.86 crore) (viii) करोड़), (ix) वरिष्ठों के स्वास्थ्य संबंधी assistance to Capacity Building for देखभाल हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹15.00 prevention & management of Burn करोड़) (x) बहरेपन का उपचार और नियंत्रण injury (₹ 49.67 crore) (ix) National हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन Programme for Health Care of Elderly(₹ टेम्पोरल लैब की स्थापना हेत् स्वायत्त चिकित्सा 15 crore) (x) Autonomous Medical महाविद्यालय (₹ 1.98 करोड़)। Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 1.98 crore). 583.00 583.00 (ग) निम्न व्यय को पूरा करने हेत् (1) सामान्य (c) For meeting expenditure towards (1) सहायता अनुदान हेतु (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य Grants-in-aid General for (i) social बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों security to unorganized workers under को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा (₹ 2.00 Rashtriya Swasthya Bima Yojana (₹ 2 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम crore) (ii) National Mental Health (₹1.00 करोड़) (2) पूंजी आस्तियों के सृजन Programme (₹ 1 crore) (2) Grants for हेतु अनुदान (i) कैंसर, मधुमेह, ह्रदय वाहिनी Creation of Capital Assets for (i) रोग और लकवा के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेत् implementation of National programme (₹18.00 करोड़) है (ii) राष्ट्रीय मानसिक for Prevention & Control of Cancer, स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹1.00 करोड़) (iii) Diabetes, Cardio-vascular diseases & सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य Stroke (₹ 18 crore) (ii) National Mental स्तरीय संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों की Health Programme (₹ 1 crore) (iii) स्थापना (₹ 3.00 करोड़) (iv) फार्मेसी setting up of State level Institutions of विद्यालय/महाविद्यालय का अपग्रेडेशन/ Allied Health Sciences in Govt. सुदृढ़ीकरण (₹ 3.00 करोड़)। Medical Colleges (₹ 3 crore) (iv) strengthening/upgradation of Pharmacy 2.00 Schools/Colleges (₹ 3 crore). 2.00 56. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 56 Other Expenditure of the Ministry of **Home Affairs** (क) एनडीएमए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित (a) For meeting administrative expenditure किए जाने वाले स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम सहित on "Other Disaster Management "अन्य आपदा प्रबंध परियोजनाओं" पर होने Projects" including School Safety वाले प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु। Programme to be directly implemented 22.91 22.91 by NDMA.

		रोड़ रुपए Rupees in Crore
Grant No. & title and descript		आयोजना-भिन्न जोड़ Non Plan Total
Disaster Management State Governments	Projects" of the to be directly	- 5.00
MINISTRY OF INFORMA BROADCASTING	ATION AND	
	nation And	
For meeting the expenditure of loan in perpetuity and (₹5684.34 crore) into Grant interest on loans (₹4082.88 waiver of accumulated ar segment and spectrum ch	d Capital loan as and waiver of B crore) and (ii) brears of space marges accrued	11,116.76 11,116.76
67 Ministry of Mines For recoupment of Contin India advance sanctioned to of liabilities in respect of Bha	owards payment arat Gold Mines	7.35 7.35
	RENEWABLE	
For meeting the expend Grants-in-aid General under "Grid Interactive and Renewable Power" (i) for (₹250 crore) (ii) for Green E (₹100 crore) (2) "Öff-Grid/	liture towards r the Scheme (1) d distributed or Solar Power energy Corridors (Distributed and	- 500.00
For providing Funds (i) un for utilization of gas bas capacity to be met from PSD (ii) to International Smar	sed generation DF (₹1000 crore) rt Grid Action	- 1,000.00
MINISTRY OF ROAD TRAN		- 1,000.00
HIGHWAYS		
	(b) For meeting expenditue Disaster Management State Governments implemented by NDM MINISTRY OF INFORM BROADCASTING 61 Ministry of Inform Broadcasting For meeting the expenditure of loan in perpetuity and (₹5684.34 crore) into Grant interest on loans (₹4082.88 waiver of accumulated as segment and spectrum chee (₹1349.54 crore) to Prasar India advance sanctioned to of liabilities in respect of Bhee Limited Employees due to MINISTRY OF NEW AND Interest of Information of New and Renewable Power (1) for Grants-in-aid General under "Grid Interactive and Renewable Power" (i) for (₹250 crore) (ii) for Green Ee (₹100 crore) (2) "Öff-Grid/Decentralised Renewable power (₹150 crore). MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For providing Funds (i) unfor utilization of gas base capacity to be met from PSE (ii) to International Sman Network (ISGAN) (₹0.32 cm) MINISTRY OF ROAD TRAIN	(b) For meeting expenditure under "Other Disaster Management Projects" of the State Governments to be directly implemented by NDMA. MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 61 Ministry of Information And Broadcasting For meeting the expenditure (i) conversion of loan in perpetuity and Capital loan (₹5684.34 crore) into Grants and waiver of interest on loans (₹4082.88 crore) and (ii) waiver of accumulated arrears of space segment and spectrum charges accrued (₹1349.54 crore) to Prasar Bharati. MINISTRY OF MINES 67 Ministry of Mines For recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned towards payment of liabilities in respect of Bharat Gold Mines Limited Employees due to Court orders. MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY 69 Ministry of New and Renewable Energy For meeting the expenditure towards Grants-in-aid General under the Scheme (1) "Grid Interactive and distributed Renewable Power" (i) for Solar Power (₹250 crore) (ii) for Green Energy Corridors (₹100 crore) (2) "Öff-Grid/Distributed and Decentralised Renewable power" for Solar Power (₹150 crore). MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For providing Funds (i) under the scheme for utilization of gas based generation capacity to be met from PSDF (₹1000 crore) (ii) to International Smart Grid Action Network (ISGAN) (₹0.32 crore). MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89. पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) अंडमान में लैडिंग सुविधाओं और जेटिज के निर्माण के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	 (a) For meeting expenditure toward construction of landing facilities an jetties in Andaman. 		2.00	2.00
(ख) पोत महानिदेशालय, मुम्बई में ऑनलाइन जांच प्रणाली हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards onlineexamination system at DirectoraGeneral of Shipping, Mumbai.		_	1.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(क) बहुस्तरीय पार्किंग-सह-मंत्रालय के कार्यालय के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹10.00 करोड़)। (ख) अजंता और एल्लोरा के संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना से संबंधित देयों के निपटान	 (a) For meeting expenditure for construction of multi-level parking cum-office of the Ministry (₹10 crort) (b) For meeting expenditure toward settlement of dues relating to Ajan 	ng e). 5.00 ds	-	5.00
हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	Ellora Conservation and Tourism Development Project.	0.62	-	0.62
विधानमंडल रहित संघ शासित क्षेत्र	UNION TERRITORIES WITHOU	T		
	LEGISLATURE			
101. दादरा और नागर हवेली (क) गांव तक पहुंच और सड़कों के अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए ₹17.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु।	 101 Dadra and Nagar Haveli (a) For meeting the additional requirement of ₹ 17.50 crore for maintenance are improvement of rural accessibilities 	nd		
(ख) (i) सर्वोदय आवास योजना के तहत आवास (₹15.00 करोड़) और (ii) स्वच्छ आंगन योजना के तहत शौचालय ब्लाकों के निर्माण हेतु (₹7.50 करोड़) लाभार्थियों को दी जाने	and for maintenance of road. (b) For providing financial assistance beneficiaries for construction of (houses under Suryodaya Awaas Yojar (₹15 crore) and (ii) toilets blocks und	i) na	-	7.00
वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु।	Swachch Aangan Yojna (₹ 7.50)	22.50	-	22.50
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104. शहरी विकास मंत्रालय	104 Department of Urban Development			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) संघ शासित क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक और अन्य व्यय (₹80.00 करोड़) (ii) विरासत शहरों की स्कीम हेतु प्रावधान (₹200.00 करोड़) (iii) 100 स्मार्ट शहरों मे स्कीम के तहत प्रावधान (₹280.00 करोड़) (iv) शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 बस्तियों (एएमआरयूटी) की स्कीम के तहत प्रावधान (₹89.74 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for (administrative and other expenses for implementation of Swachh Bhar Mission (₹80 crore) in UTs (ii) provision for the scheme of Heritage Citic (HRIDAY) (₹200 crore) (iii) provision for the scheme of 100 Smart Cities 280 crore) (iv) provisions for the scheme of Urban Rejuvenation Mission - 500	or at ns es on (₹ ne		
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) "स्वच्छ भारत मिशन" स्कीम के शहरी घटक का क्रियान्वयन (₹860.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम' स्कीम के तहत प्रावधान अभिवर्धन (₹125.12 करोड़)।	Habitations (AMRUT) (₹ 89.74 crore) (b) For meeting expenditure for (implementation of Urban compone of the scheme 'Swachh Bharat Mission (₹860 crore) and (ii) augmentation provision under the scheme 'North Ea Region Urban Development Programm	i) nt n' of est	-	80.00
(ग) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (1)"स्वच्छ भारत मिशन" स्कीम के शहरी घटक	(₹125.12 crore).(c) For meeting expenditure for (implementation of Urban compone		-	860.00

		<i>(क</i> र	रोड़ रुपए Rupees i	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
का क्रियान्वयन (₹60.00 करोड़) (2) निम्नलिखित के स्कीम के लिए प्रावधान को बढ़ाने हेतु (i) 100 स्मार्ट शहरों (सामान्य सहायता अनुदान ₹4.00 करोड़ और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹100.00 करोड़) (ii) शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 बस्तियों (एएमआरयूटी) (सामान्य सहायता अनुदान ₹7.50 करोड़ और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु-₹85.00 करोड़)।	of the scheme 'Swachh Bharat Mission' (₹60 crore) (2) augmenting provision for the scheme of (i) 100 Smart Cities (Grants-in-aid General - ₹4 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹100 crore) (ii) Urban Rejuvenation Mission- 500 Habitations (AMRUT) (Grants-in-aid General - ₹7.50 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹85 crore).	60.00	-	60.00
शहरी विकास मंत्रालय 105. लोक निर्माण निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान हेतु व्यय और वेतन से संबंधित कार्य (₹9.42 करोड़) निर्माण लेखा के क्रियान्वयन हेतु व्यय (₹8.23 करोड़)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 105 Public Works For meeting (i) establishment related expenditure and salary (₹9.42 crore) for CPWD Training Institute and (ii) expenditure for the implementation of Nirman Lekha (₹8.23 crore).	17.65	-	17.65
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (क) नदी इंजिनियरिंग समूह और थर्मल डिसर्पशन हेतु हैंगर के निर्माण हेतु अनुसंघान और विकास कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (a) For meeting expenditure under Research and Development Programme for construction of Hanger for River Engineering Group and Thermal dispersion.	6.25	_	6.25
(ख) भू-जल प्रबंध और विनियमन के तहत रिग्स की अधिप्राप्ति के संबंध में भुगतान करना।	(b) For making payment on account of procurement of rigs under Ground Water Management and Regulation.	54.00	-	54.00

कुल तकनीकी पूरक

4. निम्नलिखित सूचीकृत मदों के संबंध में प्रत्येक ₹1 लाख पूरक अनुदान का प्रस्तावित, दर्शाया गया व्यय; इसको संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग के अंतर्गत बचतों के पुर्नविनियोजन द्वारा जो भी स्थिति हो पूरा किया जाएगा।

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें

कृषि मंत्रालय

1. कृषि और सहकारिता विभाग

(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़) प्रदान करना। (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत परियोजना प्रबंध दल हेतु 4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

3,500.93 11,824.69 15,325.62

Token Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE

Total Technical Supplementary

- 1 Department of Agriculture and Cooperation
 - (a) For providing (i) additional Grants in aid General (₹ 3 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme) under Krishonnati Yojna – State Plan and (ii) administrative expenditure (₹3 crore) including Grants in aid General for

			(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान सहित प्रशासनिक		Project Management Team under			
खर्च (₹3.00 करोड़) प्रदान करना।		Paramparagat Krishi Vikas Yojna under			
		Krishonnati Yojna – State Plan.	6.00	-	6.00
(ख) नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन"	(b)	For providing subsidy to NAFED under			
के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करना।		"Implementation of MIS/PSS"	=	200.00	200.00
(ग) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) कृषोन्नति	(c)	For providing Grants-in-aid General (1)			
योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि		under Sub-Mission on Agriculture			
मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के		Mechanization (Centrally Sponsored			
तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान		Scheme) (₹4.20 crore) under			
(₹4.20 करोड़) प्रदान करना। (2) अनुसूचित		Krishonnati Yojna – State Plan, (2) for			
जातियों के लिए निम्नलिखित के तहत विशेष		Special Component Plan for Scheduled			
घटक योजना (i) एकीकृत बागवानी विकास		Castes under (i) Mission for Integrated			
मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹31.30		Development of Horticulture			
करोड़) (ii) कृषि मशीनीकरण उप-मिशन		(Centrally Sponsored Scheme) (₹ 31.30			
(केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹6.20 करोड़)		crore) (ii) Sub-Mission on Agriculture			
पर उप-मिशन और (iii) कृषोन्नति योजना-		Mechanization (Centrally Sponsored			
राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषि		Scheme) (₹6.20 crore) and (iii)			
विकास योजना (₹3 करोड़), और (3) और		Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 3			
निम्न के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना		crore) under Krishonnati Yojna – State			
हेतु (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन		Plan and (3) for Tribal Area Sub-Plan			
(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹100 करोड़)		under (i) Mission for Integrated			
(ii) कृषि मशीनीकरण (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम)		Development of Horticulture (Centrally			
(₹5.40 करोड़) पर उप-मिशन और (iii)		Sponsored Scheme) (₹100 crore), (ii)			
राज्य आयोजना के तहत कृषोन्नति योजना		Sub-Mission on Agriculture			
के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत		Mechanization (Centrally Sponsored			
कृषि विकास योजना (₹2.10 करोड़)।		Scheme) (₹5.40 crore) and (iii)			
,		Paramparagat Krishi Vikas Yojna			
		(₹2.10 crore) under Krishonnati Yojna			
		under State Plan.	152.20	_	152.20
(घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचैरी में	(d)	Providing Grants in aid General for			
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन	(4)	implementation of Rashtriya Krishi			
के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान		Vikas Yojna in Union Territories of			
करने हेतु		NCT Delhi and Puducherry.	3.00	_	3.00
		The I beam und I uddenoity.	5.00		5.00

2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

बागबानी संस्थान स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर बागबानी अनुसंधान और शिक्षा संस्थान, अमृतसर, पंजाब की स्थापना के लिए निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुसदान (₹1.35 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹5 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2.20 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार को सामान्य सहायता अनुदान (₹6.60 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹15.20 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹30.69 करोड़) (iii) 'मत्स्य संस्थान' स्कीम के तहत अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़)। पशु विज्ञान संस्थान (₹1 करोड़) और फसल विज्ञान संस्थान (₹1 करोड़)। (ख) पशु विज्ञान संस्थान (₹4 करोड़) और फसल विज्ञान संस्थान को पूंजीगत आस्तियों

Department of Agricultural Research and Education

For meeting expenditure towards (i) Grantsin-aid General (₹1.35 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹5 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2.20 crore) to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (ii) Grants-in-aid General (₹6.60 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹15.20 crore) and Grantsin-aid Salaries (₹30.69 crore) to Central Agricultural University, Bihar (iii) Grantsin-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme "Fisheries Institutes" (₹2 crore)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** के सृजनार्थ अनुदान (₹4 करोड़)। (ग) मात्सियकी towards (a) Grants-in-aid General to Animal संस्थान स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों Science Institutes (₹1 crore) and Crop के सृजन हेत् अनुदान। (₹8 करोड़) (iv) 'मत्स्य Science Institutes (₹1 crore) (b) Grants for संस्थान' स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान creation of Capital Assets to Animal परिषद को अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए Science Institutes (₹4 crore) and Crop सामान्य सहायता अनुदान (₹1करोड़)। (v) भारतीय Science Institutes (₹4 crore) (c) Grants for केन्द्रीय अन्संधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार को Creation of Capital Assets under the scheme पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹4 Fisheries Institutes (₹8 crore)(iv) Grants-in-करोड़)। General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Punjab under the scheme "Fisheries Institutes" (₹ 1 crore) (v) Grants for creation of capital assets to Indian Council for Centre Research and Training, Bihar (₹4 crore) 86.04 86.04 पशु पालन, डेरी कार्य तथा मात्रियकी विभाग Department of Animal Husbandry, **Dairying and Fisheries** क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को सामान्य सहायता For meeting expenditure towards Grants-in-aid अनुदान to Regional Disease Diagnostic Laboratories. 1.28 1.28 परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY परमाणु ऊर्जा **Atomic Energy** (क) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत meeting additional expenditure under अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एनएफसी following projects: (i) NFC – Kota Major - कोटा मेजर वकर्स (₹28.54 करोड़), (ii) Works (₹ 28.54 crore), (ii) Melting and मेल्टिंग एण्ड मशीनिंग फेसिलिटी मेजर वकर्स Machining Facility Major Works (₹ 0.16 (₹0.16 करोड़), (ii) जिरकोनियम प्रोडेक्शन crore). (iii) Revamping फेसिलिटी का नवीनीकरण आधुनिकीकरण Modernisation of Zirconium production (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपस्कर facility (RMZPF) Machinery and (₹1.20 करोड़), (iv) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा Equipment (₹1.20 crore), (iv) (एडब्ल्युएमएफ) मशीनरी एवं उपस्कर (₹0.64 Augmentation of waste Management करोड़), (v) जोराक्लोय फेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल facilities (AWMF) Machinery and फेब्रिकेशन फेसिलिटि (एमएजेड4एफ) मशीनरी Equipment ($\stackrel{?}{\sim} 0.64$ crore), और उपस्कर का आधुनिकीकरण और वृद्धि Modernisation and augmentation of करना (₹28.18 करोड़) और वृहत कार्य Zorcaloy Fabrication and Fuel (₹9.53 करोड़), (vi) एनएफसी उत्पादों, Fabrication facility (MAZ4F) Machinery मशीनरी तथा उपस्कर की उच्च रिजोल्यूशन and Equipment (₹28.18 crore) and Major माइक्रोस्कापी हेतु ट्रांसिमशन इलेक्ट्रोन Works (₹9.53 crore), (vi) Procurement of माइक्रोस्कोप का प्रापण (₹9.04 करोड़), (vii), Transmission Electron Microscope for कलपक्कम स्थित वृहत कार्य संबंधी अपशिष्ट high resolution microscopy of NFC प्रबन्धन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली (₹4 products, Machinery and Equipment करोड़), (viii) एकीकृत सूचना प्रणाली (₹9.04 crore), (vii), Support System for (आईआईएस) सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना Waste Management Facility at प्रमुख कार्य सहित अनुप्रयोग (₹0.28 करोड़), Kalpakkam Major Works (₹4 crore), (ix) फास्ट रियक्टक्टर फ्यूल साइकल (viii) Integrated Information System (IIS) फैसिलिटी(एफआरएफसीएफ) मशीनरी एवं application along with IT infrastructure उपस्कर तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹68 करोड़), Major Works (₹ 0.28 crore), (ix) Fast (x) यू-धातु उत्पाद सुविधा मशीनरी तथा Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) उपस्कर की ई-अभियांत्रिकी और प्रक्रिया Machinery and Equipment and Major एकीकरण (₹1.50 करोड़)। Works (₹ 68 crore), (x) Process Integration and e-engineering of U –

metal production facility Machinery and

151.07

151.07

Equipment (₹ 1.50 crore).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** (ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत (b) meeting additional expenditure under अतिरिक्त व्यय करना (i) अनुपुरम टाउनशिप following projects: (i) Infrastructure of वृहत कार्य तथा कलपक्कम स्थित Electrical and Mechanical Systems at इलेक्ट्रिकल और मकेनिकल प्रणालियों की Kalpakkam and Anupuram Township आधारभूत संरचना (₹3 करोड़), (ii) अनुपूरम Major Works (₹3 crore),(ii) Construction टाउनशिप में वृहत कार्य हेतु भवनों का of Houses at Anupuram Township निर्माण (₹27 करोड़) (iii) फ्रन्ट एण्ड फ्यूल Major Works (₹27 crore) (iii) R&D साइकल मशीनरी तथा उपकरण में support in Front End Fuel Cycle आरएण्डडी सहायता (₹0.30 करोड़), (iv) Machinery and Equipment (₹0.30 स्वास्थ्य देखभाल सेवा मशीनरी तथा उपकरण crore), (iv) Augmentation of Healthcare बढ़ोतरी (₹1.72 करोड़) (v) थोरियम Services Machinery and Equipment प्रोद्योगिकी मशीनरी एवं उपकरण (₹3 (₹ 1.72 crore) (v) Thorium Technologies करोड़), (vi) एडीएस ड्राइवर मशीनरी एवं Machinery & Equipment (₹3 crore), उपस्कर के फ्रन्ट एंड हेत् निम्न ऊर्जा उच्च (vi) Development of Low Energy High गहनता प्रोटोन बढोतरी (एलईएचआईपीए) Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) के विकास हेत् (₹2 करोड़), (vii) विशेष for front-end of ADS driver Machinery सामग्री कार्यक्रम मशीनरी एवं उपस्कर हेतु & Equipment (₹2 crore),(vii) R&D on विकसित प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान Advanced Technologies for Special एवं विकास (₹3 करोड़) (viii) इलेक्ट्रोनिक्स Material Programme Machinery & एंड उपकरणीय मशीनरी और उपस्कर हेत् Equipment (₹3 crore) (viii) Advanced उन्नत रीर एंड विकास सुविधाओं (₹4 करोड़) Rear End Development Facilities for (ix) लेजर्स, प्लारमास तथा इलेक्ट्रोन बीम Electronics & Instrumentation Machinery तकनीकी मशीनरी एवं उपस्कर हेत् घटक & Equipment (₹4 crore) (ix) Components एव प्रणाली विकास (₹1 करोड़) वृहत कार्य & Systems Development for Lasers, (₹1.50 करोड़) (x) क्राइओगेनिक टेम्प्रेचर Plasmas and Electron Beam प्रौसेस सिस्टम मशीनरी एव उपस्कर का Technologies Machinery & Equipment विकास (₹1.50 करोड़) (xi) फिजिक्स आफ (₹1 crore) Major Works (₹1.50 crore) मेटेरियल्स मेजर वकर्स (₹0.15 करोड़) (x) Development of Cryogenic (xii) मेम्बरेन टेक्नोलोजी मशीनरी एवं temperature process systems उपस्कर का विकास एवं अनुप्रयोग (₹1.40 Machinery & Equipment (₹ 1.50 crore) करोड़) (xiii) भौतिक विज्ञान मशीनरी एवं (xi) Physics of Materials Major Works उपस्कर में खगोल भौतिकी तथा एैक्सेलेटर (₹ 0.15 crore) (xii) Development & बेस्ड अनुसंधान (₹1.49 करोड़) और (xiv) Application of Membrane Technology डीएई परियोजना के तहत हरियाणा में Machinery & Equipment (₹ 1.40 crore) नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक (xiii) Astrophysics and Accelerator केन्द्र (₹20 करोड़)। based Research in Physical Sciences Machinery & Equipment (₹ 1.49 crore)and (xiv) Global Centre for Nuclear Energy Partnership in Haryana (₹ 20 crore) of DAE Projects. 71.06 71.06 नाभिकीय विद्युत स्कीमें 5 **Nuclear Power Schemes** केमेको कनाडा (₹169.43 करोड़) और मैसर्स For meeting additional expenditure towards काजाटोमप्रोम, कजाकिस्तान (₹700 करोड़) से import of uranium from M/s Cameco, Canada यूरेनियम आयात के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा (₹ 169.43 crore) and M/s Kazatomprom, करना। Kazakistan (₹ 700 crore) 869.43 869.43 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & और होम्योपैथी मंत्रालय NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND **HOMEOPATHY (AYUSH)** आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, 6 Ministry of Ayurveda, Yoga & सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने For meeting additional requirement in (1) के लिए (1) निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता

Grants-in-aid General under the schemes

viz. (i) International Exchange Programme/

अनुदान अर्थात (i) आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** कार्यक्रम/सेमीनार कार्यशाला की आवश्यकता को पूरा Seminar workshop on AYUSH (₹0.50 crore), करने हेतु जीआईए सामान्य (₹0.50 करोड़), (ii) (ii) National AYUSH Mission (NAM) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत बिना (₹1.85 crore), (iii) Central Council of विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जीआईए Homoeopathy for holding National Seminar जनरल (₹1.85 करोड़) (iii) प्राकृतिक विज्ञान पर on Homoeopathy (₹ 0.35 crore), (iv) Central राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी Council for Research in Homoeopathy for परिषद (₹0.35 करोड़), (iv) आईआईईएसटी, कोलकाता Basic Research Lab at IIEST, Kolkata (₹ 2 को लागत स्थित आधारभूत अनुसंधान प्रयोगशाला के crore) and (v) Central Council for Research लिए केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंघान परिषद (₹2 करोड़) in Yoga and Naturopathy towards payment और (v) केंद्रीय योगा और प्राकृतिक विज्ञान परिषद of grants and honorarium(₹1.35 crore) and को अनुदानों और मानदेय के भुगतान के लिए (₹1.35 (2) Grants for Creation of Capital Assets करोड़) और (2) (i) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य under the schemes viz. (i) NAM to be क्षेत्रों को जारी किए जाने के लिए एनएएम (₹1.56 released to the UTs without legislature करोड़), (ii) लखनऊ, कोटटायम और इंफाल में (₹1.56crore), (ii) Central Council for Research चारदीवारियों/भवनों के निर्माण हेत् केंद्रीय होम्योपैथी in Homoeopathy for construction of अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के boundary walls/building at Lucknow, सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़), (iii) झज्जर, हरियाणा Kottayam and Imphal (₹ 4 crore), (iii) और नाग-मंगला में दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के Central Council for Research in Yoga and लिए एनपीसीसी को भुगतान हेतु केंद्रीय एवं प्राकृतिक Naturopathy towards payment to NPCC 2nd चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी phase constructions work at Jhajjar, आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹3 करोड़) और (iv) Haryana and Nagmangla (₹3 crore) and (iv) एसीआरआई, नई दिल्ली के लिए भूमि की खरीद और Central Council for Research in Ayurvedic अन्य अनुमोदित देयताओं के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक Sciences to purchase of land of ACRI, विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों New Delhi and other approved के सुजन हेतू अनुदान (₹20 करोड़)। 34.61 34.61 liabilities (₹20 crore). रसायन और उर्वरक विभाग MINISTRY OF CHEMICALS AND **FERTILISERS** भेषज विभाग **Department of Pharmaceuticals** महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय For providing additional funds for भेषज शिक्षा और शोध संस्थान (एनआईपीईआर) establishment of National Institute of की स्थापना हेतु अतिरिक्त (₹3 करोड़) राशि Pharmaceuticals Education and Research और बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केन्द्र के Maharashtra, Rajasthan सृजन के लिए (₹0.50 करोड़) अतिरिक्त निधि Chhattisgarh (₹3 crore) and for creation of प्रदान करना। Intellectual Property Rights Facilitation Centre (₹0.50 crore). 3.50 3.50 नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION 10. नागर विमानन मंत्रालय 10 Ministry of Civil Aviation हज यात्रियों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए। For providing subsidy for Haj Charters. 500.00 500.00 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND **INDUSTRY** 12. वाणिज्य और उद्योग विभाग 12 Department of Commerce अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक आयोजना के For providing subsidies to Coffee Board तहत कॉफी बोर्ड को सब्सिडी देने हेतू। under Special Component Plan for Schedule 10.00 10.00 Caste. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 15. दुरसंचार विभाग 15 Department of Telecommunications जारी महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास स्कीमों, For meeting expenditure on ongoing वेतन और विविध खर्चों को पूरा करने के लिए। important R&D Schemes, Salaries and miscellaneous expenses. 231.00 231.00

	2013-2010 SOTT LEWIENTART DEMANDS POI		रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खर्च पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खर्च पूरा करने के लिए केन्द्र शासित राज्यों	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution (a) Central Assistance to States for meeting expenditure under National Food Security Act. (b) Central Assistance to Union Territories for meeting expenditure under National	-	4,435.00 4	1,435.00
को केन्द्रीय सहायता।	Food Security Act.	-	60.00	60.00
 संस्कृति मंत्रालय (क) (i) लिलत कला अकादमी के पेंशन, बिजली और पानी बिलों आदि का भुगतान (₹3 करोड़). (ii) दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी के कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभों और पेंशन के भुगतान के लिए (₹5 करोड़)। (ख) पूंजी आस्तियां सजृन करने के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करना (i) कला और संस्कृति व शताब्दी समारोह के तहत एनईआर में जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। (₹1.02 करोड़) और (ii) "संग्रहालय के तहत" एनईआर में जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। (₹0.50 करोड़)। (घ) भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण के तहत विभिन्न चालू मुख्य कार्यों और कोर्ट डिक्री के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। 	 MINISTRY OF CULTURE 20 Ministry of Culture (a) For meeting expenditure towards Grantsin-aid General to (i) Lalit Kala Akademi for pension, electricity & Water bills, etc. (₹3 crore) and (ii) Delhi Public Library for payment of pension and retirement benefits to its employees (₹5 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for (i) completion of ongoing projects in NER under the "Scheme of Art and Culture and Centenary Celebration" (₹1.02 crore) and (ii) completion of ongoing projects under "Museum"(₹0.50crore). (c) For meeting additional requirement towards expenditure under Archaeological Survey of India for various ongoing Major Works and also on account of court decree. 	1.52	8.00	8.00 1.52 30.00
रक्षा मंत्रालय 21. रक्षा मंत्रालय भारतीय तटरक्षक संगठन को पीओएल और गौण कार्यों के अतिरिक्त व्यय पूरा करना। रक्षा सेवाएं- सेना भूमि कल्याण अध्ययन केन्द्र को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए भुगतान करने हेतु। 26 रक्षा आयुध निर्माणियां विजयांता सीनियर सेकण्डरी स्कूलों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE 21 Ministry of Defence For meeting additional expenditure towards POL and minor works to Coast Guard Ogranisation. 23 Defence Services - Army For meeting payment towards additional Grants-in-aid to Centre for Land Welfare Studies (CLAWS). 26 Defence Ordnance Factories For providing additional Grants-in-aid to Vijayanta Senior Secondary School. MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION 29 Ministry of Development of North	-	200.00 0.07 0.14	0.07 0.14
" (क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	Eastern Region (a) For meeting expenditure towards North Eastern Rural Livelihood Project	75.00	-	75.00

		•	रोड़ रुपए Rupees	•
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर राज्य सडक निवेश कार्यक्रम का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards North Eastern States Road Investment Programme.	100.00	-	100.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
जलापूर्ति और स्वच्छता के तहत विज्ञापन और प्रचार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards advertising and publicity under water supply and sanitation.	229.00	-	229.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
 34. आर्थिक कार्य विभाग अडवांसिग एशिया पर उच्चस्तरीय सम्मेलन को आयोजित करने के व्यय को पूरा करने हेतु। 35. वित्तीय सेवाएं विभाग 	 34 Department of Economic Affairs For meeting expenditure towards hosting a High Level Conference on Advancing Asia. 35 Department of Financial Services 	-	1.37	1.37
(क) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण व अंशदान संग्रहण की प्रोत्साहन व विकासात्मक गतिविधियों के खर्च को पूरा करने हेतु।	 (a) For meeting the expenditure on promotional and developmental activities for enrolment and contribution collection under Atal Pension Yojana (APY). 	93.00	-	93.00
(ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा (पीएमबीएसवाई) को सहयोगी प्रचार/ जागरुकता निर्माण हेतु व्य्य को पूरा करना।	(b) For meeting the expenditure for supporting publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana (PMBSY).	-	50.00	50.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता परक आशवासन स्कीम, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोन्नित विषयक कार्यकलापों के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	47 Ministry of Food Processing Industries For meeting additional requirement for Advertising & Publicity under Scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities.	2.00	-	2.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्नलिखित सामान्य अनुदान सहायता की अतिरिक्त जरूरत पूरा करना (i) टेलीमेडिसिन स्कीम में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए (₹43 करोड़) (ii) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, ह्रदय वाहिनी और दौरा रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹4 करोड़)। (iii) तम्बाकू विरोधी अभियान के लिए व्यय को पूरा करना (₹16 करोड़)। (iv) राष्ट्रीय	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid General for (i) implementation of Telemedicine scheme (₹43 crore) (ii)implementation of national programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio- vascular diseases & Stroke (₹4 crore) (iii) Anti-Tobacco campaign (₹16 crore) (iv) developing Trauma Care			
- ,				

National Highways (₹1 crore) (v) prevention & management of Burn

injury (₹0.40 crore) (vi) National

करोड़) (v) बर्न इन्जरी की रोकथाम और प्रबंधन हेतु सहायता (₹ 0.40 करोड़)। (vi)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण

Grant No. & title and description of items

आयोजना आयोजना-भिन्न Plan

Non Plan

जोड **Total**

राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम हेत् (₹1 करोड़) (vii) राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹11 करोड़) (ईएसी) (viii) देश में एनएसओ की अप्रमाणिक व मानक गुणवत्ता रहित की कुछ सीमा तक समस्या की समीक्षा हेतु (₹8.50 करोड़)। 2) निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुदान के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सुजन के लिए भुगतान करना। 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए (₹40 करोड़)। 2. राज्य सरकारों के चिकित्सा (पीजी सीटें) का उन्नयन (₹5 करोड़)। 3. स्कूलों/महाविद्यालयों की मजबूती/उन्नयन (₹5.50 करोड़)। 4. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य स्तर के संबंद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान स्थापित करना (₹14 करोड़)। 5. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियों वैस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹4 करोड़)। 6. राष्ट्रीय बहरापन रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना हेत् स्वायतशासी चिकित्सा कालेज के (₹ 0.70 करोड़)। 7. अत्याधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए इंडियन फार्मीकोपिया आयोग का निर्माण (₹4 करोड़)। (3) सचिवालय के लिए श्रम शक्ति आऊटसोर्स करने और निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत खर्च - (i) टेलीमेडिशन (₹7 करोड़)। (ii) कैंसर मधुमेह, कार्डियों वस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹5.20 करोड़)। (iii) जोनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (₹1 करोड़)। (iv) वायरल हेपेटिटिस कार्यक्रम (₹0.91 करोड़)। (v) एंटी माइक्रोवाईल प्रतिरोध (₹ 1 करोड़)। (vi) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 एनसीडीसी शाखाएं स्थापित करने के लिए (₹1.50 करोड़)। (vii) अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹12 करोड़)। (viii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹10 करोड़)। (ix) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु सहायता (₹10.10 करोड़)। (x) जलने से हुई दुर्घटना के रोकथाम और प्रबंधन की सहायता (₹16.47 करोड़)। (xi) एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना के लिए (₹13 करोड़)। (xii) बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹24.50 करोड़)।

(ख) (i) गर्भनिरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति और सामाजिक विपणन की लागत को पूरा करना

programme for Blindness (₹1 crore) (vii) National VBD control programme (₹11 crore)(EAC) (viii) survey of extant problem of spurious and not standard quality NSO in the country(₹8.50 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets for (i) For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹40 crore). 2. For upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats) (₹ 5 crore). 3. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 5.50 crore). 4. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Government Medical Colleges (₹ 14 crore). 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular diseases & Stroke (₹ 4 crore). 6. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.70 crore). 7. Indian Pharmacopoeia Commission for construction of State of Art Laboratory (₹4 crore) (3) outsourcing of manpower for secretariat support under the following programmes for (i) Telemedicine (₹7 crore). (ii) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 5.20 crore) (iii) Prevention & Control of Zoonotic Diseases(₹ 1 crore) (iv) Viral Hepatitis Programme(₹ 0.91 crore) (v) Anti-Microbial Resistance(₹ 1 crore) (vi) establishing 30 branches of NCDC in States and UTs (₹ 1.50 crore) (vii) Blindness Control Programme (₹ 12 crore) (viii) National Health Programme(₹10 crore) (ix) developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹10.10 crore) (x) prevention & management of Burn injury (₹ 16.47 crore) (xi) Port Health Establishment including APHO (₹13 crore) (xii) National Programme for Health Care of Elderly (₹ 24.50 crore).

(b) For meeting expenditure towards (i) cost of contraceptive for Free Supply 260.78 260.78

			<i>(क</i> र	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹50 करोड़) (ii) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन की मजबूती के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹34.50 करोड़)। (ग) (i) राज्यों में एनसीडीसी की 30 शाखाओं		and Social Marketing (₹ 50 crore) (ii) Grants-in-Aid General in respect of Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 34.50 crore) (c) For meeting expenditure (i) on	84.50	-	84.50
की स्थापना संबंधी पूंजी व्यय को पूरा करना (₹8.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹9.63 करोड़)। (iii) बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हेतु (₹10 करोड़)। (iv) सीआईपी, रांची में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए (₹14 करोड़)। (v) एपीएचओ सहित पोर्ट स्वास्थ्य संगठन संबंधी (₹12 करोड़)। (vi) पैरा मेडिकल संस्थानों आरआईपीएस एनआई पीएस का सुदृढ़ीकरण (₹20 करोड़)।		establishing 30 branches of NCDC in States (₹8.50 crore) (ii) on assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹9.63 crore) (iii) for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹10 crore) (iv) For procurement of MRI machine at CIP Ranchi (₹14 crore) (v) on Port Health Establishment including APHO (₹12 crore. (vi) Strengthening/creation of Para medical Institutions (RIPS/NIPS) (₹20 crore).	74.13	_	74.13
50. एड्स नियंत्रण विभाग	50	Department of AIDS Control	,		,
राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत ईएपी घटक की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु।		For meeting additional EAP component under Grant-in-aid to State Government.	10.00	-	10.00
गृह मंत्रालय		NISTRY OF HOME AFFAIRS			
 रव्ह मंत्रालय (क) जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता सहयोग स्कीम के तहत खरीदे गए अग्निशमन और बचाव उपस्करों के व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान 	53	 Ministry of Home Affairs (a) For meeting expenditure of firefighting and rescue equipment procured under Japanese International Cooperation Assistance Scheme. (b) For providing Grants-in-aid General (₹16 crore) and Grants-in-aid for 	-	0.83	0.83
(₹ 16 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान (₹232.34 करोड़)।		Creation of Capital Assets (₹232.34 crore) for National Cyclone Risk mitigation Project with World Bank Assistance.	248.34	-	248.34
55. पुलिस (क) "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण ऐंजसी द्वारा सर्वोदय विद्यालय में अनुदान सहायता सामान्य के खर्च को पूरा	55	Police (a) For providing Grants-in-aid General under "Swachh Bharat Abhiyan" in Savodaya Kanya Vidyalaya by National			
करना। (ख) असम राइफल्स द्वारा कार्यालय भवन (₹48.62 करोड़) और सीमा आऊट पोस्ट निर्माण को पूरा करना (₹ 9.80 करोड़)।		Investigation Agency. (b) For meeting expenditure of Assam Rifles for Office Buildings (₹ 48.62 crore) and construction of Border Out Posts (₹ 9.80 crore).	58.42	0.10	0.10 58.42
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 1984 के दंगों के मामलों की जांच पुर्नजांच हेतु विशेष जांच दल (एसआईटी) के व्यय को पूरा करने हेतु।	56	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs For meeting expenditure towards Special Investigation Team (SIT) for investigating re-investigating the cases of 1984 riots	30.42	8.22	8.22
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN		0.22	0.22
58. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	58	POVERTY ALLEVIATION Ministry of Housing and Urban Poverty Alloviation			
(क) (i) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के लिए (₹8 करोड़) (ii) क्रेडिट		Alleviation (a) For augmenting Grants-in-aid General (i) to Building Material & Technology			

				ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant l	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के सबंध में सामान्य सहायता अनुदान को (₹499.99 करोड़ बढ़ाया।		Promotion Council (₹8 crore) (ii) in respect of Credit Linked Subsidy Scheme (₹499.99 crore).	507.99	_	507.99
(ख) निम्न के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए (i पेशेवर सेवाओं के तहत प्रावधान में (5 करोर रुपए) और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण मिशन - शहरी गरीब के लिए मूलभूर सेवाएं स्कीम (3.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान । (ii) अन्य प्रशासनिव खर्चों के तहत (0.05 करोड रुपए) का प्रावधान प्रशासनिक सेवाओं (0.90 करोड़ रुपए) औं अंतरराष्ट्रीय विकास सहायक परियोजना विभावकी स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (16.41 करोड़ रुपए)। (iii) शहरी विकास परियोजनाओं की क्षमता निर्माण स्कीम वे तहत अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (0.16 करोड़ रुपए) और पेशेवर सेवाएं (0.67 करोड़ रुपए) और (2) जपानी एनसीफलीटिस/अक्यूर एनसीफलीटिस सिनड्रोम से ग्रस्त झुग्गी झोपडियों में पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत (143 करोड़ रुपए) व्यय को पूरा करना।		For (1) augmenting provisions under (i) Professional Services (₹5 crore) and Grants-in-aid General under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission(₹3 crore) – Basic Services for Urban Poor (ii) Other Administrative Expenses (₹0.05 crore), Professional Services (₹0.90 crore) and Grants-in-aid General under the scheme of Department for International Development supported Project (₹16.41 crore) and (iii) Other Administrative Expenses (₹0.16 crore) and Professional Services (₹0.67 crore) under the scheme of Capacity Building for Urban Development projects and (2) meeting the expenditure under the scheme Drinking Water Supply in slum households endemic with Japanese Encephalitis/Acute Encephalitis Syndrome			
(ग) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहर विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान वे		(₹ 143 crore) For augmenting provisions towards	169.19	-	169.19
लिए प्रावधान वृद्धि करने के लिए। (घ) स्कीमों के तहत राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियं के सृजन हेतु सहायता अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान करने हेतु (i) शहर्र	i (d)	payment for various projects under National Urban Livelihoods Mission. For providing Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to States under the schemes, (i)	5.80	-	5.80
गरीबों और बुनियादी सेवाओं के लिए 80 करोड़ रुपए और (ii) एकीकृत आवास एवं झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजना (58 करोड़ रुपए)	-	₹ 80 crore for Basic Services for Urban Poor and (ii) ₹ 58 crore for Integrated Housing & Slum Development Project.	138.00	-	138.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		TRY OF HUMAN RESOURCE VELOPMENT			
59 स्कुल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		partment of School Education and			

मान

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(क) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना (1) स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता जैसे (i) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के जीआइए (3.05 करोड़), (ii) ब्लाक स्तर पर 6000 माडल स्कूलों की स्थापना (0.69 करोड़) (iii) मदरसों/अल्पसंख्यकों (एसपीक्यूईएम) को शिक्षा प्रदान करने, वकीलों के भुगतान, टीए, डीए इत्यादि (0.50 करोड़)। (iv) एमडीएम (14.40 करोड़) का राष्ट्रीय कार्यक्रम। (2) आरएमएमए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत पुंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन (10.24 करोड़) और (3) नवोदय विद्यालय समिति की स्कीम के तहत जीआईए वेतन (९४.०० करोड़)।

Department of School Education and Literacy

(a) For meeting additional requirement towards (1) Grants-in-aid General under the schemes viz. (i) UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 3.05 crore), (ii) for Setting up of 6,000 Model School at Block Level (₹ 0.69 crore), (iii) for providing Education to Madrassas/Minorities (SPQEM) for making payments to advocates, TA/DA, etc. (₹ 0.50 crore) and (iv) National Programme of MDM (₹ 14.40 crore); (2) Grants for creation of Capital Assets under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 10.24 crore); and (3) GIA Salary under the Scheme for Navodaya Vidyalay Samiti (₹ 94 crore).

122.88 122.88

				(ক	रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शी	र्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नेशनल ट्रं स्कीम के (10.00 क को पूरा क टीचर्स एण	आवश्यकता को पूरा करना (i) स्ट फार बुक प्रमोशन को अनुदान अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता रुरोड़) तथा अतिरिक्त आवश्यकता रुरने के लिए नेशनल मिशन आन ड ट्रैनिंग के स्कीम के अन्तर्गत आस्तियां के सृजन का अनुदान		partment of Higher Education for meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹10 crore) under the Scheme of 'Grants to National Book Trust for Book promotion and Grants for creation of Capital Assets (₹75 crore) under the Scheme of 'National Mission on Teachers and Training for meeting	95.00		25.00
भारतीय इं संस्था की सहायता अ प्रौद्योगिकी अन्तर्गत फूं करोड़), स करोड़), इ एण्ड इंडिंग इंजीनियरि की स्थाप अप्रेंटिसशि तकनीकी (10.00), अनुसंधान आईआईटी	आवश्यकता को पूरा करना (i) जीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थापना की स्कीम के तहत सामान्य नुदान (10.00 करोड़) (ii) भारतीय संस्थान की निम्नांकित स्कीमों के जीगत आस्तियों के सृजन (317.00 ष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (198.00 प्रिडयन इंस्टीट्यूट आफ साइंस प्रम्डयन इंस्टीट्यूट आफ साइंस प्रम्डया (125.00 करोड़), भारतीय म साइंस एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान ना (27.00 करोड़), बोर्ड आफ प्र ट्रेनिंग (1.00 करोड़), राष्ट्रीय शिक्षक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं (20.40 करोड़) पीपीपी माडल में की स्थापना (34.00 करोड़) तथा बंध संस्थान (50.00 करोड़)।	(b)	additional requirement. for meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the Scheme of 'Setting up of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (₹10 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Scheme: Indian Institutes of Technology (₹317 crore), National Institutes of Technology (₹198 crore), Support to Indian Institute Science and Indian Institute of Science and Engineering Research (₹125 crore), Setting up of Indian Institute of Engineering Science and Technology (₹27 crore), Board of Apprenticeship Training (₹1 crore), National Institutes of Technical Teachers Training & Research (₹10 crore), Training & Research in Frontier Areas (₹20.40 crore), Setting up of IIITs in PPP Model (₹34 crore) and Indian Institute of	85.00		85.00
स्कीम के (8.00 कर के लिए प अनुदान; उ (iii) एसप एनआईएप	व्यय को पूरा करना (i) आईआईएम अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान रोड़) तथा (ii) निम्नांकित स्कीमों गूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु आईआईएम (10.00 करोड़) तथा रुलआईईटी, एनईआरआईएसटी, कटी रांची, सीआईटी, कोकराझार य संस्थानों को सहायता (30.00	(c)	Management (IIM) (₹50 crore). for meeting additional expenditure towards (i) GIA Salary under the Scheme of IIM (₹8 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for the following schemes: IIM (₹ 10 crore) and (iii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT, Kokrajhar (₹ 30 crore).	792.40 48.00	-	792.40 48.00
सूचना और प्रसारण	मंत्रालय		STRY OF INFORMATION AND			
61. सूचना और प्रस	ारण मंत्रालय		ROADCASTING inistry of Information and			
(क) विभिन्न क्षेत्रं निर्माण" व अतिरिक्त (ख) के लिए (i कार्यालय प्रमाणन अं	भीय भाषाओं में "फिल्म और वृत्तचित्र ही आयोजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।) सूचना भवन (0.50 करोड़) के स्थान के नवीकरण और (ii) फिल्म रि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों प्रदान करने के लिए (0.10 करोड़)।	Br (a)	For providing additional Grants-in-aid General under the Plan Scheme "production of films and documentaries" in various regional languages. For (i) renovating office of Soochna Bhawan (₹0.50 crore) and (ii) making payment of honorarium to members of films certification and appellate tribunal (₹0.10 crore).	1.40	0.60	1.40

		आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	•
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	आयाजना-ाभन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) फिल्म प्रभाग के लिए उपस्करों की खरीद स्कीम के तहत मशीनरी और उपस्करों के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards Machinery and equipment under the scheme acquisition of equipment for Films Division.	0.20	-	0.20
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64. विधि और न्याय	64 Law and Justice			
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की कार्यप्रणाली	For meeting expenditure towards			
का खर्च पुरा करना।	functioning of National Judicial Appointments Commission.	-	4.20	4.20
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करना (1) पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान (i) एनईआर अगरतला में कार्यालय भवन निर्माण के लिए एनईआर योजना (3.00 करोड़) और (ii) सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (7.55 करोड़) (2) सामान्य सहायता अनुदान सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर आयोजना। ग्राम उद्योग अनुदान के तहत एनईआर योजना हेतु (2.00 करोड़) प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम	Enterprises (a) For meeting expenditure towards (1) Grants for Creation of Capital Assets for NER Plan for construction of Office Building at Agartala (₹ 3 crore) and Grants-in-aid General - NER Plan for support activities (₹7.55 crore) (2) Grants- in-aid General - NER Plan for support activities (₹2 crore) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" (₹2 crore) for NER Plan under			
(पीएमईजीपी) (2.00 करोड़) स्कीम के तहत। (ख) सामान्य सहायता अनुदान के तहत केवीआईसी के प्रशिक्षण विभाग को भुगतान पूरा करना।	"Village Industries Grant". (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for payment to	12.55	-	12.55
	Departmental Training Centre of KVIC.	0.50	-	0.50
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (क) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत "सीखो और कमाओ" में 175000 प्रशिक्षुओं के बढ़े हुए लक्ष्य के लिए अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना।	68 Ministry of Minority Affairs (a) For providing additional Grants-in-aid General towards fulfilling the increased targets of 1,75,000 trainees under the scheme Skill Development initiatives			
(ख) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत एनईआर के अन्तर्गत "सीखो और कमाओ" में 175000 प्रशिक्षुओं के बड़े हुए लक्ष्य के लिए अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना।	"Seekho Aur Kamao". (b) For providing additional Grants-in-aid General towards fulfilling the increased targets of 1,75,000 trainees under the scheme Skill Development initiatives	176.72	-	176.72
	"Seekho Aur Kamao" under NER.	15.50	-	15.50
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली में कार्यालय भवन और भुवनेश्वर में	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY 69 Ministry of New and Renewable Energy For meeting expenditure towards			
संस्थान का निर्माण के व्यय को पूरा करना।	construction of office building in New Delhi and Institute at Bhubaneshwar.	-	3.00	3.00
योजना मंत्रालय 76. योजना मंत्रालय नई योजना स्कीम के तहत खर्च को पूरा करना (i) विश्व स्तरीय नवोन्मेषी केन्द्र नेटवर्क को प्रोत्साहित	MINISTRY OF PLANNING 76 Ministry of Planning For meeting the expenditure under New Plan Scheme (i) Atal Innovation Mission			

		(ক	रोड़ रुपए Rupees in Cror
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न जोड़ Non Plan Tota
करना एवं भारत के सम्मुख विद्यमान चुनौतियां के लिए अटल नवोन्मेष मिशन (1 करोड़) और (ii) सेल्फ एम्पलायमेंट एण्ड टेलेंट यूटिलाइजेशन (एसआईटीयू) (50.00 करोड़)।	to promote a network of World Class Innovation Hubs and Grand Challenges of India (₹ 1 crore) and (ii) Self employment and Talent Utilization (SETU) (₹50 crore).	51.00	- 51.0
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS		
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways		
(क) निम्नलिखित का खर्च पूरा करना । (i) आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए सीधे भुगतान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य के लिए लागू अंतर-राज्य कनेक्टिविटी के लिए (293.00 करोड़)। (ii) प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण आदि (58.20 करोड़)। (ख) प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत कार्यकारी एजेन्सी एनएचएआई को भुगतान।	(a) For meeting expenditure towards (i) implementation of Direct Payment Procedure for roads of economic importance and Inter-State connectivity for NH Works (₹ 293 crore) and (ii) training, research, quality control, etc. (₹ 58.20 crore). (b) For payment to executing agency under Direct Payment Procedure to NHAI.	351.20 4,500.09	- 351.2 - 4,500.0
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT		
84. ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु आपरेशनल डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोटोकाल हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	84 Department of Rural Development For meeting additional expenditure towards Operational Direct Benefit Transfer (DBT) Protocol for wage payment under MGNREGA.	7,000.00	- 7,000.0
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING		
89. नौवहन मंत्रालय विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट को बकाया जेआईसीए ऋण के भुगतान के लिए।	89 Ministry of Shipping Forpayment of balance JICA loan to Vishakhapatnam Port Trust.	7.72	- 7.7
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT		
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	91 Department of Social Justice And		
(क) निम्नलिखित को प्रदान करने के लिए (i) डा. बी.आर. अम्बेडकर की वर्षगांठ के उत्सव के लिए "अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमों" को सहायता अनुदान (124.55 करोड़)। (ii) पिछड़ी जातियों के मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति के व्यय के लिए (1.00 करोड़)। (ख) निम्नलिखित को प्रदान करने के लिए (i) नशाखोरी और मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम की स्कीम के लिए (8.00 करोड़) सहायता अनुदान। (ii) ड्रग्स तक पहुंच, विस्तार, पैर्टन और रुझानों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण को (2.00 करोड़) का सहायता अनुदान, (iii) गरीबों के पुनवास के लिए एकीकृत कार्यक्रम हेतु (3.00 करोड़) का सहायता अनुदान (iv) सामाजिक रक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (5.00 करोड़)। (v) राष्ट्रीय	Empowerment (a) For providing (i) Grants-in-aid (₹124.55 crore) for celebration of anniversary of Dr. B.R. Ambedkar under 'Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes and (ii) expenditure of Post Matric Scholarship for OBCs (₹1 crore). (b) For providing (i) Grants-in-aid (₹8 crore) for scheme of prevention of Alcoholism and Substance (Drugs), (ii) Grants-in-aid (₹2 crore) for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug, (iii) Grants-in-aid (₹3 crore) for Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars, (iv) Grants-in-aid (₹5 crore) for National Institute of Social Defence and (v) Grants-in-aid	125.55	- 125.5
स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के हेल्पलाईन के लिए	(₹2 crore) for Helpline for Senior Citizens	20.00	20.0
(२.०० करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	at National Level.	20.00	- 20.0

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan Total

वस्त्र मंत्रालय

96. वस्त्र मंत्रालय

- (क) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पुरा करना (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (5.37 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (16.96 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीच संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ((3.29 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (1.38 करोड़) (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु (35.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (40.00 करोड़)।
- (ख) निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) यार्न आपूर्ति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (137.00 करोड़) (ii) समूह बीमा स्कीम के तहत (5.30 करोड़) (iii) बिजली चालित करघा क्षेत्र विकास की एकीकृत स्कीम के तहत (12.73 करोड़) (iv) पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम के तहत (5.00 करोड़) (2) पूंजीगत परिसंमपतियों का सृजन (i) ग्रुप वर्कशेड स्कीम के तहत (14.46 करोड) (ii) प्लैन बिजली चालित करधा इन-सी-टू का उन्नयन (25 करोड़) (3) (i) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और आईटी पहल के तहत पुंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेत् (15.58 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में (35.72 करोड़)। (ii) बीज संगठन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (25.31 करोड़) और परिसंपतियों का सुजन (19.80 करोड़) (iii) समन्वयन एवं बाजार विकास (एचआरडी) के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेत् (1.27 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (4.75 करोड़)। (iv) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.70 करोड़) एवं पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेत् (0.17 करोड़) और (v) सेरीकल्चर केंटालीटिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजाति क्षेत्र उप-योजना स्कीम के लिए पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान (14.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (6.00 करोड़)।

MINISTRY OF TEXTILES

96 Ministry of Textiles

- (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹5.37 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 16.96 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative in NER Sector. (ii) Grants-in-aid General (₹ 1.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.29 crore) under Seed Organization in NER Sector. (iii) Grants-in-aid General (₹ 40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under NER Textile Promotion Scheme in NER Sector.
 - (b) For meeting additional requirement towards (1) Grants-in-aid General (i) under Yarn Supply Scheme (₹ 137 crore) (ii) under Group Insurance Scheme (₹5.30 crore) (iii) under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development(₹ 12.73 crore) (iv) under Pashmina Wool Development Programme (₹ 5 crore) (2) Creation of Capital Assets (i) under Group Workshed Scheme (₹ 14.46 crore) (ii) under Scheme For in-situ Up-Gradation of Plain Powerloom)(₹25 crore) (3) (i) Grants-in-aid General (₹ 35.72 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.58 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative. (ii) Grants-in-aid General (₹25.31 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 19.80 crore) under Seed Organization (iii) Grants-in-aid General (₹ 4.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.27 crore) under Coordination and Market Development (HRD). (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.17 crore) under Quality Certification System. (v) Grants-in-aid General (₹ 6 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14 crore) for the Tribal Area Sub Plan of the Scheme under Sericulture Catalytic Development Programme.

102.00 - 102.00

322.79 - 322.79

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) कीमत समर्थन के तहत काटन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा कपास की खरीद (2108.00 करोड़) (ii) कीमत जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया को इसकी सब्सिडी (107.11 करोड़)। (जिसमें भारत की आकस्मिक निधि अग्रिम रिकूपमेंट (55 करोड़) शामिल है। (iii) कपास सलाहकार समिति और कपास संस्थान (1.50 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement for (i) Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support (₹2,108 crore) (ii) Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹107.11 crore) [which includes the recoupment of Contingency Fund of India advance ₹55 crore] (iii) Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹1.50 crore).	-	2,216.61	2,216.61
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पर्यटन सर्किट स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय प्रदान करने के लिए।	97 Ministry of Tourism(a) For providing additional expenditure under the schemes Tourism Circuits for North Eastern Areas.	20.00	-	20.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
99. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	LEGISLATURE) 99 Andaman and Nicobar Islands			
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंघान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For providing additional Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS)	60.64	-	60.64
(ख) सेलुलर जेल के रख-रखाव और वाइपर द्वीप के संरक्षण के लिए सिविल निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कला व संस्कृति के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	(b) For meeting the additional requirement under Art & Culture to complete civil construction work for maintenance of Cellular Jail and Conservation of Viper Island.	3.22		3.22
103 लक्षद्वीप	103 Lakshadweep	3.22	-	3.22
(क) अध्यक्ष और सदस्य, उपभोक्ता शिकायत सुधार मंच (सीजीआरएफ) के पारिश्रमिक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional Grants-in-aid General for the remuneration of the Chairperson and Member, Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF).		0.07	0.07
(ख) पंचायती राज संस्था (पीआरआई) की अपनी निधि की क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for the recoupment of the own fund of Panchayati Raj Institution (PRI).	- -	0.85	0.85
शहरी विकास मंत्रालय 105 लोक निर्माण	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 105 Public Works			
आइजवाल, मिजोरम में ज्ञानेद्रिय भवन के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting the expenditure towards construction of Census building at Aizwal, Mizoram.	-	1.20	1.20
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (क) "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों को दी जाने वाली पूंजी	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets			

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आस्तियों के सृजन हेतु व्यय को पूरा क हेतु। (ख) निम्न उपलब्ध कराने हेतु (i) वेतन और उ प्रशासनिक व्यय के भुगतान हेतु जल संसा	"Accelerated Irrigation Benefit ar Flood Management Programme". ব	29.00 ral	-	29.00
विकास अन्वेषण के अंतर्गत सामान्य सहार अनुदान (₹44 करोड़) (ii) राष्ट्रीय जल विश संस्थान (₹16.35 करोड़)	payment of salaries and oth administrative expenses and (ii) Nation Institute of Hydrology (₹16.35 crore	e). 60.35	-	60.35
(ग) "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्र के तहत ब्लाक अनुदान (₹96.80 करें और जनजातीय उपयोजना घटक (172. करोड़) के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृ के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने हे	for Creation of Capital Assets und Block Grant (₹ 96.80 crore) and Trib Sub Plan Component (₹ 172.20 crore under "Accelerated Irrigation Benefation"	der pal re) fit		260.00
	and Flood Management Programme	269.00	-	269.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHIL DEVELOPMENT	ı D		
108 महिला और बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Chi Development	ld		
(क) एक स्टाफ सेंटर स्कीम के अंतर्गत राज्य क्षेत्रों में एक स्टाफ सेंटर के निम्हेतु (₹0.80 करोड़) (ii) एनआईपीसीर्स में बेहटा (बिहार)एवं मोहाली (पंजाब) में नए क्षेत्रीय केन्द्रों के भवन निर्माण के पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹25.00 करें (iii) वृंदावन में विधवाओं के आश्रय (₹10.00 करोड़)।	onstruction of one stop centres in t states/Union Territories under ti scheme One Stop Centre (₹ 0.80 crore (ii) for Creation of Capital Assets (₹ 1 crore) in NIPCCD, for construction	he he s), 25 of res	_	35.80
(ख) निम्न उपलब्ध कराने हेतु (i) 23 रिक्त पदो को जाने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹4.50 करें और सेवानिवृत्ति बकायों के भुगतान हेतु एनआईपीसी को दी जाने वाली अतिरिक्त सामान्य् सहायता अनु (₹2.50 करोड़) (ii) सेवानिवृत्ति बकायों के भुग हेतु सीएसडब्ट्यूबी के लिए अतिरिक्त सामान्य सहा	aid General (₹2.50 crore) to NIPCCD f ভী payment of retirement dues and Gran in-aid salary (₹4.50 crore) for filling বি 23 vacant posts and (ii) addition	for ts- up nal		
अनुदान (₹4.41 करोड़)। (ग) निम्न व्यय पूरा करने हेतु (i) वन स्ट सेंटर स्कीम के तहत दिल्ली और पुड़ुचेरी वन स्टाफ सेंटर का निर्माण (₹0.40 करें (ii) किशोरावस्था बालिकाओं (सबला) सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (₹14. करोड़)।	में construction of one stop centres in Del इ) and Puducherry under the Scheme o Stop Centre (₹0.40 crore) (ii) Raj	(i) lhi ne jiv of	11.41	11.41
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOURTH AFFAIRS AN		-	17.00
	SPORTS			
109 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) निम्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु	109 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For meeting additional expenditure ((1)		

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) towards Grants-in-aid General under विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों हेत् नेहरू युवा the scheme (i) Nehru Yuva Kendra केन्द्र संगठन (₹25.00 करोड़) (ii) हिमालयन Sangathan for various programme माउन्टेनियरिगं संस्थान विभाग, जवाहर activities (₹25 crore), (ii) National माउन्टेनियरिंग संस्थान प्रवासी भारतीय दिवस Programme for Youth and Adolescent आदि शेयर मुद्रा के भूगतान हेत् और Development for making payment of किशोरावस्था के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम share money of the Department of (₹9.00 करोड़) (iii) विभिन्न कार्यक्रम Himalayan Mountaineering Institution, गतिविधियों हेतू राजीव गांधी खेल अभियान Jawahar Institution of Mountaineering, (₹11.00 करोड़) और (iv)डोप कंट्रोल किटस Pravasi Bhartiya Divas, etc. (₹ 9 crore), की खरीद, एंटी डोपिंग एवेयरनेस चलाने हेत् (iii) Rajiv Gandhi Khel Abhiyan for नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (₹1.90 करोड़) various programme activities(₹11 और (2)(i) कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर मीट crore) and (iv) National Anti Doping का आयोजन करने अंतर राष्ट्रीय सहयोग Agency for purchase of Dope Control स्कीम के तहत ब्रिक्स युवा सम्मेलन और Kits, conducting of Anti-doping अन्य युवा विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने हेत् Awareness etc(₹ 1.90 crore) and (2) (i) रूस जाने वाली भारतीय प्रतिनिधियों का दौरा organizing Commonwealth Youth (₹2.00 करोड़) और ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम Ministers Meet, visit of Indian के अंतर्गत वेतन, चिकित्सा, अभिमुखीकरण Delegations to Russia to participate तथा अनुसंधान केंद्रों को भुगतान हेत् (₹10.50 BRICS Youth Summit and other Youth करोड़)। Exchange Programmes under the Scheme of International Co-operation (₹2 crore) and (ii) make payment of Salary, Medical, Reorientation and Research Centres etc under the National Service Scheme (₹ 10.50 crore). 59.40 59.40 (ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (i) देयताओं (b) For meeting additional expenditure को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 और towards i) contribution/ commitment to 2014-15 हेतू कामनवेत्थ सचिवालय, एशिया the Commonwealth Secretariat, Asia क्षेत्रीय केंद्र को दी जानेवाली अंशदान/बचनबद्धता Regional Centre for the years 2013-14 (₹2.50 करोड़) और राष्टीय सेवा स्कीम के & 2014-15 to meet the liabilities (₹2.50 तहत कार्यक्रम परामर्शी प्रकोष्ठ और क्षेत्रीय crore) and (ii) for making payment of केंद्रों के कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन salary to staff of Programme Advisory का भुगतान हेतु (₹1.08 करोड़)। Cells and Regional Centres under the National Service Scheme (₹1.08 crore). 3.58 3.58 (ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) असम (c) For meeting additional expenditure के पूर्वीत्तर युवा उत्सव को चलाने हेतु राष्ट्रीय towards i) GIA General under the युवा और किशोरावस्था विकास कार्यक्रम के Scheme of National Programme for तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.00 Youth and Adolescent Development for करोड़) और (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम conducting North East Youth Festival के तहत विभिन्न राज्यों में पूंजी आस्तियों का in Assam (₹ 2 crore) and ii) Grants for सृजन हेतु अनुदान (₹15.00 करोड़)। creation of Capital Assets in various States under the Scheme of Urban Sports Infrastructure(₹15 crore). 17.00 17.00 (घ) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्रम गतिविधियों (d) For meeting additional expenditure के संचालन हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत towards GIA General under the National सामान्य सहायता अनुदान हेत् अतिरिक्त व्यय Service Scheme, for conducting को पूरा करने हेत्। 1.50 programme activities in UT Govts. 1.50

		(ক	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
(इ) संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएस राज्य सम्पर्क कार्यालय हेतु देयता को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards GIA General under the National Service Scheme for meeting liability towards NSS State Liaison Office in UTs	-	0.02	0.02	
कुल सांकेतिक	Total Token Supplementary	0.58	0.24	0.82	
 तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय आकस्मिक निधि से चार अग्रिम कुल ₹1,67,49,00,000 संस्तुत किए गए थे। अनुदान की पूरक मांगो को संस्तुत किए जाने के पश्चात्, निधि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। 	0,00,000 Fund of India for meeting immediate requirement. These will be rec हो संस्तुत Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.				
कुल योग	GRAND TOTAL	28,219.55	12,602.13	10,821.68	
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	24,718.04	777.20	25,495.24	
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	3,500.93		15,325.62	
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.58	0.24	0.82	

विषय सूची CONTENTS

						•	करोड़ रुपए 1		
मांग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ट Page
			М			Revenue	Сарпа	1 Otal	1 age
વ્છાષ 1	मंत्रालय कृषि और सहकारिता		1.	NISTRY OF AGRICULTURE Department of Agriculture					
	विभाग	स्वीकृत	1.	and Cooperation	Voted	0.04	2.75	2.79	1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा	रपापट्टरा	2.	Department of Agricultural	voica	0.04	2.13	2.19	1
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2.	Research and Education	Voted	0.01		0.01	3-
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य		3.	Department of Animal Husbandry,	10104	0.01	•••	0.01	5
	तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	٥.	Dairying and Fisheries	Voted	0.01	4.45	4.46	
रमा	णु ऊर्जा विभाग		DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY	7				
	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted		0.02	0.02	6-
5	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5.	Nuclear Power Schemes	Voted	0.01		0.01	
आयुर्वे	र्वद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्र	सा,	MI	NISTRY OF AYURVEDA,					
	यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी			YOGA & NATUROPATHY,					
	विभाग (आयुष)			UNANI, SIDDHA AND					
				HOMOEOPATHY (AYUSH)					
6.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चि		6.	Ministry of Ayurveda, Yoga and					
	यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी वि			Naturopathy, Unani, Siddha and					
	(आयुष)	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01		0.01	
साय	ान और उर्वरक मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS AND					
				FERTILISERS					
' .	रसायन और पैट्रोरसायन	0	7.	Department of Chemicals and					
	विभाग	स्वीकृत		Petrochemicals	Voted	17.00		17.00	1
3.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8.	Department of Fertilisers	Voted	2.80		2.80	1
9.	भेषज विभाग	स्वीकृत	9.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	11.50	11.51	1
नागर	विमानन मंत्रालय		MI	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
10	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	10.	Ministry of Civil Aviation	Voted	20.05	800.00	820.05	1
वाणि	ज्य और उद्योग		MI	NISTRY OF COMMERCE					
	मंत्रालय			AND INDUSTRY					
	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत		Department of Commerce	Voted	0.01	•••	0.01	1
13.	औद्योगिक नीति तथा		13.	Department of Industrial Policy	**	100.00		100.00	
	संवर्धन विभाग	स्वीकृत		and Promotion	Voted	100.00		100.00	1:
नंचा	र और सूचना प्रौद्योगिकी		MI	NISTRY OF COMMUNICATIONS					
	मंत्रालय			AND INFORMATION					
		0		TECHNOLOGY					
5.	दूरसंचार विभाग	भारित	15.	Department of Telecommunications	Charged	93.64		93.64	1
		स्वीकृत	3.41	NICEDY OF CONCUMED A FEATING	Voted	9.01	•••	9.01	
उपभ	क्ता मामले, खाद्य और		MII	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS					
•	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		10	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTE	ION				
8.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग		18.	Department of Food and Public Distribution	Voted	650.02		650.02	17-1
	विभाग	स्वीकृत		Distribution	voicu	030.02	•••	050.02	1/-1
-	ति मंत्रालय			NISTRY OF CULTURE					
20.	संस्कृति मंत्रालय		20.	Ministry of Culture	Voted	30.02	0.01	30.03	19-2

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पूंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page MINISTRY OF DEFENCE रक्षा मंत्रालय 21. रक्षा मंत्रालय स्वीकृत 21. Ministry of Defence Voted 0.01 300.00 300.01 2.1 रक्षा सेवा-थल सेना भारित 23. Defence Services - Army 30.00 30.00 Charged 22 ... स्वीकृत 0.01 Voted 0.01 रक्षा आयुध फैक्ट्रियां 26. 26. Defence Ordnance Factories Voted 0.01 0.01 23 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय भारित Capital Outlay on Defence Services Charged 0.11 0.11 24 ... पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास MINISTRY OF DEVELOPMENT मंत्रालय OF NORTH EASTERN REGION 29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास 29. Ministry of Development of मंत्रालय स्वीकृत Voted 0.02 75.00 75.02 North Eastern Region 2.5 MINISTRY OF DRINKING WATER पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय AND SANITATION 30. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 30. Ministry of Drinking Water स्वीकृत and Sanitation Voted 2685.01 2685.01 26 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 33. विदेश मंत्रालय स्वीकृत 33. Ministry of External Affairs Voted 10.00 10.00 2.7 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 34. आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत 34. Department of Economic Affairs Voted 13.34 13.34 28 वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत 500.02 12221.20 12721.22 Department of Financial Services Voted 29-30 व्यय विभाग स्वीकृत Department of Expenditure Voted 37.00 37.00 31 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING **INDUSTRIES** 47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत 47. Ministry of Food Processing Industries Voted 0.01 0.01 32 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 48. Department of Health and विभाग स्वीकृत Voted 650.02 0.01 650.03 Family Welfare 33-36 50. एडस नियंत्रण विभाग स्वीकृत 0.01 0.01 50. Department of AIDS Control Voted 37 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय स्वीकृत 53. Ministry of Home Affairs Voted 0.02 0.02 38 मंत्रिमंडल 54. स्वीकृत 54. Cabinet Voted 100.00 100.00 39 ... पुलिस स्वीकृत 100.01 100.02 55. 55. Police Voted 0.01 40 गृह मंत्रालय के Other Expenditure of the अन्य व्यय स्वीकृत Ministry of Home Affairs 27.92 27.92 41 Voted आवास और शहरी गरीबी MINISTRY OF HOUSING AND उन्मुलन मंत्रालय URBAN POVERTY ALLEVIATION 58. आवास और शहरी गरीबी 58. Ministry of Housing and Urban उन्मूलन मंत्रालय स्वीकृत Poverty Alleviation Voted 0.04 0.04 42-43 मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT स्कूली शिक्षा और 59. Department of School Education 59. साक्षरता विभाग स्वीकृत Voted 0.01 0.01 44 and Literacy 60. उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 60. Department of Higher Education Voted 0.03 0.03 45-46 ...

(करोड़ रुपए Rupees in crore) पुंजी जोड राजस्व पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total Page** MINISTRY OF INFORMATION सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय AND BROADCASTING 61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत 61. Ministry of Information and Broadcasting Voted 11116.78 0.01 11116.79 47-48 विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 64. विधि और न्याय स्वीकृत 64. Law and Justice Voted 0.01 0.01 49 सूक्ष्म, लघु और मध्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL उद्यम मंत्रालय AND MEDIUM ENTERPRISES 66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम 66. Ministry of Micro, Small and उद्यम मंत्रालय स्वीकृत Medium Enterprises Voted 0.02 0.02 50 खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES 67. खान मंत्रालय भारित 7.35 67. Ministry of Mines Charged 7.35 51 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत 68. Ministry of Minority Affairs Voted 0.02 0.02 52 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY 69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा 69. Ministry of New and Renewable मंत्रालय स्वीकृत Energy Voted 500.00 0.01 500.01 53 पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 71. पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत 71. Ministry of Panchayati Raj 300.00 300.00 Voted 54 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND **NATURAL GAS** 75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक 75. Ministry of Petroleum and गैस मंत्रालय स्वीकृत Natural Gas Voted 47.00 1153.00 1200.00 55 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 76. योजना मंत्रालय स्वीकृत 76. Ministry of Planning Voted 0.01 0.01 56 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 77. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत 77. Ministry of Power Voted 2000.00 2000.00 57 सडक परिवहन और राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालय AND HIGHWAYS 83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 83. Ministry of Road Transport स्वीकृत and Highways Voted 70.01 0.01 70.02 58 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 84. Department of Rural Development Voted 1000.01 1000.01 59 पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING 89. पोत परिवहन मंत्रालय Voted 3.01 3.01 स्वीकृत 89. Ministry of Shipping 60 सामाजिक न्याय और अधिकारिता MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता 91. Department of Social Justice विभाग स्वीकृत and Empowerment Voted 0.02 0.02 61

							(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
				राजस्व	व पूंच	नी जोड़	पृष्ठ				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	e Capita	al Total	Page				
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES									
96. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	0.03		0.03	62-63				
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM									
97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted	20.01	5.62	25.63	64-65				
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE									
99. अंडमान और निकोबार		99. Andaman and Nicobar									
द्वीपसमूह	स्वीकृत	Islands	Voted	0.01	0.01	0.02	66				
101. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	101. Dadra and Nagar Haveli	Voted	29.50		29.50	67				
103. लक्षद्वीप	स्वीकृत	103. Lakshadweep	Voted	0.02	•••	0.02	68				
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMEN	Т								
104. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	104. Department of Urban Development	Voted	1000.00	1000.00	2000.00	69-70				
105. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	105. Public Works	Voted	17.65	0.01	17.66	71				
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION									
107. जल संसाधन, नदी विकास		107. Ministry of Water Resources,									
और गंगा संरक्षण मंत्रालय		River Development and Ganga									
	स्वीकृत	Rejuvenation	Voted	0.03	60.25	60.28	72-73				
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT									
108. महिला और बाल विकास		108. Ministry of Women and									
मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	4000.03		4000.03	74-75				
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS									
109. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	109. Ministry of Youth Affairs And Sports	Voted	0.05		0.05	76-77				
कुल जोड़		GRAND TOTAL		25084.69	15736.99	40821.68					
-	भारित		Charged	130.99	0.11	131.10					
	स्वीकृत		Voted	24953.70	15736.88	40690.58					
अनुबंध		ANNEXURE					78-89				

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	16959.36		44.99		17004.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		2.75		2.79
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		16959.40		47.74		17007.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी व	के अंतर्गत दिख	ाया जाये	π:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for	under the fo	llowing l	Major Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		0.01		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4401 - फसल कार्य पर पूंजी	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop	Voted:	1.75	(ਭ e)			1.75
परिव्यय		Husbandry						
4435 - अन्य कृषि कार्यक्रमों पर	स्वीकृत:	4435 - Capital Outlay on Other	Voted:	1.00	(चf)			1.00
पूंजी परिव्यय	ŭ	Agricultural Programmes						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	2.75				2.75
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2.78		0.01		2.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) प्रदान करना।
 - (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषिविकास योजना के तहत प्रशासनिक खर्च (₹ 3 करोड़) प्रदान करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) एमआईएस/पीएसएस "(मार्किट इंटरवेंशन स्कीम/प्राइस सपोर्ट स्कीम)" कार्यान्वयन के अन्तर्गत नैफेड को सब्सिडी उपलब्ध करना (₹ 200 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) providing additional Grants in aid General (₹ 3 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme) under Krishonnati Yojna – State Plan.
 - (ii) providing administrative expenditure (₹ 3 crore) including Grants in aid General for Project Management Team under Paramparagat Krishi Vikas Yojna under Krishonnati Yojna – State Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

-) providing subsidy to NAFED under "Implementation of MIS/PSS (Market Intervention Scheme/ Price Support Scheme)" (₹ 200 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d)

(e)

- (ग) (i) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अन्दान (₹ 4.20 करोड़) प्रदान करना।
 - (ii) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए निम्निलिखित के तहत विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 31.30 करोड़) (ख) कृषि मशीनीकरण (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 6.20 करोड़) पर उप-मिशन और (ग) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत कृषि विकास योजना (₹ 3 करोड़)।
 - (iii) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए निम्निलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 100 करोड़) (ख) कृषि मशीनीकरण (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 5.40 करोड़) पर उप योजना और (ग) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत कृषि विकास योजना (₹ 2.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडूचेरी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजा के लिए कार्यान्वयन सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) प्रदान करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम (एमआईडीएच)-केन्द्रीय बागवानी संस्थान (केन्द्रीय क्षेत्र) के अन्तर्गत कार्याकारी शीर्ष मोटर यान (₹ 0.15 करोइ) मशीनरी एवं उपकरण (₹ 0.10 करोइ) तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 3.75 करोइ) कार्यलाय शीर्षों के तहत नए उपशीर्ष वस्तुशीर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों का पुनर्विनियोजन।
 - (ii) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मशीनरी व उपस्कर (₹ 3 करोइ) की अतिरिक्त जरुरत पूरी करना।

अनुदान (₹ 1.75 करोड़) के राजस्व खण्ड में उपलब्ध बचतों में अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी खण्ड के अंतर्गत बचतों को उपयोग करने के पश्चात, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(च) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत मशीनरी उपस्कर की अतिरिक्त जरुरत पूरा करना (₹ 1 करोइ)।

> अनुदान के राजस्व खण्ड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) providing additional Grants in aid General under Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 4.20 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan.
- (ii) providing Grants in aid General for Special Component Plan for Scheduled Castes under (a) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 31.30 crore) (b) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 6.20 crore) and (c) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 3 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan.
- (iii) providing Grants in aid General for Tribal Area Sub-Plan under (a) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 100 crore),
 (b) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 5.40 crore) and (c) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 2.10 crore) under Krishonnati Yojna State Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing Grants in aid General (₹ 3 crore) for implementation of Rashtriya Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT Delhi and Puducherry.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) re-appropriation of funds from lumpsum provision for North Eastern Region to new sub-head/object head under functional heads, Motor Vehicles (₹ 0.15 crore), Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore) and Major Works (₹ 3.75 crore) under the scheme 'Mission for Integrated Development of Horticulture – Central Institute of Horticulture (Central Sector)'.
- (ii) meeting additional requirement under Machinery & Equipment (₹ 3 crore) for mobile soil testing laboratory under National Project on Management of Soil Health and Fertility under Krishonnati Yojna – State Plan.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹ 1.75 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional requirement for Machinery and Equipment under Integrated Scheme on Agriculture Marketing under Krishonnati Yojna – Central Sector (₹ 1 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

कृषि अन्संधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	6320.00		6320.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		6320.01	•••	6320.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षि के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	I for under t	he following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भि <i>न्न</i> Non-Plan	Total
<i>राजस्व भाग</i> मृख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and Education	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) बागवानी संस्थान (₹ 1.35 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान
 परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा,
 अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अन्दान सहायता।
- (ii) बागवानी संस्थान (₹ 5 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा, अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अन्दान सहायता।
- (iii) बागवानी संस्थान (₹ 2.20 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा, अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अन्दान सहायता।
- (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹ 6.60 करोड़) को सामान्य अनुदान सहायता।
- (v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹ 15.20 करोड़) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अन्दान।
- (vi) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को दी जाने वाली वेतन सहायता (₹ 30.69 करोड़)।
- (vii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 2 करोइ), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार, पशु विज्ञान संस्थान (₹ 1 करोइ) और क्रोप विज्ञान संस्थान (₹ 1 करोइ)।
- (viii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 8 करोड़), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार, पशु विज्ञान संस्थान (₹ 4 करोड़) और क्रोप विज्ञान संस्थान (₹ 4 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

- (i) Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 1.35 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 5 crore).
- (iii) Grants-in-Aid–Salaries to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 2.20 crore).
- (iv) Grants-in-Aid-General to Central Agricultural University, Bihar (₹ 6.60 crore).
- (v) Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Bihar ($\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 15.20 crore).
- (vi) Grants-in-Aid–Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 30.69 crore).
- (vii) Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 2 crore), Animal Science Institutes (₹ 1 crore) and Crop Science Institutes (₹ 1 crore).
- (viii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 8 crore), Animal Science Institutes (₹ 4 crore) and Crop Science Institutes (₹ 4 crore).

- (ix) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 1 करोड़), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण पंजाब।
- (x) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 4 करोड़), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ix) Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Punjab under the scheme Fisheries Institutes (₹ 1 crore).
- (x) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 4 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

, , ,					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2120.22		15.94	2136.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		4.45	4.46
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2120.23		20.39	2140.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the followi	ng Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष							
3		MAJOR HEAD					
3 2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01
· ·	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(কa)		0.01
2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2403 - पशु पालन <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry CAPITAL SECTION	Voted:	0.01 4.45	(क a) (ख b)		0.01 4.45
2403 - पशु पालन <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	ŭ	2403 -Animal Husbandry CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			,	 	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को दी जाने वाली सहायता अनुदान को जारी करना (₹ 1.28 करोइ)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) रीजिनल केडर स्टेशनों (₹ 0.13 करोड़), सेन्ट्रल पोलिट्र डवलेपमेंट ओरगेनाईजेशन (₹ 0.25 करोड़), सेन्ट्रल शीप बीडिंग फार्म (₹ 0.13 करोड़), एनिमल क्वैरन्टिन सर्टिफिकेशन स्टेशनों (₹ 3.90 करोड़) और नेशनल इन्सटिटुट ऑफ एनिमल हेल्थ (₹ 0.04 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) release of Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories (₹ 1.28 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) meeting the additional requirement for Regional Fodder Stations (₹ 0.13 crore), Central Poultry Development Organization (₹ 0.25 crore), Central Sheep Breeding Farm (₹ 0.13 crore), Animal Quarantine Certification Stations (₹ 3.90 crore) and National Institutes of Animal Health (₹ 0.04 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

परमाण् ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		·	,			(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	1.00		0.50	1.50
	स्वीकृत:		Voted:	7583.51		4500.43	12083.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7584.51		4500.95	12085.46
	भारित:		Charged:	1.00		0.50	1.50
	स्वीकृत:		Voted:	7583.51		4500.45	12083.96
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for und	er the follov	ving Majo	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर	स्वीकृत:	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पूंजी परिव्यय		Industries	votou.	0.01	(1.4)	•••	0.01
, 5401 - परमाण् ऊर्जा अन्संधान पर	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic Energy	Voted:	0.01	(खb)		0.01
पूंजी परिव्यय	(419/(1.	Research	voled.	0.01	(GD)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	T-1	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02
and (Kan)	स्वीकृत:	iotal (oupplementaly)	voted:	0.02		•••	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) (क) एनएफसी - कोटा मेजर वकर्स (₹ 28.54 करोड़), (ii) मेल्टिंग एण्ड मशीनिंग फेसिलिटी मेजर वकर्स (₹ 0.16 करोड़),(iii) जिरकोनियम प्रोडेक्शन फेसिलिटी का नवीनीकरण आधुनिकीकरण (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपस्कर (₹ 1.20 करोड़), (iv) अपशिष्ट प्रबन्धन स्विधा (एडब्ल्यूएमएफ) मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 0.64 करोड़), (v) जोराक्लोय फेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल फेब्रिकेशन फेसिलिटि (एमएजेड4एफ) मशीनरी और उपस्कर का आध्निकीकरण और वृद्धि करना (₹ 28.18 करोड़) और वृहत कार्य (₹ 9.53 करोड़), (vi) एनएफसी उत्पादों, मशीनरी तथा उपस्कर की उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कापी हेत् ट्रांसिमशन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप का प्रापण (₹ 9.04 करोड़), (vii), कलपक्कम स्थित वृहत कार्य संबंधी अपशिष्ट प्रबन्धन स्विधा हेत् सहायता प्रणाली(₹ 4 करोड़), (viii) एकीकृत सूचना प्रणाली (आईआईएस) सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना प्रमुख कार्य सहित अनुप्रयोग 0.28 करोड़), (ix) फास्ट रियक्टक्टर फ्यूल फैसिलिटी(एफआरएफसीएफ) मशीनरी एवं उपस्कर तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 68 करोड़), (x) यू-धात् उत्पाद स्विधा मशीनरी तथा उपस्कर की ई-अभियांत्रिकी और प्रक्रिया एकीकरण (₹ 1.50 करोड़).

> इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है सांकेतिक अन्पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

meeting additional expenditure under following projects: (i) NFC - Kota Major Works (₹ 28.54 crore), (ii) Melting and Machining Facility Major Works (₹ 0.16 crore),(iii) Revamping and Modernisation of Zirconium production facility (RMZPF) Machinery and Equipment (₹ 1.20 crore), (iv) Augmentation of waste Management facilities (AWMF)Machinery and Equipment (₹ 0.64 crore), (v) Modernisation and augmentation of Zorcaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) Machinery and Equipment (₹ 28.18 crore) and Major Works (₹ 9.53 crore), (vi) Procurement of Transmission Electron Microscope for high resolution microscopy of NFC products, Machinery and Equipment (₹ 9.04 crore), (vii), Support System for Waste Management Facility at Kalpakkam Major Work (₹ 4 crore), (viii) Integrated Information System (IIS) application along with IT infrastructure Major Works (₹ 0.28 crore), (ix) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) Machinery and Equipment and Major Works (₹ 68 crore), (x) Process Integration and e-engineering of U -metal production facility Machinery and Equipment (₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय करना (i) अन्प्रम (ख) टाउनिशप वृहत कार्य तथा कलपक्कम स्थित इलेक्ट्रिकल और मकेनिकल प्रणालियों की आधारभूत संरचना (₹ 3 करोड़),(ii) अन्प्रम टाउनशिप में वृहत कार्य हेत् भवनों का निर्माण (₹ 27 करोड़) (iii) फ्रन्ट एण्ड फ्यूल साइकल मशीनरी तथा उपकरण में आरएण्डडी सहायता (₹ 0.30 करोड़),(iv) स्वास्थ्य देखभाल सेवा मशीनरी तथा उपकरण बढ़ोतरी (₹ 1.72 करोड़) (v) थोरियम प्रोद्योगिकी मशीनरी एवं उपकरण (₹ 3 करोड़), (vi) एडीएस ड्राइवर मशीनरी एवं उपस्कर के फ्रन्ट एंड हेत् निम्न ऊर्जा उच्च गहनता प्रोटोन बढोतरी (एलईएचआईपीए) के विकास हेत् (₹ 2 करोड़),(vii) विशेष सामग्री कार्यक्रम मशीनरी एवं उपस्कर हेत् विकसित प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्संधान एवं विकास (₹ 3 करोड़) (viii) इलेक्ट्रोनिक्स एंड उपकरणीय मशीनरी और उपस्कर हेत् उन्नत रीर एंड विकास स्विधाओं (₹ 4 करोड़) (ix) लेजर्स प्लास्मास तथा इलेक्ट्रोन बीम तकनीकी मशीनरी एवं उपस्कर हेत् घटक एव प्रणाली विकास (₹ 1 करोड़) वृहत कार्य (₹ 1.50 करोड़) (x) क्राइओगेनिक टेम्प्रेचर प्रौसेस सिस्टम मशीनरी एव उपस्कर का विकास (₹ 1.50 करोड़) (xi) फिजिक्स आफ मेटेरियल्स मेजर वकर्स (₹ 0.15 करोड़) (xii) मेम्बरेन टेक्नोलोजी मशीनरी एवं उपस्कर का विकास एवं अन्प्रयोग (₹ 1.40 करोड़) (xiii) भौतिक विज्ञान मशीनरी एवं उपस्कर में खगोल भौतिकी तथा एक्सेलेटर बेस्ड अन्संधान (₹ 1.49 करोड़)और (xiv) डीएई परियोजना की हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र (₹ 20 करोड)।

> इसे ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

meeting additional expenditure under following projects: (i) Infrastructure of Electrical and Mechanical Systems at Kalpakkam and Anupuram Township Major Work (₹ 3 crore),(ii) Construction of Houses at Anupuram Township Major Work (₹ 27 crore) (iii) R&D support in Front End Fuel Cycle Machinery and Equipment (₹ 0.30 crore),(iv) Augmentation of Healthcare Services Machinery and Equipment (₹ 1.72 crore) (v) Thorium Technologies Machinery & Equipment (₹ 3 crore), (vi) Development of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver Machinery & Equipment (₹ 2 crore),(vii) R&D on Advanced Technologies for Special Material Programme Machinery & Equipment (₹ 3 crore) (viii) Advanced Rear End Development Facilities for Electronics & Instrumentation Machinery & Equipment (₹ 4 crore) (ix) Components & Systems Development for Lasers, Plasmas and Electron Beam Technologies Machinery & Equipment (₹ 1 crore) (₹ 1.50 crore) (x) Development of Cryogenic temperature process systems Machinery & Equipment (₹ 1.50 crore) (xi) Physics of Materials Major Work (₹ 0.15 crore) (xii) Development & Application of Membrane Technology Machinery & Equipment (₹ 1.40 crore) (xiii) Astrophysics and Accelerator based Research in Physical Sciences Machinery & Equipment (₹ 1.49 crore)and (xiv) Global Centre for Nuclear Energy Partnership in Haryana (₹ 20 crore) of DAE Project.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

न्यूक्लियर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	4168.65	691.00	4859.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	of the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppleme	entary)		4168.66	691.00	4859.66
		II. इस पूरक अनुदान का हिसा	व निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः	:	
		II. This Supplementary Gr	ant will be accounted for	or under t	he following M	lajor Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power		Voted:		0.01	0.01
	€-#		-				
यह पूरक अनुदान निम्नितिखित हेतु अपे			The supplementary	•	•		
मैसर्स कैमिको, कनाडा (₹ 169.43 कर	ोड़) और मैर	ासे कजाटोम्प्राम, कजाकिस्तान	meeting additional	expenditu	ure towards in	mport of uranium	(₹ 869.43

मैसर्स कैमिको, कनाडा (₹ 169.43 करोड़) और मैसर्स कजाटोम्प्राम, कजािकस्तान (₹ 700 करोड़) से यूरेनियम आयात (₹ 869.43 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

meeting additional expenditure towards import of uranium (₹ 869.43 crore) from M/s Cameco, Canada (₹ 169.43 crore) and M/s Kazatomprom, Kazakistan (₹ 700 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1197.00	17.00	1214.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1197.01	17.00	1214.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत	दिखाया जायेग	Т:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under th	ne following I	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (i) आयुष पर अंतराष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/सेमीनार कार्यशाला संबंधी स्कीम के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) को बकाया भ्गतान करने के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु जीआईए सामान्य (₹ 0.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जीआईए जनरल (₹ 1.85 करोड़) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने के लिए एनएएम के अंतर्गत पूंजी आस्तियां सृजित करने के लिए अन्दान (₹ 1.56 करोड़), (iv) होम्योपैथी विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 0.35 करोड़), (v) आईआईईएसटी को लागत स्थित आधारभूत अन्संधान प्रयोगशाला के लिए केंद्रीय होम्योपैथी अन्संधान परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 2 करोड़), (vi) लखनऊ, कोटटायम और इंफाल में चारदीवारियों/भवनों के निर्माण हेत् केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान ((₹ 4 करोड़), (vii) अन्दान और मानदेय भ्गतान के लिए केंद्रीय भ्गतान एवं प्राकृतिक चिकित्सा अन्संधान परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 1.35 करोड़), (viii) झज्जर, हरियाणा और नाग-मंगला में दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए एनपीसीसी को भ्गतान हेत् केंद्रीय एवं प्राकृतिक चिकित्सा अन्संधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3 करोड़) और (ix) एसीआरआई, नई दिल्ली के लिए भूमि की खरीद और अन्य अनुमोदित देयताओं के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अन्संधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत राशि को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की आवश्यकता है। The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement in i) GIA General for meeting the requirement of funds for making outstanding payment to Indian Council of Cultural Relations(ICCR) under the Scheme, International Exchange Programme/Seminar workshop on AYUSH (₹ 0.50crore), ii)GIA General to the UTs without legislature under the National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.85crore), iii) Grants for creation of Capital Assets under NAM to be released to the UTs without legislature (₹ 1.56crore), iv) GIA General under the Scheme, Central Council of Homoeopathy for holding National Seminar on Homoeopathy(₹ 0.35crore), v) GIA General under the Scheme, Central Council for Research in Homoeopathy for Basic Research Lab at IIEST, Kolkata(₹ 2crore), vi) Grants for creation of Capital Assets under Scheme, Central Council for Research in Homoeopathy for construction of boundary walls/building at Lucknow, Kottayam and Imphal(₹ 4 crore), vii) GIA General under the Scheme, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment of grants and honorarium(₹ 1.35 crore), viii) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment to NPCC towards 2nd phase of constructions work at Jhajjar, Haryana and Nagmangla(₹ 3 crore and ix) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences to purchase of land of ACRI, New Delhi and other approved liabilities (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

` ' '		· ·	,			
					(करोड़ रुपये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
, •	स्वीकृत:		Voted:	223.15	32.03	255.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	17.00		17.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		240.15	32.03	272.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under th	ne following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	17.00		17.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ii)

- (i) सेंट्रल ईंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी (सीआईपीईटी) को शैक्षिक गतिविधियों में और कुशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षमता को बढ़ावा देने हेतु (₹ 15 करोइ) अतिरिक्त राशि प्रदान करना। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- स्कीम (सीपीडीएसः को (₹ 2 करोड़) और इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइडस फारमूलेशन एण्ड टेकनोलोजी (आईपीएफटी) को (₹ 0.75 करोड़) की राशि प्रदान करना। अनुदान के पूंजी भाग में ₹ 2 करोड़ की उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के उसी भाग में ₹ 0.75 करोड़ की बचतों को इस्तेमाल करने के पश्वात, उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

सामान्य सहायता अन्दान के तहत कैमिकल प्रमोशन एण्ड डेवलेपमेंट

The supplementary grant is required for:

- (i) providing additional funds to Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET)for enhancing the capabilities in academic activities and skill development training programme (₹ 15 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (ii) providing Grant-in-aid General under Chemicals Promotion and Development Scheme (CPDS)(₹ 2 crore) and Institute of Pesticides Formulation & Technology (IPFT) (₹ 0.75 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of $\ref{thmodel}$ 2 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of $\ref{thmodel}$ 0.75 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 77097.76 50.04 77147.80 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 2.80 2.80 जोड़ (मूल और पूरक) 77100.56 Total (Original plus Supplementary) 50.04 77150.60 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2852 - उद्योग स्वीकृत: 2852 -Industries 2.80 2.80 Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के तहत भ्गतान करने के लिए (2.80 करोड़) making payment under Management Information (₹ 2.80 crore). अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पन के मद्देनजर, है। उपरोक्त व्यय में Taking into account the surrender of savings available in the Capital कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(ess page s er ans zemann						(करोड़ रुपये ।	Rupees i	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	258.94		0.08		259.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	now					
प्रक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		11.50		11.51
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		258.95		11.58		270.53
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित र	मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for unde	r the follow	ing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		
				जायाजना				जोड़
				जायाजना Plan		भिन्न		जाड़ Total
				*** *** ***		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		*** *** ***		भिन्न		•
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		*** *** ***		भिन्न		•
	स्वीकृत:		Voted:	*** *** ***	(कa)	भिन्न		•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	Plan	(क a)	भिन्न		Total
मुख्य शीर्ष 2852 - उद्योग	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2852 -Industries	Voted:	Plan	(কа)	भिन्न		Total
मुख्य शीर्ष 2852 - उद्योग पूंजी भाग	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2852 -Industries CAPITAL SECTION	Voted: Voted:	Plan	(কa)	भिन्न	(खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2852 - उद्योग <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	ŭ	MAJOR HEAD 2852 -Industries CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		Plan 0.01	(कа)	भिन्न Non-Plan 	(खb)	0.01
मुख्य शीर्ष 2852 - उद्योग <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 6857 - रसायन और भेषज उद्योगों	ŭ	MAJOR HEAD 2852 -Industries CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 6857 - Loans for Chemical and		Plan 0.01	(কa)	भिन्न Non-Plan 	(खb)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और शोध संस्थान (एनआईपीईआर) के स्थापना हेतु अतिरिक्त (₹ 3 करोइ) राशि और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सुविधा केन्द्र को (₹ 0.50 करोड़) प्रदान करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) हिन्दुस्तान एंटीबाइओटिक लिमिटिड को अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान कार्य हेतु, भारत की आक्सिमक निधि से स्वीकृत ₹ 11.50 करोड़ के अग्रेषित को ऋण के तौर पर दुबारा निकालना।
 अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional funds for establishment of National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh (₹ 3 crore) and for creation of Intellectual Property Rights (IPR)Facilitation Centre (₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) recoupment of an advance of ₹ 11.50 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	813.34		2528.20		3341.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	20.05		800.00		820.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		833.39		3328.20		4161.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिख	ाया जायेग	π:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the fo	llowing N	Major Heads		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:			0.01	(कa)	0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:	20.04	(खb)			20.04
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	20.04		0.01		20.05
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	800.00	(गc)			800.00
परिव्यय	ŭ							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	820.04		0.01		820.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) हज चार्टरों के लिए सब्सिडी देना (₹ 500 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रर्थित है।
- (ख) (i) (i) नागर विमानन महानिदेशालय के परिसरों में गौण कार्यों संबंधी निधियों प्रदान रखना (₹ 0.46 करोड)
 - (ii) वागर विमानन महानिदेशालय में तैनात उड़ान संचालन निरीक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करना (₹12.83 करोड़)
 - (iii) उड़ान संचालन निरीक्षणों के संबंध में सेवा कर के भुगतान हेतु
 (₹ 6.75 करोड़ रुपए)
 उपर्य्क्त खर्च में नकद नहीं देना होगा।
- (ग) इिक्वटी समावेशन के रूप में एअर इंडिया को अतिरिक्त निधियां (₹ 800 करोड़) जारी करना। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing subsidy (₹ 500 crore)for Haj Charters.
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing funds regarding Minor works in premises of the Directorate General of Civil Aviation ($\stackrel{?}{\sim}$ 0.46 crore);
 - (ii) providing remuneration to Flight Operations Inspectors deployed in the Directorate General of Civil Aviation (₹ 12.83 crore);
 - (iii) for payment of Service Tax with respect to Flight Operations Inspectors (₹ 6.75 crores);

The above expenditure will entail a cash outgo.

(c) releasing additional funds to Air India (₹ 800 crore)as equity infusion. This will entail net cash outgo.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 4990.01 101.50 5091.51 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4990.02 101.50 5091.52 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2407 - पौधारोपण 2407 -Plantations 0.01 0.01 स्वीकृत: Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत काफी बोर्ड को सब्सिडी providing subsidies (₹ 10 crore) to Coffee Board under Special (₹ 10 करोड़) उपलब्ध कराना। Component Plan for Scheduled Castes. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(566	page 13 of the Demant	15 IUI GIA	nis of Central Government	or tile	year 2013-2010)				
							(करोड़ रुपये Rupee —	,
						राजस्व		पूंजी Capital	जोड़ Total
/ 11-1	·		LODICINAL CRANT			Revenue		Capitai	iotai
ा. मूल	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			0040.50		0.04	004040
		स्वीकृत:			Voted:	2613.58		2.61	2616.19
	ाय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	ne amo	unt now				
अनुमा	₹:		required:						
		स्वीकृत:			Voted:	100.00			100.00
जोड़ (म्	न्न और पूरक)		Total (Original plus Supplementa			2713.58		2.61	2716.19
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	नेम्नलि रि	खेत मुख्य शीर्षों के अंत [्]	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
			II. This Supplementary Grant	will be	accounted for unde	r the follow	ing Majo	r Heads:	
						आयोजना		आयोजना-	जोड़
						Plan		भिन्न	Total
								Non-Plan	
राजस्व			REVENUE SECTION						
मुख्य १	ीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 -	पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas		Voted:	50.00	(कa)		50.00
2852 -	- उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries		Voted:	50.00	(खb)		50.00
जोड़ (पूर	ক)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	100.00		•••	100.00
यह पर	क अनुदान निम्नलिखित हेतु ३	भपेक्षित है:		The s	supplementary grant	s are requi	red for:		
(क)	•		ने (एनईआईआईपी), 2007 के तहत	(a)	meeting additiona	•		ards honoring th	ne nendina
(-)	लम्बित दावों का निपटान क			(4)	claims under Nort				
	the att qual in the folial is	v-r (vg onvi	((1) - 1.1 ((00 1.1.9))		(NEIIP), 2007(₹ 50		astriar iri		onon i onoy
	उपयुक्त व्यय में नकद देना हे) -1			, , ,	•	-4-:11		
()	3		· ·	41.	The above expend				
(ख)	• •	,) करोड़) के तहत भारतीय चमड़ा	(b)	_	nal expen			n Leather
	विकास कार्यक्रम (आईएलडी)	पा) के आतेरि	क्त व्ययं को पूरा करना।		Development Pro	gramme (II	LDP) un	der "Make In In	dia" action
	,				Plan (₹ 50 crore)				
	उपयुक्त व्यय में नकद देना हे	ोगा।			The above expend	diture will e	ntail cash	n outgo;	

दुरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ # देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(1.1,5 1 1	1 / lapoo	0 111 01010)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	13284.10		2590.50		15874.60
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	भारित:		Charged:	93.64				93.64
	स्वीकृत:		Voted:	9.01				9.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		13386.75		2590.50		15977.25
	भारित:		Charged:	93.64				93.64
	स्वीकृत:		Voted:	13293.11		2590.50		15883.61
	ŭ	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्ब	नलिखित म्ख्य	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriat	ion will be ac	counted for u	ınder the foll	owing Ma	jor Head	s:
				आयोजना	3	ायोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
 4 		REVENUE SECTION			N	lon-Plan		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक	भारित:	3451 - Secretariat-Economic Services	Charged:			93.64	(कa)	93.64
सेवाएं								
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	7.00	(गc)	
	(417/(1.				` '			7.01
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:		` ,	2.00	(घd)	7.01 2.00
3275 - अन्य संचार सेवाएं जोड़ (पूरक)		3275 -Other Communication Services Total (Supplementary)	Voted:		, ,	2.00 102.64	(घd)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Voted: Charged:		, ,		(ਬd)	2.00
•	स्वीकृत:			 0.01	, ,	102.64	(घd)	2.00 102.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक संचार लि. के पक्ष में पंचाट निर्णय/उच्चतम न्यायलय के आदेश के तहत भुगतान हेतु भारत की आकस्मिक निधि से मंजूर ₹ 93.64 करोड़ की अग्रिम रिक्पिंग।

स्वीकृत अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यपर्ण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) चल रही महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास स्कीमों, वेतन तथा विविध खर्चों पर होने वाले व्यय को पूरा करना। (₹ 231 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) दूरसंचार विभाग द्वारा किराए पर लिए गए भवन के किराया, दर तथा कर के भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 7 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

(घ) आईएसएमईएस जालना, डब्ल्यूएमएस शिलांग, आईडब्ल्यूएमएस कोलकाता तथा डब्ल्यूएमएस गोरखपुर (₹ 2 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) recouping an advance of ₹ 93.64 crore to Contingency Fund of India sanctioned towards making payment arising out of arbitration award/ Supreme Court orders in favour of M/s Himachal Futuristic Communications Ltd.
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of Voted Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

- (b) meeting expenditure on ongoing important R&D schemes and salaries and miscellaneous expenses (₹ 231 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting expenditure towards Rent, Rates and Taxes to be paid by Department of Telecommunication rented building (₹ 7 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting expenditure on pending armed guard bills for ISMES Jalna, WMS Shillong, IWMS Kolkata and WMS Gorakhpur (₹ 2 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	125950.30	10587.25		136537.55
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the					
पूरक अनुमान:		amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	650.02			650.02
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		126600.32	10587.25		137187.57
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for	under the followin	g Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and	Voted:		650.00	(कa)	650.00
भाण्डागारण		Warehousing					
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:		0.01	(खb)	0.01
सहायता		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:		0.01	(गc)	0.01
सरकारों को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		650.02		650.02

(a)

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2408 - खाय भंडारण और 2408 - Food Storage and

भाण्डागारण Warehousing

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) खाद्य तेलों के आयात के चलते लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी(₹ 150 करोड़)।
 - (ii) "कच्चे चीनी उत्पादन के विपणन और संविधन सेवाओं पर सहायता" स्कीम के तहत चीनी कारखानों को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़)।
 - (iii) चीनी कारखाना, 2015 को साफ्ट ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम पर ब्याज सहायता का भुगतान (₹ 150 करोड़)।
 - (iv) चीनी विकास निधि का अंतरण (₹ 250 करोड़)।
 - (v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खायान्न और फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स मर्जिन को चलाने, अंतर-राज्य परिचालन पर होनेवाले व्यय को पूरा करने हेतु विधानमंडल रहित संघ शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 5 करोड़)।

चीनी विकास निधि (₹ 250 करोड़) से वसूलियों के मद्देनजर और बचतों (₹ 5 करोड़), को उपयोग करने के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में ₹ 400 करोड़ का निवल

The supplementary grants are required for:

(i) subsidy for settlement of pending claims on account of import of edible oils (₹ 150 crore).

(-) 250.00

(-) 250.00

- (ii) providing incentive to sugar mills under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹ 100 crore).
- (iii) payment of interest subvention on scheme for extending soft loan to sugar mills, 2015 (₹ 150 crore).
- (iv) transfer to Sugar Development Fund (₹ 250 crore).
- (v) Central Assistance to UTs without legislature for meeting expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 5 crore).

taking into account matching recoveries from the Sugar Development Fund (₹ 250 crore) and after utilising the savings

नगद व्यय होगा।

- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर-राज्य परिचालन पर होने वाले व्यय को पूरा करने, खाद्यान्न और फेयर प्राइस शाप डीलर्स' मार्जिन को चलाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 4435 करोड़)।
 - इस अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर-राज्य परिचालन पर होने वाले व्यय को पूरा करने, खाद्यान्न और फेयर प्राइस शाप डीलर्स' मार्जिन को चलाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 60 करोड़)।
 - इस अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (₹ 5 crore), the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 400 crore.
- (b) Central Assistance to States for meeting expenditure on intrastate movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 4435 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Central Assistance to Union Territories for meeting expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 60 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2091.50		77.50		2169.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	30.02		0.01		30.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2121.52		77.51		2199.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिख	ाया जायेग	Π:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the fo	llowing N	//ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	25.00	(कa)	0.01	(खb)	25.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	5.00	(घd)			5.00
		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	30.01		0.01		30.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(ङ e)			0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	ŭ	Sports, Art and Culture						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	30.02		0.01		30.03

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एएसआई (₹ 20 करोड़) के चयनित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और विकास कार्यों की बजट घोषणा का पालन करना।
 - निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना i) वर्षगांठों (ii) और शताब्दियों के स्मरणोत्सव के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् जीआईए सामान्य-अन्य (मिशन, स्कीमें और स्वायत संगठन (₹ 5 करोड़),(ii) कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह स्कीम के तहत जीआईए सामान्य-अन्य विभिन्न देशों में कार्यक्रमों त्यौहारों को आयोजित करने के लिए मिशन, (स्कीमें और स्वायत संगठन, वेतन और उत्पादक अन्दानों के अनेकों अन्मोदित मामलों का भ्गतान, मध्यस्थता प्रस्कारों के लिए भ्गतान ₹ 74 करोड़)। iii) परियोजनाओं के कार्यान्वयन, सामान्य और क्षेत्रीय के निर्माण का उन्नयन और विकासात्मक गतिविधियों, कोलकाता, संस्थान स्थापित करने आदि (₹ 11.69 करोड़), के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अन्दान, iv) 'लाईब्रेरी' के तहत दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी की विकासात्मक गतिविधियों के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - अन्य (मिशन और स्वायत संगठनों(₹ 4 करोड़), v) 'निदेशालय' (₹ 0.25 करोड़) के तहत भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारतीय पुरातत्व सोसाईटी के अनुदान प्रदान करने के लिए जीआईए

The supplementary grants are required for:

- (i) implementation of Budget Announcements for carrying out conservation, and developmental works of selected centrally protected monuments of ASI. (₹ 20 crore)
- meeting additional requirements towards i) GIA for creation of Capital Assets for commemoration of anniversaries & centenaries under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations -Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations (₹ 5 crore), (ii) GIA General under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations -Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations for holding of programmes/ festivals in various countries, payment of large number of approved cases under Salary and Production Grants; payment on account of Arbitration Awards (₹ 74 crore), iii) Grants for creation of Capital Assets for implementation of projects, up-gradation and developmental activities construction of General and Regional Centre, Kolkata; setting up of Institution etc. (₹ 11.69 crore), iv) Grants of creation of Capital Assets for undertaking developmental

सामान्य, vi) "लघु कार्यों" के तहत "प्राचीन स्मारकों के संरक्षण" (₹ 35 करोड़) और vii) "संग्रहालय"-अन्य (राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण, स्कीम और स्वायत संगठन)" (₹ 10.30 करोड़) के तहत विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों, भवन परियोजनाओं और दीक्षाओं के आधिुनिकीकरण के लिए पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। ₹ 25 करोड़।

- (ख) निम्नलिखित के लिए अनुदान सहायता (i) लिलत कला अकादमी के पेंशन, बिजली और पानी बिलों आदि का भुगतान (₹ 3 करोड़). (ii) दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी के कर्मचारियों की सेवानिवृति लाभों और पेंशन के भुगतान के लिए (₹ 5 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्नलिखित जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पूंजी आस्तियां सज्जृन करने के अनुदान (i) एनईआर में कला और संस्कृति व शताब्दी समारोह के तहत (₹ 1.02 करोड़) और (ii) "संग्रहालय के तहत"(₹ 0.50 करोड़).
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) निम्नलिखित के लिए पूंजी आस्तियों के सज्जृन के लिए अनुदान (i) टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स के वर्षगाठों और शताब्दी स्मरणोत्सव और अनुदान सहायता से गांधी विरासत परियोजना साईट मिशन के कार्यान्वयन के लिए पूर्वविनियोजन के लिए कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह (अभियान और स्कीमें) की स्कीम (₹ 42.92 करोइ). (ii) "संग्रहालय" राज्यों को फंड प्रदान करने के लिए (₹ 7 करोइ) के तहत अनुदान सहायता से पूर्णविनियोजन।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। ₹ 5 करोड़।
- (ङ) भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण के तहत विभिन्न चालू मुख्य कार्यों और कोर्ट डीक्री की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना । (₹ 30 करोड़)
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

activities by Delhi Public Library under 'Libraries' -Others (Missions and Autonomous Organizations)(₹ 4 crore), v) GIA General for providing grant to Indian Archaeological Society by the Archaeological Survey of India under 'Directorate' (₹ 0.25 crore), vi) for completion of ongoing conservation/preservation works etc. under "Minor Works" of 'Conservation of Ancient Monuments'(₹ 35 crore). and vii) Grants for creation of Capital Assets for undertaking various programme/activities, building projects and modernization of galleries under the "Museums -others (National Monuments Authority, Competent Authority, Schemes and Autonomous Organizations)"(₹ 10.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 25 crore.

- (b) Grants in aid General to (i) Lalit Kala Akademi for payment of pension, electricity & water bills etc.(₹ 3 crore). (ii) Delhi Public Library for payment of pension and retirement benefits to its employees (₹ 5 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement towards Grants for creation of Capital Assets for completion of ongoing projects (i) in NER under the "Scheme of Art and Culture and Centenary Celebration" (₹ 1.02 crore) and (ii) under "Museum" (₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- d) GIA for creation of capital assets under (i) the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations (Missions & Schemes) for commemoration of anniversaries & Centenaries, construction of Tagore Culture Complex and for implementation of project of Gandhi Heritage site Mission (₹ 42.92 crore). (ii) "Museum" for providing funds to State Govt.,(₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5 crore.

- (e) meeting additional requirement towards expenditure Under Archaeological Survey of India for various ongoing Major Works and also on account of Court Decree (₹ 30 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

· 1 3		,				ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital		जोड़ Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		Novellue	Oapitai		Total
" · \(\) 0 - 3 \(\) - 1	भारित:	" O' WON'D IL O' O WY'.	Charged:	0.61	35.00		35.61
	स्वीकृत:		Voted:	20188.58	3653.03		23841.61
इस समय आवश्यक रकम का पुरक	V =11 EVI.	Supplementary Estimate of the amount	votca.	20100.00	0000.00		200+1.01
अनुमानः		now required:					
olegomer.	स्वीकृत:	now required.	Voted:	0.01	300.00		300.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्पाकृता.	Total (Original plus Supplementary)	voieu.	20189.20	3988.03		24177.23
ong (eger on eger)	भारित:	rotal (Original plas Supplementary)	Charged:	0.61	35.00		35.61
	स्वीकृत:		Voted:	20188.59	3953.03		24141.62
	रपामृता.	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्					24141.02
		II. This Supplementary Grant will be acco	Junieu ioi uni	यहा सार गणाण्या। आयोजना	ig iviajoi rieaus. आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	C	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर	स्वीकृत:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal	Voted:		300.00	(खb)	300.00
पूंजी परिव्यय	2	Services				` '	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		300.01		300.01
	·						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) तटरक्षक बल के पीओएल और लघु कार्य (₹ 200 करोड़) के अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।

केन्टीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के तहत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) तटरक्षक बल के लिए समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट और फ्लीट (₹ 300 करोड़) की प्राप्ति हेत् व्यय पूरा करना।

केन्टीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के तहत स्वीकृत अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है। अतः उपरोक्त व्यय में नकद प्रवाह नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards POL and minor works(₹ 200 crore) to Coast Guard Organisation.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant under Canteen Stores Department (CSD), a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards acquisition of ships, Aircrafts and fleets for Coast Guard Organisation (₹ 300 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the voted Grant under Canteen Stores Department (CSD), a technical supplementary is sought thus the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

जोड़

				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	46.56			46.56
	स्वीकृत:		Voted:	106994.27			106994.27
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amour	nt				
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	30.00			30.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		107070.84			107070.84
	भारित:		Charged:	76.56			76.56
	स्वीकृत:		Voted:	106994.28			106994.28
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acc	ounted for under	the following N	lajor Hea	ad:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित:	2076 - Defence Services - Army	Charged:		30.00	(कa)	30.00
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	30.01		30.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय आदेशों के चलते ₹ 30 करोड़ के भुगतान को पूरा करने हेतु।
 - स्वीकृत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को देखते हुए उपर्य्क्त, व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) भूमि युद्ध के अध्ययन केन्द्र (सीएलएडब्ल्यूएस) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए भुगतान को पूरा करने हेतु ₹ 0.07 करोइ। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

राजस्व

- (a) meeting expenditure on payment of ₹ 30 crore arising out of Court orders.
 - Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Voted Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) meeting payment of ₹ 0.07 crore towards additional grants-in-aid to Centre for Land Warfare Studies (CLAWS).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा आय्ध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 8.00 Charged: 8.00 स्वीकृत: 14697.73 14697.73 Voted: इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 14705.74 14705.74 भारित: 8.00 8.00 Charged: स्वीकृत: Voted: 14697.74 14697.74 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD**

2079 - Defence Services - Ordnance

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2079 - रक्षा सेवाएं--आय्ध

कारखाने

(क) विजयांता सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को (0.14 करोड़) की अतिरिक्त सहायता अनुदान देना।

स्वीकृत:

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Factories

The supplementary grant is required for:

Voted:

(a) providing additional grants-in-aid to Vijayanta Senior Secondary School (₹ 0.14 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

0.01

(**क**a)

0.01

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(
					(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:		136.50		136.50
	स्वीकृत:		Voted:		94451.50		94451.50
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:		0.11		0.11
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			94588.11		94588.11
	भारित:		Charged:		136.61		136.61
	स्वीकृत:		Voted:		94451.50		94451.50
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जारे	ोगा:		
		II. This Supplementary Appropriation w				lead:	
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	भारित:	4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:		0.11	(कa)	0.11
परिव्यय		Services					

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय के आदेशों के कारण (₹ 0.11 करोड़) के भुगतान को पूरा करना। स्वीकृत अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है, व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

(a) meeting payment arising out of Court orders.(₹ 0.11 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Voted Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

पूर्वीत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (₹ 75 करोड़)।

व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते ह्ए, उपर्युक्त

(ग)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(See page 23 of the Demands for Char	ne or contrar covernment to	i tilo year	2010 2010)			(करोड़ रुपये Rup	nees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़ जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			rtovondo		Gapitai	10101
<i>२. पूरा अभुपान:</i> स्वीकृत:	I. OITIOIIVAL OIVAIVI.		Voted:	2205.74		327.00	2532.74
-	Cumplementary Fatimate of the			2205.74		327.00	2552.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the	e amount no)W				
अनुमान:	required:						
स्वीकृत:			Voted:	0.02		75.00	75.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary			2205.76		402.00	2607.76
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम	न्निलेखित मुर	ज्य शी षों के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant v	vill be accou	inted for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas		Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State G	overnments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत:	Total (Revenue Section)		Voted:	0.02			0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
- 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी स्वीकृत:	4552 - Capital Outlay on North	Eastern	Voted:	75.00	(गc)		75.00
परिव्यय	Areas				` '		
जोड़ (पूरक) स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	75.02			75.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	mentary grar	its are requi	ired for:		
(क) उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (र	र 75 करोड़)	(a) Nor	th Eastern Ru	ıral Liveliho	od Proje	ct (₹ 75 crore)	
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत	ों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक	Tak	ing into acco	unt the savi	ngs ava	ilable in the sai	me section of
अपेक्षित है।	5	the	Grant, a toke	n suppleme	ntary is	sought.	
(ख) उत्तर-पूर्व राज्यों सड़क निवेश परियोजना (₹ 100 करोड)		th-Eastern		Road	Investment	Programme
		, ,	00 crore)				3
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत	* ->	`	,				
	१। का दखत हुए साकातक पुरक	Tak	ing into acco	unt the savi	ngs ava	ilable in the sai	me section of

(c)

North East Road Sector Development Scheme (₹ 75 crore).

entail any additional cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	6243.87			6243.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	2685.01			2685.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8928.88			8928.88
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the follow	ing Majoi	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	2685.00	(खb)		2685.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2685.01			2685.01
	-						

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त राशि को पूरा करना (₹ 229 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (₹ 1500 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम- सामान्य (₹ 749 करोड़) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-डीडीपी (₹ 251 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के ईएपी घटक (₹ 185 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - (ii) स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को सहायतार्थ प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना के लिए सामान्य अनुदान सहायता का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹ 250 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, इसमें ₹ 2685 करोड का नकद प्रवाह होगा। The supplementary grants are required for:

- meeting additional amount for advertising and publicity
 (₹ 229 crore) under Water Supply and Sanitation.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) meeting additional expenditure (₹ 1500 crore) for Swachh Bharat Mission (Gramin), National Rural Drinking Water Programme - normal (₹ 749 crore), National Rural Drinking Water Programme- DDP (₹ 251 crore) and EAP component of National Rural Drinking Water Programme (₹ 185 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure of Grants-in-Aid General for proposed World Bank Project (₹ 250 crore) for support to Swachh Bharat Abhiyan/Swachh Bharat Mission (Gramin).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 2685 crore.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11238.00	3728.80	14966.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	v			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	10.00		10.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11248.03	3728.80	14976.83
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11248.00	3728.80	14976.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour			ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		10.00	10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को अतिरिक्त तिथियां नियत करते हुए (i)परिसर के निमार्ण हेतु (175 करोड़ रुपए) और (ii) किराया और वार्षिक अंशदान के व्यय के लिए (36 करोड़ रु)
- (ii) उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों से संबंधित हुण्डियों के निपटारे के लिए (95.54 करोड़ रु)
- (iii) वीवीआईपी गतिविधियों के लिए 747 के रखरखाव के लिए एयर इंडिया को भुगतान (188.91 करोड़ रु)
- (iv) भोपाल में 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन से संबधी व्यय को पूरा करने हेतु (10 करोड़ रु)चूंकि उपर्युक्त व्यय, अनुदान के राजस्व भाग में 495.45 करोड़ के पुन: विनियोग से आंशिक तौर पूरा किया जाएगा, शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है। इससे 10 करोड़ रुपए का नकद प्रवाह होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) allocating additional funds to South Asian University for (i) construction of the campus (₹ 175 crore), and (ii) for meeting expenditure towards rent and annual contribution (₹ 36 crore)
- (ii) settlement of bills relating to Vice President's abroad visits(₹ 95.54 crore)
- (iii) payment to Air India towards maintenance cost (₹ 188.91 crore) of B747 Aircraft for VVIP movements.
- (iv) meeting expenditure relating to 10th World Hindi Conference at Bhopal (₹ 10 crore). As the above expenditure will be partly met by re-appropriation of ₹ 495.45 crore in the Revenue section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. This will entail a cash out go of ₹ 10 crore.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(occ page of or the Bernana	o ioi Ciui	nto or contrar covernment for the year 2	010 2010)	'			
					(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	17774.88	5601.69		23376.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	13.34			13.34
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		17788.22	5601.69		23389.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for und	er the following	g Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:		13.33	(कa)	13.33
संस्थाएं							
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		0.01	(खb)	0.01
और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	13.34		13.34
	-						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतररारष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के कारण ₹ 13.33 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। नकद प्रवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के स्वरूप में प्राप्तियों
 - नकद प्रवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के स्वरूप में प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (ख) मार्च, 2016 में अडवांसिंग एशियाः इन्वैस्टिंग फॉर द फ्यूचर पर हुई उच्चस्तरीय सभा को आयोजित करने और भारत के लिए इसकी कुल कीमत के व्यय को पूरा करने के लिए जो लगभग 210000 अमरीकी डालर होगी (₹ 1.37 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 13.33 crore on account of Contributions to International Development Association.
 - There will be no cash outgo as this would be matched by receipts in the form of securities.
- (b) meeting expenditure towards hosting a High Level Conference on Advancing Asia: Investing for the Future held in March, 2016 and the total cost for India would be around USD 210000 (₹ 1.37 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विततीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupees in Cro				
				राजस्व		पूंजी		जोड़		
				Revenue		Capital		Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	15311.80		17495.00		32806.80		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount								
अनुमान:		now required:								
	स्वीकृत:		Voted:	500.02		12221.20		12721.22		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		15811.82		29716.20		45528.02		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी वे	५ अंतर्गत दिख	ाया जायेग	Π:				
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for	under the fo	llowing N	/lajor Heads:				
				आयोजना		आयोजना-		जोड़		
				Plan		भिन्न		Total		
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02		
कल्याण										
3465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	3465 -General Financial and Trading	Voted:	500.00	(गc)			500.00		
व्यापारिक संस्थान		Institutions								
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	500.01		0.01		500.02		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General	Voted:	12110.00	(घd)			12110.00		
व्यापारिक संस्थानों में निवेश		Financial and Trading Institutions								
6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों के	स्वीकृत:	6416 - Loans to Agricultural Financial	Voted:			111.20	(ਝe)	111.20		
लिए ऋण		Institutions								
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	12110.00		111.20		12221.20		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	12610.01		111.21		12721.22		
	C									

(d)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण व अंशदान संग्रहण की प्रोत्साहन व विकासात्मक गतिविधियों के ₹ 93 करोड़ का खर्च पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक भपेक्षित है।
- (ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा (पीएमबीएसवाई) के समर्पित उपकर/जगरूकता फैलाना के ₹ 50 करोड़ खर्च करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत प्रदत ऋणों को गारंटी उपलब्ध कराने हेत् ऋण गारंटी निधि की स्थापना(₹ 500 करोड़)।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

(घ) (i) सरकारी क्षेत्र बैंक के पूर्न पूंजीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 12010 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting expenditure of ₹93 crore on promotional and developmental activities for enrolment and contribution collection under Atal Pension Yojana (APY).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure of ₹ 50 crore for supporting publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana (PMBSY).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Establishment of Credit Guarantee Fund for providing guarantees to Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) (₹ 500 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

(i) meeting expenditure on recapitalization of Public Sector Banks (₹ 12010 crore). (ii) मुद्रा बैंक के स्थापना हेतु इक्विटी अंशदान (₹ 100 करोड़)।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 111.20 करोड़ कृषि और ग्रामीण (e) विकास की राष्ट्रीय बैंक को जम्मू और कश्मीर में गैर-लाइसेंस जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के जीणींद्वार के लिए बिना ब्याज के ऋण के खर्च को पूरा करना।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

(ii) Equity Contribution for establishment of the MUDRA Bank(₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;
providing ₹ 111.20 crore to National Bank of Agriculture and
Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of
Unlicensed District Central Cooperative Banks (DCCBs) in the
State of Jammu and Kashmir as Central Government's share.
The above expenditure will entail a cash outgo;

वयय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 156.84 156.84 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 37.00 37.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 193.84 193.84 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं स्वीकृत: 37.00 37.00 3475 -Other General Economic Services Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: पीएफएमएस के व्यय को पूरा करना (₹ 37 करोड़)। Meeting expenditure of Public Financial Management System (PFMS) (₹ 37 crore). मांग सं. 76 के तहत योजना आयोग (नीति आयोग) द्वारा अभ्यर्पित की जाने वाली Taking into account the amount may be surrender by Planning राशि को देखते ह्ए, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा। commission (NITI Ayog) under Demand No. 76, the above expenditure will not entail any additional cash outgo

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				(πτιφ τη παροστ						
				राजस्व		पूंजी	जोड़			
				Revenue		Capital	Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
. •	स्वीकृत:		Voted:	505.51			505.51			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w							
अनुमान:		required:								
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		•••	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		505.52		•••	505.52			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for under	the followi	ng Major	Head:				
				आयोजना		आयोजना-	जोड़			
				Plan		भिन्न	Total			
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
2408 - खाय भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(क a)	•••	0.01			
भाण्डागारण										

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) गुणवता पूरक आश्वासन स्कीम, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोन्नित विषयक कार्यकलापों के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। (₹ 2 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

(a) meeting additional requirement for Advertising & Publicity under the Scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	31501.32		867.35	32368.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	650.02		0.01	650.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		32151.34		867.36	33018.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	नुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखा	या जायेगा	Γ:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ι	under the foll	owing M	lajor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	65.00	(गc)		65.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	583.00	(घd)	•••	583.00
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	2.00	(ਭ e)		2.00
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	650.02			650.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(चf)		0.01
पर पूंजी परिव्यय	-	Public Health					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	650.03			650.03
	•						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)(i) निम्नलिखित सामान्य अन्दान सहायता की अतिरिक्त जरूरत पूरा करना - टेलीमेडिसिन स्कीम में कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एंजेसी को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 43 करोड़) 2. राष्ट्रीय कैंसर, मध्मेह, हृदय वाहिनी और दौरा रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 4 करोड़) । 3. तम्बाक् विरोधी अभियान के लिए व्यय को पूरा करना (₹ 16 करोड़)। 4. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर स्विधा के विस्तार हेत् क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 1 करोड़) 5. बर्न इन्जरी की रोकथाम और प्रबंधन हेत् क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 0.40 करोड़)। 6. अंधता (₹ 1 करोड़) हेत् राष्ट्रीय कार्यक्रम 7. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 11 करोड़) (ईएसी) 8. देश में एनएसओ की अप्रमाणिक व मानक ग्णवत्ता रहित की कुछ सीमा तक समस्या की समीक्षा हेत् राष्ट्रीय फार्मा-सतर्कता कार्यक्रम (₹ 8.50 करोड़) ii) निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुदान के तहत पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए भ्गतान करना 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यलों की स्थापना के लिए (₹ 40 करोड़) 2. राज्य सरकारों के चिकित्सा (पीजी सीटें) का उन्नयन (₹ 5 करोड़) 3. स्कूलों/महाविद्यलों (₹ 5.5 करोड़) का

The supplementary grants are required for:

(i) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General:- 1. For providing financial assistance to implementing agencies for implementation of Telemedicine scheme (₹ 43 crore), 2. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 4 crore), 3. For meeting expenditure on Anti-Tobbacco campaign (₹ 16 crore), 4. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 1 crore), 5. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 0.40 crore), 6. National programme for Blindness (₹ 1 crore), National VBD control programme (₹ 11 crore)(EAC), 8. National Pharmaco-vigilance Programme for survey of extant problem of spurious and not standard quality NSO in the country (₹ 8.50 crore), ii) making payment under Grants-in-aid for creation of Capital Assets :- 1. For establishment of new

(c)

मजबूती/उन्नयन 4. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में (₹ 14 करोइ) राज्य स्तर के संबंद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान स्थापित करना। 5. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियों वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 4 करोइ) 6. राष्ट्रीय बहरापन रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत (₹ 0.70 करोइ 7. अत्याधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए इंडियन फार्मोकीपिया आयोग का निर्माण (₹ 4 करोइ) ііі) सचिवालय के लिए श्रम शक्ति आऊटर्सोस करने और निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत आईईसी कार्यकलापों से संबंधित खर्च पूरा करने के लिए - 1. टेलीमेडिशन

(₹ 7 करोड़) 2. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियों वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 5.20 करोड़) 3. जोनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (₹ 1 करोड़) 4. वायरल हेपेटिटिस कार्यक्रम (₹ 0.91 करोड़) के लिए। 5. एंटी माइक्रोवाईल प्रतिरोध (₹ 1 करोड़) 6. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30एनसीडीसी शाखाएं स्थापित करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)। 7. अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 12 करोड़) 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 10 करोड़)9. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 10.10 करोड़) 10. जलने से हुई दुर्घटना के रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 16.47 करोड़) 11. एपीएचओ सहित (₹ 13 करोड़) पतन स्वास्थ्य स्थापना के लिए। 12. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 24.50 करोड़)के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) गर्भिनिरोधकों की निशुल्क आपूर्ति और सामाजिक विपणन की लागत को पूरा करना (₹ 50 करोड़) ii) एनआरएचएम (₹ 34.50 करोड़) के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन की मजबूती के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता जारी

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) (ग) (i) निम्नलिखित स्कीमों की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान - 1. नर्सिंग सर्विसिज (एएनएम/जीएनएम ₹ 1 करोड़) के उन्नयन/मजबूत बनाने के लिए 2. राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर स्विधाओं के विकास हेत् क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 7.61 करोड़)3.बर्न इनजरी की रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 2.86 करोड़)4. वृद्ध के राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए (₹ 0.50 करोड़) 5. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए (₹ 82.29 करोड़) (ईएसी) ii) निम्नलिखित स्कीमों के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान इस प्रकार है - 1. देश में वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा कालेजों की स्थापना हेत् (₹ 250 करोड़) 2. राज्य सरकारी चिकित्सा कालेजों को मजबूत करने और स्धार हेत् (₹ 10 करोड़) (पी जी सीटों) 3. फार्मेसी स्कूलों/कालेजों/सुधार हेत् (₹ 1.50 करोड़) 4. नर्सिंग सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) को स्टढ़ करने के/मजबूत करने हेत् (₹ 4 करोड़) 5. राष्ट्रीय कार्यक्रम कैंसर,

Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 40 crore), 2. For upgradation of State Govt. Medical Colleges (PG Seats) (₹ 5 crore), 3. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 5.50 crore), 4. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 14 crore), 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 4 crore), 6. Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.70 crore), 7. Indian Pharmacopoeia Commission for construction of State of Art Laboratory (₹ 4 crore), iii) For meeting expenditure on outsourcing of manpower for secretariat support and IEC activities under the following Programmes: 1. Telemedicine (₹ 7 crore), 2. implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 5.20 crore), 3. For Prevention & Control of Zoonotic Diseases (₹ 1 crore), 4. For Viral Hepatitis Programme (₹ 0.91 crore), 5. For Anti-Microbial Resistance (₹ 1 crore), 6. For establishing 30 branches of NCDC in States and UTs (₹ 1.50 crore), 7. For Blindness Control Programme (₹ 12 crore), 8. For National Health Programme (₹ 10 crore), 9. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 10.10 crore), 10. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 16.47 crore), 11. For Port Health Establishment including APHO (₹ 13 crore), 12. For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 24.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) To meet cost of contraceptive for Free Supply and Social Marketing (₹ 50 crore), (ii) For releasing Grants-in-Aid General in respect of Strengthening National Prog. Management of the NRHM (₹ 34.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General for meeting requirement under the following Schemes: 1. For upgradation/strengthening of Nursing Services (ANM/GNM)(₹ 1 crore), 2. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 7.61crore), 3. For assistance for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 2.86 crore), 4. For National Programme for Health Care of the Elderly (₹ 0.50 crore), 5. National VBD Control Programme (₹ 82.29 crore)(EAC). (ii) Grants-in-aid for creation of Capital Assets in respect of the following Schemes: 1. For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 250 crore), 2. For strengthening and upgradation of State Govt. Medical Colleges (PG Seats) (₹ 10 crore), 3. For

मधुमेह, कार्डियों वस्कुलर रोगों और स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु (₹ 30 करोड़)6.सरकारी चिकित्सा कालेजों में राज्य स्तरीय संबंद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों की स्थापना हेतु (₹ 3 करोड़) 7. एनआरएचएम को फौरवर्ड लिकेंजिस हेतु (₹ 50 करोड़) 8. राष्ट्रीय राजर्माग पर बने सरकारी हस्पतालों में ट्रौमा केयर सुविधाओं के विकास हेतु क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 52.68 करोड़) 9. बर्न इनजरी की रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 15.60 करोड़) 10. राष्ट्रीय बहरापन की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना हेतु स्वायत चिकित्सा कालेजों को (₹ 0.25 करोड़)।

- (ii) (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित श्रमकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65 करोड़)
 - अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 65 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।
- (घ) (i) (घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 583 करोड़)।
 - अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 583 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।
 - (ii) निम्न के तहत आवश्यकता पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अन्दान - 1. उपचारिका सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) के उन्नयन का स्दढ़ीकरण (₹ 5 करोड़)। 2. गिनिया वार्म क्रार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़)। 3. राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम (₹ 47 करोड़)। 4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 23 करोड़)। 5. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा स्विधाएं विकसित करने हेत् क्षमता निर्माण में सहायता हेत् (₹ 59.12 करोड़)। 6. बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेत् (₹ 5 करोड़)। 7. राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) 8. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.41 करोड़) (ईएसी) (ii) निम्न संस्थानों स्कीमों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अन्दान 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यलों की स्थापना के लिए (₹ 1210 करोड़) 2. स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि/सृजन हेत् राज्य सरकारी चिकित्सा कालेजों के अन्नयन हेत् (₹ 100 करोड़)। 3. उपचारिका सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) के उन्नयन का सुदृढ़ीकरण (₹ 40 करोड़)। 4.राज्य केंद्रीय सरकारी चिकित्सा कालेजों राष्ट्रीय के स्दढ़ीकरण और उन्नयन के लिए (₹ 385 करोड़) 5. राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मध्मेह, कार्डियों वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 238 करोड़)। 6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के

Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.50 crore), 4. For Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 4 crore), 5. implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 30 crore), 6. For setting up of State level institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 3 crore), 7. For Forward Linkages to NRHM (₹ 50 crore), 8. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 52.68 crore), 9. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 15.60 crore), 10. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.25 crore).

- (ii) Grants-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 65 crore).
 - Taking into account the savings of ₹ 65 crore available in the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.
- (d) (i) Grants-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in States (₹ 583 crore).
 - Taking into account the savings of ₹ 583 crore available in the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.
 - Grant-in-Aid General for meeting requirement under the following 1. For Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 5 crore), 2. For Guinea-Worm Programme (₹ 0.10 crore), 3. For National Blindness Programme (₹ 47 crore), 4. For National Mental Health Programme (₹ 23 crore), 5. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals National Highways (₹ 59.12 crore), 6. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 5 crore), 7. For National Programme for Health Care of Elderly National VBD control programme (₹ 10 crore), 8. (₹ 10.41 crore)(EAC), (ii) Grant-in-Aid for creation of Capital Assets for the following institutions/Schemes: 1. For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 1210 crore), 2. For upgradation of State Govt. Medical Colleges for increase/ creation of PG Seats (₹ 100 crore), 3. For Strengthening/ upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 40 crore),
 - 4. For strengthening and upgradation of State/Central

(e)

(f)

लिए (₹ 40 करोड़)। 7.राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 59.86 करोड़)। 8. बर्ज इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 49.67 करोड़)। 9. राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) 10. राष्ट्रीय अंधता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेसन बोन टेंपोरेल की स्थापना हेतु स्वायत चिकित्सा कालेजों के लिए (₹ 1.98 करोड़)।

(ii)अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) (i) (ङ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 2 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।
 - (ii) (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु, जरूरत पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोइ)। (ii) निम्न संस्थानों/स्कीमों के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान। 1. (i) कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियों वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 18 करोइ) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 1 करोइ)। 3. सरकारी मेडिकल कालेजों में संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञानों के राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना हेतु (₹ 3 करोइ) 4. फार्मा स्कूलों/कालेजों के सुदृढ़ीकरण उन्नयन हेतु (₹ 3 करोइ)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(च) (च) (i) राज्यों में एनसीडीसी की 30 शाखाओं की स्थापना संबंधी पूंजी व्यय को पूरा करना (₹ 8.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 9.63 करोड़)। (iii) बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 10 करोड़)। (iv) सीआईपी, रांची में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए (₹ 14 करोड़)। (v) एपीएचओ सहित पोर्ट स्वास्थ्य संगठन संबंधी पूंजी व्यय पूरा करना (₹ 12 करोड़)। (vi)पैरा मेडिकल संस्थानों आरआईपीएस/एनआईपीएस का सुदृढ़ीकरण (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Medical Govt. Colleges For implementation of National (₹ 385 crore), 5. programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 238 crore), 6. For National Mental Health Programme (₹ 40 crore), 7. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 59.86 crore), 8. For assistance to Capacity Building for management of Burn (₹ 49.67 crore), 9. For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 15 crore), 10. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 1.98 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana (₹ 2 crore)

Taking into account the savings of ₹ 2 crore available in

the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.

(ii) (i) Grant-in-Aid General for meeting requirement for National Mental Health Programme (₹ 1 crore), (ii) Grantin-Aid for creation of Capital Assets in respect of following Institutions / Scheme 1. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 18 crore), 2. For National Mental Health Programme (₹ 1 crore), 3. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 3 crore), 4. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) To meet capital expenditure on establishing 30 branches of NCDC in States (₹ 8.50 crore), (ii) To meet capital expenditure on assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 9.63 crore),
- (iii) For assistance for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 10 crore), (iv) For procurement of MRI machine at CIP Ranchi (₹ 14 crore), (v) For meeting capital expenditure on Port Health Estabishment including APHO (₹ 12 crore, (vi) Strengthening/creation of Para-medical Institutions (RIPS/NIPS) (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 1347.00 50.00 1397.00 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1347.01 50.00 1397.01 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत: 0.01 3601 -Grants-in-aid to State Governments 0.01 Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: ईएपी घटक से इएपी घटक (₹ 10 करोड़) को पुनर्विनियोग के द्वारा राज्य सरकार को meeting additional EAP component from Global Fund for utilization of सहायता अन्दान के अन्तर्गत विद्यमान परित्यक्त प्रावधान के उपयोग हेत् वैश्विक Grant-in-aid to State Govt remaining provision under निधि से अतिरिक्त ईएपी घटक को पूरा करना। re-appropriation from Non-EAP component to EAP Component. (₹ 10 crore) अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Ru		Rupees in Crore)			
				राजस्व		पूंजी		जोड़			
				Revenue		Capital		Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:									
	स्वीकृत:		Voted:	1521.57		48.43		1570.00			
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount									
पूरक अनुमान:		now required:									
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1521.59		48.43		1570.02			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	der the follo	owing Ma	ijor Heads:					
				आयोजना		आयोजना-		जोड़			
				Plan		भिन्न		Total			
						Non-Plan					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION									
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD									
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	•••		0.01	(कa)	0.01			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(खb)			0.01			
		Governments									
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्कीम के तहत खरीदी गए अग्निशमन और बचाव उपस्करों के संबंध में दीर्घावधिक बकाया के व्यवस्थापन हेतु आपूर्तियों व सामग्री हेतु व्यय पूरा करना। (₹ 0.83 करोड़)

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक भपेक्षित है।

(ख) विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़)और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान (₹ 232.34 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for Supplies and Material for settlement of long outstanding dues in respect of firefighting and rescue equipment procured under Japanese International Cooperation Assistance Scheme (₹ 0.83 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure for Grants in aid General (₹ 16 crore) and Grants in aid for creation of capital assets (₹ 232.34 crore) for National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 416.99 416.99 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 100.00 100.00 जोड़ (मूल और पूरक) 516.99 Total (Original plus Supplementary) 516.99 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2013 - मंत्री परिषद स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers 100.00 100.00 Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for:

प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एयर इण्डिया के लंबित

दावों की स्वीकृति (₹ 100 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

clearing pending claims from Air India for operating and maintaining

Prime Minister's Aircraft (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	12.28		7.92		20.20
	स्वीकृत:		Voted:	53568.83		9015.49		62584.32
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		100.01		100.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		53581.12		9123.42		62704.54
	भारित:		Charged:	12.28		7.92		20.20
	स्वीकृत:		Voted:	53568.84		9115.50		62684.34
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the follov	ving Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(खb)	100.00	(गc)	100.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		100.01		100.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण ऐंजसी द्वारा सर्वोदय विद्यालय में अनुदान सहायता सामान्य के खर्च को पूरा करना। (₹ 0.10 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) लंबित दाताओं को पूरा करने और असम राइफल्स द्वारा कार्यालय भवन (₹ 48.62 करोड़) और सीमा आऊट पोस्ट निर्माण द्वारा विद्यमान देयताओं को पूरा करना(₹ 9.80 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) मैसर्स रोसोबोर्न एक्सपोर्ट, रूस से छः एमआई17V-5 हेलीकोप्टर खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्ध और वर्तमान देयताओं को पूरा करना। (₹ 452.82 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपरोक्त व्यय में ₹ 100 करोड़ का नकद खर्च होगा।

- (a) meeting expenditure for Grants in Aid General under "Swachh Bharat Abhiyan" in respect of Sarvodaya Kanya Vidhyalaya by National Investigation Agency (₹ 0.10 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting pending and current liabilities of Assam Rifles for Office Buildings (₹ 48.62 crore) and construction of Border Out Posts (₹ 9.80 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional committed and current liability for procurement of six MI 17 V-5 Helicopters from M/s Rosoborn export, Russia (₹ 452.82 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 100 crore.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					Rupees	pees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.03		•••		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2206.03		358.53		2564.56
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	27.92				27.92
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2233.98		358.53		2592.51
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2233.95		358.53		2592.48
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for und	er the follow	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:			0.01	(क a)	0.01
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	22.91	(खb)			22.91
		Calamities						
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	5.00	(गc)			5.00
सहायता		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	27.91		0.01		27.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 क) 1984 के दंगों के मामलों में जांच पुनः जांच हेतु नवगठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के लिए विभिन्न खाताशीर्षों को खोलना (₹ 8.22 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम सिहत 'अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं' संबंधी विभिन्न प्रशासनिक खर्च पूरा करना (₹ 22.91 करोड़) जिसे सीधे एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त खर्च में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ग) राज्य सरकारों के संबंध में 'अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना' के तहत अनुमोदित पहलों का खर्च पूरा करना (₹ 5 करोड़ जिसे सीधे एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित किया जाना है)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त खर्च में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (a) opening of various administrative heads of account, for the newly constituted Special Investigation Team (SIT) for investigating/re-investigating the cases of 1984 riots (₹ 8.22 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) meeting various administrative expenditure on 'Other Disaster Management Projects' including School Safety Programme (₹ 22.91) to be directly implemented by NDMA henceforth. Taking into account the surrender of savings available in the capital section of the grant,the above expenditure will not entail any aditional cash outgo.
- for meeting approved initiatives under 'Other Disaster Management Project' in respect of State Governments (₹ 5 crore) to be directly implemented by NDMA henceforth. Taking into account the surrender of savings available in the capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5634.47			5634.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	-	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04			0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		5634.51		•••	5634.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना 		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				1101111	
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	(गc)		0.01
सेवाएं							
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04		•••	0.04

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के लिए सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 8 करोड़)
 - (ii) क्रेडिट लिक्ड सब्सिडी स्कीम के सबंध में सामान्य सहायता अनुदान को (₹499.99 करोड़) बढ़ाया ।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) पेशेवर सेवाओं के तहत प्रावधान में (₹5 करोड़) की वृद्धि और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन - शहरी गरीब के लिए मूलभूत सेवाएं स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड)।
 - (ii) अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (₹0.05 करोड़) का प्रावधान, प्रशासनिक सेवाओं (₹0.90 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹16.41 करोड़), अंतरराष्ट्रीय विकास सहायक परियोजना विभाग की स्कीम के तहत ।
 - (iii) अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (₹0.16 करोड़), प्रावधान की वृद्धि और पेशेवर सेवाओं (₹0.67 करोड़) शहरी विकास परियोजनाओं की क्षमता निर्माण स्कीम के तहत ।
 - (iv) जपानी एनसीफलीटिस/अक्यूट एनसीफलीटिस सिनट्रोम के साथ झुग्गी-झोपडियों की बस्ती एनडीमिक में पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत (143 करोड़ रुपए) व्यय को प्रा करना।

The supplementary grants are required for:

- (i) release of Grants-in-aid General to Building Material & Technology Promotion Council (₹ 8 crore).
 - (ii) augmenting Grant in aid General in respect of Credit Linked Subsidy Scheme (₹ 499.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) augmenting provision under Professional Services (₹ 5 crore) and Grants in aid General (₹ 3 crore) under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission – Basic Services for Urban Poor.
 - (ii) augmenting provision under Other Administrative Expenses (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 0.90 crore) and Grants in aid General (₹ 16.41 crore) under the scheme of Department for International Development supported Project.
 - (iii) augmenting provision under Other Administrative Expenses (₹ 0.16 crore) and Professional Services (₹ 0.67 crore) under the scheme of Capacity Building for Urban Development projects.
 - (iv) meeting expenditure under the scheme Drinking Water Supply in slum households endemic with Japanese Encephalitis/Acute Encephalitis Syndrome (₹ 143 crore).

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान के लिए प्रावधान में (5.80 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेतु सहायता अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान को प्रदान करना, (i)शहरी गरीबों और बुनियादी सेवाओं के लिए 80 करोड़ रुपए और (ii) एकीकृत आवास एवं झुगगी-झोपड़ी विकास परियोजना (58 करोड़ रुपए)।

 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) augmenting provisions towards payment for various projects under National Urban Livelihoods Mission (₹ 5.80 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- d) releasing Grants in Aid General and Grants in Aid for creation of Capital Assets to States under the schemes, (i) ₹ 80 crore for Basic Services for Urban Poor and (ii) ₹ 58 crore for Integrated Housing & Slum Development Project.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(97115 844 KUP	ees III Ciore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	69794.50		69794.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		69794.51		69794.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under	the following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

i)आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत जीआइए सामान्य (₹ 3.05 करोइ), ii) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन के अनुदान के लिए (₹ 10.24 करोइ), iii) उत्कृष्टता के मानदण्ड के तौर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना स्कीम के तहत पेशेवर सेवाओं का प्रदान करने के लिए, मुख्य शीर्ष 3601-जीआइए सामान्य से पुनः विनियोग के लिए (₹ 0.69 करोइ), iv) मदरसों स्कीम जिसके तहत अल्पसख्यकों (एसपीक्यूईएम) को शिक्षा प्रदान करने, वकीलों के भुगतान, टीए, डीए इत्यादि, जोकि मुख्य शीर्ष 3601-जीआइए सामान्य से पुनःविनियोग करने के लिए (₹ 0.50 करोइ), v) एमडीएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्कीम के तहत एफसीआई के रीवौलविंग फण्ड के जीआइए सामान्य (₹ 14.40 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement towards i) GIA General under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 3.05 crore), ii) Grants for creation of Capital Assets under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 10.24 crore), iii) Professional services under the Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (₹ 0.69 crore), iv) Other charges under the Scheme for providing Education to Madrassas/Minorities (SPQEM) for making payments to advocates, TA/DA, etc (₹ 0.50 crore),v) GIA General for revolving fund of FCI in the Scheme of National Programme of MDM (₹ 14.40 crore) and vi) GIA Salary under the Scheme for Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उचचतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

Total

प्ंजी Capital

l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	26855.26			26855.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		26855.29			26855.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	er the followi	ing Major	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03
मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा 2203 - तकनीकी शिक्षा 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2202 -General Education 2203 -Technical Education 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 0.01	(खb)		0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) नेशनल बुक ट्रस्ट फार बुक प्रमोशन को अनुदान स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 10 करोड़) तथा अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल मिशन आन टीचर्स एण्ड ट्रैनिंग के स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन का अनुदान (₹ 75 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संंस्था की स्थापना की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) तथा (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की निम्नांकित स्कीमों के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹ 317 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 198 करोड़), इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च (₹ 125 करोड़), भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹ 27 करोड़), बोर्ड आफ अप्रेंटिसिशप ट्रेनिंग (₹ 1 करोड़), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान (₹ 10), सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 20.40 करोड़), पीपीपी माडल में आईआईटी की स्थापना (₹ 34 करोड़) तथा भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) आईआईएम स्कीम के अन्तर्गत

The supplementary grants are required for:

राजस्व

Revenue

(a) meeting additional requirement towards (i) GIA General under the Scheme of 'Grants to National Book Trust/Institutions for Book promotion (₹ 10 crore) and Grants of creation of Capital Assets under the Scheme of 'National Mission on Teachers and Teaching for meeting additional requirement (₹ 75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirements towards (i) GIA General under the Scheme of 'Setting up of Indian Instt. of Engineering, Science and Technology (₹ 10 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Schemes: Indian Institutes of Technology (₹ 317 crore), National Institutes of Technology (₹ 198 crore), Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research (₹ 125 crore), Setting up of Indian Institute of Engineering Science and Technology (₹ 27 crore), Board of Apprenticeship Training (₹ 1 crore), National Institutes of Technical Teachers Training & Research (₹ 10 crore), Training & Research in Frontier Areas (₹ 20.40 crore), Setting up of IIITs in PPP Model (₹ 34 crore) and Indian Institute of Management(IIM) (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement towards (i) GIA Salary under the

वेतन सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) तथा (ii) निम्नांकित स्कीमों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानः आईआईएम (₹ 10 करोड़) तथा (iii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 30 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Scheme of IIM (₹ 8 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for the following schemes : IIM (₹ 10 crore) and Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सबचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

			(करोड़ रुपये Ri					Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़		
				Revenue		Capital		Total		
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	3686.11		25.00		3711.11		
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount								
पूरक अनुमान:		now required:								
	स्वीकृत:		Voted:	11116.78		0.01		11116.79		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14802.89		25.01		14827.90		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षी के	अंतर्गत दिखार	या जायेगा:					
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for u	ınder the foll	owing Ma	ajor Heads:				
				आयोजना		आयोजना-		जोड़		
				Plan		भिन्न		Total		
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
2251 - सचिवालय-सामाजिक	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	0.01	(कa)			0.01		
सेवाएं										
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:			0.01	(खb)	0.01		
2221 - प्रसारण	स्वीकृत:	2221 -Broadcasting	Voted:			11116.76	(गc)	11116.76		
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		11116.77		11116.78		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
४२२० - सूचना और प्रचार पर	स्वीकृत:	4220 - Capital Outlay on Information	Voted:	0.01	(घd)			0.01		
पूंजी परिव्यय	-	and Publicity								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		11116.77		11116.79		
	·									

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म और वृतिचत्र के निर्मण' की आयोजना स्कीम के अन्तर्गत उपयोजना "वृतिचित्र फिल्म्स के निर्माण" हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना (₹ 1.40 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) ₹ 0.60 करोड़ 'सूचना भवन' (₹ 0.50 करोड़) के कार्यालय स्थान के नवीकरण और फिल्म प्रमाणन और अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों को मानदेय प्रदान करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।
 - अन्दान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्न का अंतरण (i) पीछे से चला आ रहा ऋण और (ii) 1.4.2000 से 31.3.2010 की अविध के लिए ₹ 5,684.34 करोड़ का पूंजीगत ऋण और ऋण ब्याज की माफी (पीछे से चला आ रहा ऋण और शास्ति ऋण) ₹ 4082.88 करोड़, और वित्तीय पुनर्गठन के रूप में प्रसार भारती को 31.3.2011 तक स्पेस सेगमेंट और स्पेक्ट्रम प्रभारों के (₹ 1349.54 करोड़)

- (a) meeting expenditure towards providing additional 'Grant-in-aid-General' for the sub scheme "production of Documentary Films" under the Plan Scheme 'production of Films and documentaries in various regional languages' (₹ 1.40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) ₹ 0.60 crore for Films Certification Appellate Tribunal (FCAT) towards renovating office space of 'Soochna Bhawan' (₹ 0.50 crore) and for making payment of honorarium to members (₹ 0.10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - conversion of (i) loan-in-perpetuity and (ii) Capital loan for the period from 1.4.2000 to 31.3.2010 amounting ₹ 5,684.34 crore and waiver of interest on loans (loan-in-perpetuity, Capital loan and penal interest) amounting to ₹ 4082.88 crore, into Grants-in-aid; and waiver of accumulated arrears of space segment and

संचित बकाया को माफ करना। चूंकि प्रस्तावित व्यय, पावतियों के बराबर है, इसमें नकद खर्च नहीं होगा।

(घ) 'फिल्म प्रभाग के लिए उपस्करों का अर्जन' स्कीम के तहत 'मशीनरी और उपस्करों' (₹ 0.20 करोड़)।

अन्दान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

spectrum charges accrued (₹ 1349.54 crore) to Prasar Bharati upto 31.3.2011 as part of financial restructuring. As proposed expenditure will be matched by equivalent receipts, this will not entail cash outgo.

meeting expenditure towards 'Machinery & Equipment' under the scheme 'Acquisition of Equipment for Films Division' (\mathfrak{T} 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: 3420.90 102.75 Voted: 3523 65 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3420.91 102.75 3523.66 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं स्वीकृत: 2052 - Secretariat-General Services Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

संविधान की धारा 124क के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की कार्यप्रणाली के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अधिनियम, 2014, जो 13.4.2015 से लागू हुआ, के अनुसार खर्च के लिए (₹ 4.20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

expenditure towards functioning of the National Judicial Appointments Commission, provided under Article 124A of the Constitution in accordance with the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 which came into the force on 13-4-2015 (₹ 4.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2997.12		10.30	3007.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2997.14		10.30	3007.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) वस्तु शीर्ष "पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान" के तहत ग्रामीण विकास अनुदान (रु. 3 करोड़) स्कीम के तहत गैर एनईआर शीर्ष में उपलब्ध फंड से एईआर अगरतला में कायार्लय भवन निमार्ण के लिए एनईआर योजना। (ii) वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान (7.55 करोड़) सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर योजना जैसािक ब.अ. 2015-16 में प्रदान फंड वर्तमान आवश्यकता से कम है। (iii) "सामान्य सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत प्रधानमंत्री रोजगार वर्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का (2 करोड़) स्कीम के तहत गैर एनईआर शीर्ष में उपलब्ध फंड से आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनईआर योजना। वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान योजना के वीआईसी के प्रशिक्षण विभाग को वर्ष 2015-16 से प्रशिक्षण कायर्क्रमों को अच्छा बताने के लिए भुगतान करना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। नकद में कोई व्यय शामिल नहीं
- (ख) वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" (0.50 करोड़) के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान योजना के वीआईसी के प्रशिक्षण विभाग का 2015-16 में प्रशिक्षण कायर्क्रमों को अच्छा बताने के लिए भुगतान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। नकद में कोई व्यय शामिल नहीं है।

- (i) "Village Industries Grant" (₹ 3 crore) under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" NER Plan for construction of Office Building at Agartala in NER from funds available under the Non-NER head under the scheme.

 (ii) "Village Industries Grant" (₹ 7.55 crore) under the object head "Grants-in-aid General" NER Plan for support activities as the funds provided under BE 2015-16 is less than the current requirement.

 (iii) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" (₹ 2 crore) under the object head "Grants-in-aid General" NER Plan for the enhanced requirement under NER from funds available under the Non-NER head under the scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. No cash out go is involved.
- b) "Village Industries Grant" (₹ 0.50 crore) under the object head "Grants-in-Aid General" Plan for payment to Departmental Training Centre of KVIC for giving more thrust to Training programme during the year 2015-16. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. No cash out go is involved.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.08	•••	0.08
	स्वीकृत:		Voted:	1100.85	54.78	1155.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	7.35	***	7.35
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1108.28	54.78	1163.06
	भारित:		Charged:	7.43		7.43
	स्वीकृत:		Voted:	1100.85	54.78	1155.63
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य र्श	ोर्ष के अंतर्गत (देखाया जायेगा		
		II. This Supplementary Appropriation will be acc	ounted for u	nder the follo	wing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म	भारित:	2853 - Non-Ferrous Mining and Metallurgical	Charged:		7.35	7.35
उद्योग		Industries				

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बीजीएमएल के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न देयताओं के भुगतान के लिए स्वीकृत ₹ 7.35 करोड़ के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम रिक्पमेंट।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

Recoupment of Contingency Fund of India advance for ₹ 7.35 crore sanctioned towards payment of liabilities arisen due to the verdict of the Hon'ble Supreme Court in the case of BGML.

Taking into account the surrender of the equivalent amount available in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					('करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3618.11		120.00	3738.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	1				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3618.13		120.00	3738.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	ग शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for unde	r the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)		0.01
कल्याण							
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत 'सीखो और कमाओ' में 175000 प्रशिक्षुओं के बढे हुए लक्ष्य के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 176.72 करोड़) के रूप में अतिरिक्त अपेक्षित फंड को पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत 'सीखो और कमाओ' में 175000 प्रशिक्षुओं के बढे हुए लक्ष्य के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 15.50 करोड़) के रूप में अतिरिक्त अपेक्षित फंड को पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting the additional requirement of funds towards fulfilling the increased target of 175000 trainees under the scheme of skill Development Initiatives 'Seekho Aur Kamao' as Grants-in-aid General (₹ 176.72 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement of funds towards fulfilling the increased target of 175000 trainees under the scheme of skill Development Initiatives 'Seekho Aur Kamao' as Grants-in-aid General (₹ 15.50 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

(-)500.00

					, , ,		000 111 01010)
			राजस्व		पूंजी		जोड़
			Revenue		Capital		Total
	I. ORIGINAL GRANT:						
स्वीकृत:		Voted:	2708.21		95.00		2803.21
	Supplementary Estimate of the						
	amount now required:						
स्वीकृत:		Voted:	500.00		0.01		500.01
	Total (Original plus Supplementary)		3208.21		95.01		3303.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be acc	counted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
			आयोजना		आयोजना-		जोड़
			Plan				Total
	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				NOII-FIAII		
स्वीकृत:	2810 -New and Renewable	Voted:	500.00	(क a)			500.00
	Energy						
	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD						
स्वीकृत:	4810 - Capital Outlay on New and	Voted:			0.01	(खb)	0.01
	Renewable Energy						
स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	500.00		0.01		500.01
				<u> </u>	~~~	_*~ .	_ <u> </u>
	स्वीकृत:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित III. This Supplementary Grant will be accommodated in the supplementary Grant	स्वीकृत: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नित्यित मुख्य शीर्षों के अ II. This Supplementary Grant will be accounted for und REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Voted: Energy CAPITAL SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Voted: Renewable Energy स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted:	Revenue 1. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 2708.21 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 500.00 Total (Original plus Supplementary) 3208.21 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय III. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Voted: 500.00 Energy CAPITAL SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Nemewable Energy Renewable Energy Total (Supplementary) Voted: 500.00	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 2708.21 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 500.00 Total (Original plus Supplementary) 3208.21 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नितिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Maintain Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Voted: 500.00 (कa) Energy CAPITAL SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy Total (Supplementary) Voted: 500.00 **Total (Supplementary) Voted: 500.00	स्वीकृतः (Voted: प्रणापा प्रणाप प्रणाप प्रणापा प्रणाप प्	Revenue

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2810 - नवीन तथा 2810 - New and Renewable

नवीकरणीय ऊर्जा Energy

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) ग्रिड इंटरएक्टिव स्कीम और वित्तरित नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा हेतु सामान्य सहायता-अनुदान जारी करना (₹ 250 करोड़)।
 - (ii) ग्रिड इंटरएक्टिव स्कीम और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के तहत हरित ऊर्जा कारीडोर हेतु निधियां जारी करना (₹ 100)।
 - (iii) आफ-ग्रिड स्कीम/वितिरत और विकंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 150)। अत:राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के व्यय होगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) नई दिल्ली में कार्यालय भवन और भुवनेश्वर में संस्थान का निर्माण (₹ 3 करोड़)।
 - अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(-)500.00

- releasing Grants-in-aid General for Solar Power under the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹ 250 crore)
- (ii) releasing funds for Green Energy Corridors under the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹ 100 crore)
- (iii) To releasing Grants-in-aid General for Solar Power under the scheme Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power (₹ 150 crore)
 - As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a Technical Supplementary is sought.
- construction of building of office in New Delhi and an Institute at Bhubaneswar (₹ 3 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Revenue Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 94 75 94 75 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 300.00 300.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 394.75 394.75 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2515 - अन्य ग्रामीण विकास स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Voted: 270.00 (कa) 270.00 कार्यक्रम Programmes 2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas (खb) Voted: 30.00 30.00 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 300.00 300.00 स्वीकृत: Voted: यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary grants are required for: (क) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के लिए वचनबद्ध देयताओं Meeting committed liabilities for Rajiv Gandhi Panchayat (a) को पूरा करना । (रु. 270 करोड़) इसमें नकद व्यय होगा । Sashaktikaran Abhiyan (₹ 270 crore). This will entail cash out एनईआर और सिक्किम के लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान (रु. 30 करोड़) (ख) Additional provision (₹ 30 crore) for the benefit of NER & Sikkim. (b) इसमें नकद व्यय होगा। This will entail cash out go.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपः	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	30124.55		1.00		30125.55
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	47.00		1153.00		1200.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		30171.55		1154.00		31325.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षों के .	अंतर्गत दिखाय	॥ जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for u	nder the follo	wing Ma	ijor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	2802 -Petroleum	Voted:			47.00	(कa)	47.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी	स्वीकृत:	4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted:	1153.00	(खb)			1153.00
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	\	4452.00		47.00		4000.00
	स्वीकृत:	rotal (Supplementary)	Voted:	1153.00		47.00		1200.00

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड "(आईएसपीआरएल)" को भुगतान स्कीम के तहत विशाखापटनम में भंडारण कैवर्न के संबंध में उसके वार्षिक कार्य और रख-रखाव की लागत को पूरा करने हेतु (₹ 47.00 करोड़)।
 - (ii) "पूर्वीतर क्षेत्र सिहत अन्य देय सब्सिडी" के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (₹ 660 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इससे ₹ 47 करोड़ का नकद प्रवाह होगा।
- (ख) भारतीय सामिरक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड को निधियां प्रदान करने हेतु(₹ 1153 करोड़)।उपर्युक्त व्यय में नकद देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting annual operations and maintenance cost of ₹ 47 crore in respect storage cavern at Visakhapatnam under the scheme "Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited" (ISPRL).
 - (ii) providing the funds under "Other Subsidy payable including NE Region" (₹ 660 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 47 crore.
- providing funds for Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) (₹ 1153 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1846.85	364.78	2211.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1846.86	364.78	2211.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्भ के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under tl	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				

3475 -Other General Economic Services

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

हं योजना स्कीम विश्व स्तरीय नवोन्मेषी केन्द्र नेटवर्क को प्रोत्साहित करना एवं भारत में सांस्कृतिक नवोन्मेष तथा वैश्विक अनुसंधान और भारत के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर तथा शैक्षिक उद्यमशीलता तथा अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करते हुए अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम), नवोन्मेष प्रोत्साहन प्लेटफार्म के व्यय को पूरा करना (₹ 1 करोड़)।

स्वीकृत:

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ii) नई योजना स्कीम-स्टार्टअप बिजनेस, अन्य स्व-रोजगार कार्यकलापों विशेषतया प्रौद्योगिकी पूरक क्षेत्रों के सभी पहलुओं के समर्थन हेतु सेल्फ एम्प्लावयमेंट एण्ड टेंलेंट यूटिलाइजेंशन (एसआईटीयू) टेक्नो फाइनेंशियल, इक्यूबेशन एण्ड फैशिलेटेशन प्रोग्राम के व्यय को पूरा करना (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

Voted:

(i) meeting the expenditure for New Plan Scheme - Atal Innovation Mission (AIM) an Innovation Promotion Platform involving academics, entrepreneurs and researchers and drawing upon national and international experiences to foster a culture of innovation, R&D and scientific research in India and promoting a network of world-class innovation hubs and Grand Challenges of India (₹ 1 crore).

0.01

0.01

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ii) meeting the expenditure for New Plan Scheme Self-Employment and Talent Utilization (SETU) a Techno-Financial, Incubation and Facilitation Programme to support all aspects of start-up business and other selfemployment activities, particularly in technology-driven areas (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विध्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	6319.53	1952.30	8271.83
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount r	iow			
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	2000.00		2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8319.53	1952.30	10271.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	रुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under t	he following Ma	jor Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:	2000.00		2000.00
			न्मानों में नीचे दर्शाई ग	गयी वसूलियों को शानि	मेल नहीं किया गया है जिन्हें	व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !	3			
		Note: The above estimates of additional requir	ements do not take	into account the re	ecoveries shown below,	which are
		adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
2801 - विद्युत		2801 - Power		(-) 1000.00		(-) 1000.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) ऊर्जा प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को दी जाने वाली ₹ 1000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराना।
- (ii) गैस आधारित क्षमता सृजन के उपयोग हेतु स्कीम के तहत ₹ 1000 करोड़ की निधि उपलब्ध कराना जो ऊर्जा प्रणाली विकास निधि (पीएएसडी) से व्यय होगा।
- (iii) इस अनुदान के इसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिंड कार्रवाई नेटवर्क (आईएसजीएएन) को दी जाने वाली सदस्यता चंदा (₹ 0.32 करोड़) के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराना।

अनुदान अतिरिक्त वसुली और प्राप्तियों के इसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध आंतरिक बचतों के मद्देनजर, इस पूरक में ₹ 1000 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- providing an amount of ₹ 1000 crore to Power System Development Fund (PSDF).
- (ii) providing funds of ₹ 1000 crore under the scheme for utilization of gas based generation capacity to be met from Power System Development Fund (PSDF).
- (iii) providing funds for payment of membership fee (₹ 0.32 crore) to International Smart Grid Action Network (ISGAN) from the savings available within same section of the Grant.

Taking into accounts the internal savings available within the same section of the Grant, additional recovery and receipts, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 1000 crore.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
1		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:	भारित:	I. URIGIIVAL GRAIVI.	Charged:			10.50	10.50
			Voted:	16560.00		62508.24	79068.24
	स्वीकृत:	O colored to Fall colored (the colored)	votea.	10000.00		02506.24	79000.24
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	70.01		0.01	70.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16630.01		62518.75	79148.76
	भारित:		Charged:			10.50	10.50
	स्वीकृत:		Voted:	16630.01		62508.25	79138.26
	-	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु II. This Supplementary Grant will be acco	ख्य शीर्षों के अंत unted for unde	र्गत दिखाया ज er the followir	ायेगा: ng Major	Heads:	
		,		आयोजना	,	आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3054 - सड़क और प्ल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत:	3055 -Road Transport	Voted:	70.00	(खb)		70.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	70.01			70.01
पूंजी भाग	ŭ	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(गc)		0.01
परिव्यय	Č	Bridges					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	70.02			70.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए सीधे भुगतान प्रक्रिया के कार्यानव्यन और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य के लिए लागू अंतर-राज्य कनेक्टिविटी के लिए (₹ 293 करोड़)।
 - (ii) एमएच-3054 सड़कों और पुलों (अनुसंधान और विकास) के तहत नया लेखा शीर्ष बनाकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवता नियंत्रण पर व्यय करने के लिए (₹ 58.20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और मजबूती के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े बस टर्मिनलों का विकास (₹ 70 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।
- (ग) संबंधित राज्य क्षेत्रीय अधिकारी/अधिकारियों(आरपीएओ) के जिरए प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत कार्यकारी एजेन्सी को भुगतान के लिए (₹ 4500.09 करोड़) राशि प्रदान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) implementation of Direct Payment Procedure for roads of economic importance and Inter-State connectivity applicable for National Highways Works (₹ 293 crore).
 - (ii) incurring expenditure on training, research, quality control etc. by creating a new head of account under MH 3054-Roads and Bridges (Research and Development) (₹ 58.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) development of large Bus Terminals in States/Union Territories under 'Improving and Strengthening of Public Transport System' (₹ 70 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - releasing payment to executing agency under Direct Payment Procedure through respective State Regional Officer(s)/RPAOs (₹ 4500.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	114047.58			114047.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1000.01			1000.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		115047.59			115047.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	पुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the follo	wing Ma	ajor Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2505 - ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत:	2505 -Rural Employment	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 – पूर्वीतर क्षेत्र		2552 –North Eastern Areas	Voted:	100.00	(खb)		100.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता		3601 –Grants-in-aid to State Govt.	Voted:	900.00	(गc)		900.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1000.01			1000.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु आपरेशनल डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोटोकाल हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 7000 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) एनईआर एवं सिक्किम के लाभ के लिए विस्तार का प्रावधान (₹ 100 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) पूंजीगत पिरसंपितियों के सृजन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत सहायता अनुदान (₹ 900 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।

- (a) meeting additional requirement (₹ 7000 crore) for operational Direct Benefit Transfer (DBT) protocol for wage payment under MGNREGA.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Augumentation provision (₹100 crore) for the benefit of NER & Sikkim. This will entail cash outgo.
- (c) Meeting additional requirement of Grants-in-Aid (₹ 900 crore) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) for Creation of Capital Assets. This will entail cash outgo.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

अपेक्षित है।

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Total Revenue ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: 386.08 1779.79 स्वीकृत: Voted: 1393.71 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: 3.01 3.01 स्वीकृत: Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1393.71 389.09 1782.80 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5051 - बंदरगाह और प्रकाश स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and 2.00 (**क**a) 2.00 Voted: गृहों पर पूंजी परिव्यय Light Houses 5052 - नौवहन पर पूंजी स्वीकृत: 5052 - Capital Outlay on Shipping Voted: 1.00 (खb) 1.00 परिव्यय 7051 - बंदरगाह और स्वीकृत: 7051 - Loans for Ports and Light Voted: 0.01 (गc) 0.01 प्रकाशगृहों के लिए ऋण Houses जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 1.01 2.00 3.01 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** 5051 - बंदरगाह और प्रकाश 5051 - Capital Outlay on Ports and (-)2.00(-)2.00गृहों पर पूंजी परिव्यय Light Houses यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grants are required for: अण्डमान में लैडिंग स्विधाओं एवं घाटों का निर्माण (₹ 2 करोड़)। (a) construction of landing facilities and jetties in Andaman (₹ 2 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the matching recovery in the same section अपेक्षित है। उपर्युक्त में नकद व्यय नहीं होगा। of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. (ख) पोत महानिदेशालय, मुंबई में आन-लाइन जांच प्रणाली (₹ 1 करोड़)। (b) online examination system at Directorate General of Shipping, Mumbai(₹ 1 crore). अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक Taking into account the surrender of savings available in the पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त में नकद व्यय नहीं होगा। Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. (ग) विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट को बकाया जेआईसीए ऋण (₹ 7.72 करोड़)। (c) payment of balance JICA loan to Vishakhapatnam Port Trust

(₹ 7.72 crore)

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	6062.58	462.24	6524.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6062.60	462.24	6524.84
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षीं के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the follo	wing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
• •	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(कа)	0.01
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	0.01		0.01
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01		0.01
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गौ और	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward	Voted:	0.01		0.01
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Ü	MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			(কa)	

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत (अनुस्चित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए (₹ 124.55 करोड़) सहायता अन्दान;
 - (ii) नई स्कीम के तहत अन्य पिछड़ी जातियों के मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति के लिए (₹ 1 करोड़) राशि प्रदान करना; अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) नशाखोरी और मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरूपयोग की रोक-थाम की स्कीम के लिए (₹ 8 करोड़) सहायता अनुदान जारी करना;
 - (ii) ड्रग्स और मादक पदार्थ दुरूपयोग संबंधी विस्तार, पैर्टन और रुझानों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण को (₹ 2 करोड़)का सहायता अनुदान;
 - (iii) गरीबों के पुर्नवास के लिए समाकलित कार्यक्रम हेतु (₹ 3 करोड़) का सहायता अन्दान जारी करना;
 - (iv) सामाजिक रक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (₹ 5 करोइ) जारी करना;
 - (v) राष्ट्रीय स्तर पर विरिष्ठ नागरिकों के हेल्पलाईन के लिए (₹ 2 करोइ) सामान्य सहायता अनुदान जारी करना; अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- releasing 'Grants-in-aid' General for various programmes related to celebration of 125th anniversary of Dr. B. R. Ambedkar under 'Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes' (₹ 124.55 crore);
 - (ii) releasing funds under the new scheme of Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 1 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
 - (i) releasing Grants-in-aid General for scheme of prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) abuse (₹ 8 crore);
 - (ii) releasing Grants-in-aid General for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse (₹ 2 crore);
 - (iii) releasing Grants-in-aid General for Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars (₹ 3 crore);
 - (iv) releasing Grants-in-aid General for National Institute of Social Defence (₹ 5 crore);
 - (v) releasing Grants-in-aid General for Helpline for Senior Citizens at National Level (₹ 2 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4136.10		138.70		4274.80
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
प्रक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4136.13		138.70		4274.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	त्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	wing Maj	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)			0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 5.37 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु (₹ 16.96 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के मृजन हेतु (₹ 3.29 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान को अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 1.38 करोड़)(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 35 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 40 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (छ) (i) यार्न आपूर्ति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के जैसे अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 137 करोइ) (ii) समूह बीमा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने(₹ 5.30 करोइ) (iii) ग्रुप वर्कशेड स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 14.46 करोइ) (iv) बिजली चालित करघा क्षेत्र विकास की एकीकृत स्कीम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.73 करोइ) (v) प्लेन बिजलीचलित करघा इनसीट्अप ग्रेडेशन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 25 करोइ) (vi) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और आईटी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु (₹ 15.58 करोइ) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में (₹ 35.72 करोइ) (vii) बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों

- (i) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5.37 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 16.96 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative in NER Sector. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 1.38 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 3.29 crore) under Seed Organization in NER Sector. (iii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 40 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under NER Textile Promotion Scheme in NER Sector. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (₹ 137 crore) under Yarn Supply Scheme. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5.30 crore) under Group Insurance Scheme. (iii) meeting additional requirement for Creation of Capital Assets (₹ 14.46 crore) under Group Workshed Scheme. (iv) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 12.73 crore) under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development. (v) meeting additional requirement for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under Scheme For In-Si-Tu Up-Gradation of Plain Powerloom . (vi) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 35.72 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.58 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology

के सृजन के लिए (₹ 14.80 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (₹ 23.31 करोड़)(viii) समन्वयन एवं बाजार विकास (एचआरडी) के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु (₹ 1.27 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 4.75 करोड़) (ix) गुणवता प्रमाण्ति प्रणाली के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन (₹ 0.17 करोड़) और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.70 करोड़) (x) सेरीकलचर केंटालीटिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजाती क्षेत्र उप-योजना स्कीम के लिए पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 14 करोड़) और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) (xi) पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) (xi) पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 5 करोड़) (xii) बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु (₹ 5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण करने हेतु (₹ 2 करोड़)।

(ग) (i) कीमत को सहयोग देने हेतु काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कपास की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 2108 करोइ) (ii)कीमत को सहयोग देते हुए जयूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को इसकी सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹ 107.11 करोइ) जो भारतीय आकस्मिक निधि अग्रिम की क्षतिपूर्ति में शामिल है (₹ 55 करोइ) (iii) कपास सलाहकार समिति और कपास संस्थान को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹ 1.50 करोइ)। सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। and IT Initiative. (vii) meeting additional requirement as Grantsin-Aid General (₹ 23.31 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14.80 crore) under Seed Organization. (viii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 4.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.27 crore) under Coordination and Market Development (HRD). (ix) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.17 crore) under Quality Certification System. (x) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 6 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14 crore) for the Tribal Area Sub Plan of the Scheme under Sericulture Catalytic Development Programme. (xi) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5 crore) under Pashmina Wool Development Programme. (xii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 2 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under Seed Organization in Scheduled Caste Sub Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) meeting additional requirement for Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support (₹ 2108 crore).
 (ii) meeting additional requirement for Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹ 107.11 crore), which includes the recoupment of Contingency Fund of India advance (₹ 55 crore). (iii) meeting additional requirement for Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(č	करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1568.02		5.05	1573.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	1				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	20.01		5.62	25.63
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1588.03		10.67	1598.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ited for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	20.00	(खb)		20.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	20.01			20.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	5.00	(गc)		5.00
परिव्यय	ŭ						
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted:	0.62	(घd)		0.62
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	5.62			5.62
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	25.63		***	25.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) पूर्वीतर क्षेत्रों के लिए पर्यटन सिकेट स्कीमों के तहत अतिरिक्त निधि
 (₹ 20 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) पर्यटक अवसंरचना स्कीम के तहत अतिरिक्त केंद्रीय एजेन्सियों को पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु(₹ 25 करोड़),
(ii) कुतुब शाही परियोजना के लिए पर्यटक अवसंरचना विकास के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु (₹ 10 करोड़) और तीर्थ स्थलों के खूबसूरती (पीआरएएसएडी) के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वाराणसी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 25 करोड़ बचतों को देखते हुए,इससे ₹ 20 का नकद प्रवाह होगा।

(ग) बहुस्तरीय पार्किंग और मंत्रालय के कार्यालय के निर्माण का व्यय उपलब्ध कराना (₹ 10 करोड़)। The supplementary grants are required for:

(a) providing additional funds under the schemes Tourism Circuits for North Eastern Areas (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

b) providing additional funds (i) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets to Central Agencies under the scheme Tourist Infrastructure (₹ 25 crore), (ii) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under Tourism Infrastructure Development for Qutub Shahi Project (₹ 10 crore) and (iii)Grants-in-aid General for Varanasi Project under National Mission for Beautifying Pilgrimage Centres (PRASAD)(₹ 10 crore).

Taking into account the savings of ₹ 25 crore available in the same section of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 20 crore.

meeting expenditure for construction of multi-level parking-cumoffice of the Ministry (₹ 10 crore); अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध ₹ 5 करोड़ की बचत की अभ्यप्रित राशि को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड में ₹ 5 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद उक्त व्यय से आगे कोई अतिरिक्त नगद खर्च नहीं होगा।

- (घ) अजंता एलौरा संरक्षण और पर्यटन विकास पिरयोजना संबंधी देय रकमों का निपटारा करना। (₹ 0.62 करोइ) अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत की सुपुर्दगी को ध्यान में रखने से उक्त व्यय से आगे कोई अतिरिक्त नगद खर्च नहीं होगा।
- Taking into account the surrender of savings of \ref{thmost} 5 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of \ref{thmost} 5 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) settlement of dues relating to Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project (₹ 0.62 crore);
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

` ' '		•	,				
					(4	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	3286.72		573.65	3860.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Ü	Total (Original plus Supplementary)		3286.74		573.66	3860.40
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	3286.73		573.66	3860.39
	-	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षीं के अंत	र्गत दिखाया :	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(क a)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(खb)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	-	Sports, Art and Culture					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02
	C						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (60.64 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) संनुनर जेल के रख-रखाव और वाइपर द्वीप के संरक्षण के लिए सिविल निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कला व संस्कृति के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (3.22 करोड़ रुपए)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रर्थित है।

- (a) meeting the additional expenditure towards Grants-in-Aids to Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (ANIMERS). (₹ 60.64 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement under Art & Culture to complete civil construction work for maintenance of Cellular Jail and conservation of Viper Island (₹ 3.22 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़	रुपये Rup	ees in	Crore,
--------	-----------	--------	--------

				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	598.47		308.96	907.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	29.50			29.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		628.00		308.96	936.96
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	627.97		308.96	936.93
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जा न्	येगाः	la a da	
		II. This Supplementary Grant will be account	intea for under t	ne rollowing आयोजना	g Major H	ıeaas: आयोजना-	जोड
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways					
3054 - सड़क और प्ल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	7.00	(क a)		7.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	22.50	(खb)	•••	22.50
कार्यक्रम	-	Programmes					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	29.50			29.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ग्रामीण सुलभताओं के रखरखाव और सुधार के लिए ₹ 17.50 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र की स्थलाकृति पहाड़ी और लहराती हुई छोटी है, इसलिए लगभग 550 किलोमीटर लम्बी सड़क के रखरखाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु ₹ 10.50 करोड़ की राशि राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरी की जाएगी और पूंजी भाग से ₹ 7 करोड़ जिसके लिए तकनीकी पूरक अपेक्षित है, उपर्युक्त व्यय से अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यपर्ण को देखते हुए, और अनुदान के उसी भाग में रखी बचतों के इस्तेमाल के बाद, उपर्युक्त व्यय के कारण कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) सूर्योदय आवास योजना के तहत 1000 मकानों के निर्माण के लिए लाभिर्थियों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹ 15 करोड़ की और स्वच्छ आंगन योजना के तहत 3750 संख्या के शौच ब्लाकों के निर्माण हेतु लाभार्थियों के वितीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 7.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि को पूरा करना।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यपर्ण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के कारण अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional requirement of ₹ 17.50 crore for maintenance and improvement of rural accessibilities and for maintenance of about 550 kms road since the topography of rural area is hilly and undulate. ₹ 10.50 crore will be met from the savings available under Revenue Section and ₹ 7 crore will be met from the savings available under Capital Section (for which technical supplementary is sought). The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting the additional requirement of ₹ 15 crore for providing financial assistance to beneficiaries for construction of 1000 No. of houses under Suryodaya Awaas Yojana and ₹ 7.50 crore for providing financial assistance to beneficiaries for construction of 3750 Nos. of toilets blocks under Swachch Aangan Yojna. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिये)

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	974.79	179.99		1154.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	•••		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		974.81	179.99		1154.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जाये	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for unde	r the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power					
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		0.01	(कa)	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	•••	0.01	(खb)	0.01
कार्यक्रम	-	Programmes					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.02		0.02
	•						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) लक्ष्यद्वीप वियुत विभाग से संबद्घ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोर्म (सीजीआरएफ) के अध्यक्ष और सदस्यों की परिलब्धियों के ₹ 0.07 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को सामान्य अनुदान सहायता के तहत पूरा करना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) सामान्य अनुदान सहायता के तहत ₹ 0.85 करोड़ का पंचायती राज संस्थान (पीआरआईएस) के स्वयं के फंड के रिक्योपमेंट को पूरा करना, जिसमें से वही राशि अप्रयीस बजट प्रावधान (₹ 0.85 करोड़) के कारण पिछले वर्ष पीआरआई से स्थानांतरित स्टॉफ के वेतन के भुगतान में प्रयोग की गई।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting the additional expenditure of ₹ 0.07 crore under Grantsin-aid General for the remuneration of the Chairperson and Member, Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) attached to the Lakshadweep Electricity Department
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement of ₹ 0.85 crore under Grants-in-aid General for the recoupment of the own fund of Panchayati Raj institution (PRI) from which the same amount was utilized during previous years for payment of salaries to staff transferred to PRIs due to insufficient budget provision (₹ 0.85 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

				राजस्व		पूंजी	जोड़
		LODIOWAL ODANT		Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:	0	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	66.77		115.00	181.77
	स्वीकृत:		Voted:	7448.41		9202.06	16650.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the					
अनुमान:		amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1000.00		1000.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8515.18		10317.06	18832.24
	भारित:		Charged:	66.77		115.00	181.77
	स्वीकृत:		Voted:	8448.41		10202.06	18650.47
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के 3 उ	नंतर्गत दिखार	ग जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco					
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	80.00	(कa)	•••	80.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	860.00	(खb)	•••	860.00
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	60.00	(गc)		60.00
सहायता अनुदान	Č	Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	1000.00		•••	1000.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
^ मृख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत:	6217 - Loans for Urban Development	Voted:	1000.00	(ঘd)		1000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2000.00	(44)	•••	2000.00
	₹417/t1.	· Carronally)	voleu.	2000.00			2000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्वच्छ भारत मिशन के कार्यनव्यन के लिए, विधानमंडल, प्रशासनिक और अन्य व्यय और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 80 करोड़)।
 - (ii) विरासत शहरों (एचआरआइडीएवाई) की स्कीम के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधानों को बनाने के लिए (₹ 200 करोड़)।
 - (iii) 100 स्मार्ट शहरों की स्कीम के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधानों को बनाने के लिए (₹ 280 करोड़)।
 - (iv) 500 शहरी पुर्नजीवन मिशन-500 निवास स्थान (एएमआरयूटी) के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत (₹ 89.74 करोड़)।

स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्प्रण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

 (i) administrative and other expenses and to meet expenditure in the UTs without legislature for urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 80 crore).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

- (ii) making provisions under new heads of accounts for the scheme of Heritage Cities (HRIDAY)(₹ 200 crore).
- (iii) making provisions under new heads of accounts for the scheme of 100 Smart Cities (₹ 280 crore).
- (iv) making provisions under new heads of accounts for the scheme of Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT) (₹ 89.74 crore).

Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (ख) (i) 'स्वच्छ भारत मिशन' स्कीम के शहरी घटक के तहत राज्यों को अन्दान (₹ 860 करोइ)।
 - (ii) 'उत्तर पूर्व क्षेत्र का शहरी विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत प्रावधान की वृद्धि' (₹ 125.12 करोड़)।

स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्प्रण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) 'स्वच्छ भारत मिशन' स्कीम के शहरी घटक के कार्यान्वयन के लिए(₹ 60 करोड़)।
 - (ii) 100 स्मार्ट शहरों की स्कीम का नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधान की वृद्धि (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 4 करोड़ और (अनुदान की) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मृजन के लिए ₹ 100 करोड़)।
 - (iii) शहरी पुर्नजीवन मिशन-500 निवास स्थान (एएमआरयूटी) स्कीम का नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधान की वृद्धि (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 7.50 करोड़ और अनुदान की पूंजीगत परिसम्पत्तियों की सुजन के लिए ₹ 85 करोड़)।

स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्प्रण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटिड को पासथू के जरिए सहायता प्रदान करने हेतु (₹ 750 करोड़)।
 - (ii) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन को पासश्रू के जिरए सहायता प्रदान करने हेत् (₹ 250 करोड़)।
 - (iii) 2015-16 की अनुदान मांगों में एमएच-4217 के तहत नागपुर मेट्रो को ऋण के वर्गीकरण का संशोधन दिखाया गया है (₹ 29.08 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, (₹ 1000 करोड़ का नकद देना होगा।

- (i) Grants to States under urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 860 crore)
- (ii) augmentation of provision under the scheme 'North East Region Urban Development Programme' (₹ 125.12 crore).

Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) Grants to UTs under urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 60 crore).
- (ii) augmenting provision under new heads of accounts for the scheme of 100 Smart Cities (Grants-in-aid General ₹ 4 crore and Grants for creation of Capital Assets ₹ 100 crore)
- (iii) augmenting provision under new heads of accounts for the scheme of Urban Rejuvenation Mission- 500 Habitations (AMRUT) (Grants-in-aid General - ₹ 7.50 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹ 85 crore)

Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) (i) providing Pass Through Assistance to Chennai Metro Rail Limited (₹ 750 crore)
 - (ii) providing Pass Through Assistance to Bangalore Metro Rail Corporation(₹ 250 crore)
 - (iii) correction of the classification of Loans for Nagpur Metro which was shown under MH-4217 in the Demands for Grants 2015-16 (₹ 29.08 crore).

After utilising the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1000 crore.

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

· 1 0		Ź		,		(करोड रुपर्य	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	,	जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.80		1.00		1.80
	स्वीकृत:		Voted:	1591.28		749.76		2341.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	17.65		0.01		17.66
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1609.73		750.77		2360.50
	भारित:		Charged:	0.80		1.00		1.80
	स्वीकृत:		Voted:	1608.93		749.77		2358.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for und	er the follow	wing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:	17.65	(ক a)			17.65
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:			0.01	(खb)	0.01
पूंजी परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	17.65		0.01		17.66
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हे	त् अपेक्षित है	The sup	oplementary o	grants are re	equired fo	r:		

- सीपीडब्ल्डी प्रशिक्षण संस्थान के वेतन और स्थापना से संबंधित व्यय (₹ 9.42 करोड़)
 - निर्माण लेखा का कार्यान्वयन (₹ 8.23 करोड़)। अन्दान के पूंजी भाग में अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्य्क्त खर्च में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- आईजोल, मिजोरम में जनगणना भवन निर्माण से संबंधित प्रतिबद्ध देयताओं (ख) के लिए (₹ 1.20 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक की पूरक अपेक्षित है।

- salary and establishment related expenditure (₹ 9.42 crore) for CPWD Training Institute
 - implementation of Nirman lekha (₹ 8.23 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting committed liabilities in connection with construction of census building at Aizwal, Mizoram(₹ 1.20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	भारित:		Charged:			1.10	1.10		
	स्वीकृत:		Voted:	6235.21		144.72	6379.93		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount							
अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		60.25	60.28		
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		6235.24		206.07	6441.31		
	भारित:		Charged:			1.10	1.10		
	स्वीकृत:		Voted:	6235.24		204.97	6440.21		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:			
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01		
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01	(खb)		0.01		
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)		0.01		
		Governments							
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03			0.03		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
4701 - वृहत और मध्यम सिंचाई पर	स्वीकृत:	4701 - Capital Outlay on Major and	Voted:	6.25	(घd)	•••	6.25		
पूंजी परिव्यय		Medium Irrigation							
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	Voted:	54.00	(ਤ _ੌ e)	•••	54.00		
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	60.25			60.25		
. 10									

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) "त्विरत सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी जाने वाली पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 29 करोड़।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) नदी बेसिन प्रबंध स्कीम को जल संसाधन विकास स्कीम के निरीक्षण के तहत सामान्य अनुदान प्रदान करना (₹ 44 करोड़)।
 - (ii) प्रयोगशाला उपकरण की खरीद, प्रयोगाशाओं/बिल्डिगों के नवीकरण और जारी निर्माण कार्यों के लिए अनुसंधान और विकास कार्क्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट आप हाइड्रोलोजी को सामान्य सहायता अन्दान उपलब्ध कराना (₹ 16.35करोड़)।

- (a) Grants-in-aid for creation of Capital Assets (₹ 29 crore) to North Eastern Area under "Accelerated Irrigation Benefit & Flood Management Programme".
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) providing Grants-in-aid general under Investigation of Water Resources Development component of the River Basin Management Scheme (₹ 44 crore)
 - (ii) providing Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology under Research and Development Programme for procurement of lab equipment, renovation of labs/buildings and for other ongoing works.

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) ब्लाक अनुदान संघटक के तहत पूंजी आस्तियों के मृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 96.80 करोड़) और "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" को जनजातीय उपयोजना सं (₹ 172.20 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, तापीय वितरण के लिए नदी इंजीनियरिंग समूह के लिए हैंगर के निर्माण के लिए के.लो.नि.वि. के जरिए निधियां जारी करना (₹ 6.25 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ङ) डीजीएस एण्ड डी के जरिए रिग्स खरीद हेतु भू-जल प्रबंधन एवं विनिमय स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना (₹ 54 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(₹ 16.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- c) Grants-in-aid for creation of Capital Assets under Block Grant component (₹ 96.80 crore) and Tribal Sub Plan Component (₹ 172.20 crore) of "Accelerated irrigation Benefit & Flood Management Programme".
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) releasing funds under Research and Development Programme for construction of Hanger for River Engineering Group for Thermal dispersion through CPWD (₹ 6.25 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - releasing funds under Ground Water Management and Regulation Scheme for procurement of rigs through DGS&D (₹ 54 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 137 देखिये)

(See page 137 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(See page 137 of the Deman		•		,				
						(करोड़ रुप	es in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	10382.40				10382.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	4000.03				4000.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14382.43				14382.43
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिर	<u> </u>	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted fo	r under the f	ollowing	Major Heads	:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan		
• •	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(कa)	Non-Plan 0.01	(खb)	0.02
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	0.01	(क a)		(खb)	0.02
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	0.01	(कa) (गc)		(खb)	0.02
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		MAJOR HEAD 2235 -Social Security and Welfare			` ,	0.01	(खb)	
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2235 -Social Security and Welfare 2552 -North Eastern Areas	Voted:	400.00	(गc)	0.01	(खb)	400.00
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2235 -Social Security and Welfare 2552 -North Eastern Areas 3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	400.00	(गc)	0.01	(खb)	400.00
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2235 -Social Security and Welfare 2552 -North Eastern Areas 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	400.00 3600.00	(गc) (घd)	0.01	(खb)	400.00 3600.00
मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2235 -Social Security and Welfare 2552 -North Eastern Areas 3601 -Grants-in-aid to State Governments 3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	400.00 3600.00	(गc) (घd)	0.01	(खb)	400.00 3600.00

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) एक स्टाफ सेन्टर स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक स्टाफ केन्द्र का निर्माण (₹ 0.80 करोड़)।
 - (ii) बेहटा (बिहार) एवं मोहाली (पंजाब) में दो नए क्षेत्रीय केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए जन सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹ 25 करोड़)।
 - (iiii) व्रिंदावन में विधवाओं के आश्रय घर के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 10 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) सामान्य सहायता अनुदान अतिरिक्त राशि के रूप में प्रतिबद्धित देयताओं जैसे महंगाई सहायता ग्रैचुटी, छुट्टी नकदीकरण और मौजूदा वितीय वर्ष के दौरान रिटायर हुए स्टाफ की पेंशन का संराशीकृत मूल्य, (₹ 2.50 करोड़) और वर्तमान वर्ष के लिए 23 खाली पदों को भरने हेतु और प्रतिबद्ध देयताए जैसे मंहगाई भता, वार्षिक वृद्धि के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹ 4.50 करोड़)।
 - (ii) केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के लिए अतिरिक्त राशि, सामान्य सहायता अनुदान के रूप में, प्रतिबद्ध देयताओं के

- (i) construction of one stop centres in the States/Union Territories under the Scheme One Stop Centre (₹ 0.80 crore)
- (ii) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD for Creation of Capital Assets, for construction of building of two new Regional Centres at Behta (Bihar) and Mohali (Punjab) (₹ 25 crore).
- (iiii) an additional amount for Shelter Home for Widows at Vrindavan (₹ 10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) National institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)- An additional amount as Grant in Aid General for committed liabilities like dearness relief, gratuity, leave encashment and commuted value of pension (₹ 2.50 crore) and as Grant in Aid Salary for committed liabilities like DA, annual increment, and filling up of 23 vacant posts., for the current year (₹ 4.50 crore).
- (ii) for Central Social Welfare Board (CSWB): An additional amount as Grant in Aid General for committed liabilities

लिए जैसे मंहगाई सहायता, ग्रैचुटी, छुट्टी भुनाना और मौजूदा वितीय वर्ष के दौरान रिटायर हुए स्टाफ की पेंशन के संराशीकृत मूल्य हेतु (₹ 4.41 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹ 0.75 करोड़), (ii) िकशोरावस्था बािलकाओं के संशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) (₹ 18 करोड़) और (iii) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹ 382 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं (₹ 400 करोड़) होगा।

- (घ) निम्निलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹ 3218 करोड़), (ii) राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹ 5.59 करोड़), (iii) िकशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेतु (₹ 382 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद
- नहीं देना (₹ 3600 करोड़) होगा। (ङ) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत दिल्ली और पुडुचैरी में वन स्टाप सेन्टरों के

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

निर्माण के लिए (₹ 0.40 करोड़), (ii) किशोरावस्था बालिकाओं के

सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेत् (₹ 14.48 करोड़)।

like dearness relief, gratuity, leave encashment and commuted value of pension (₹ 4.41 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) construction of one stop centres in the North Eastern States under the Scheme One Stop Centre (₹ 0.75 crore), (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 18 crore) & (iii) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 382 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 400 crore
- (d) meeting expenditure for (i) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 3218 crore), (ii) construction of one stop centres in the States (₹ 5.59 crore), (iii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 382 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3600 crore.
- (e) for (i) construction of one stop centres in Delhi and Pudducherry under the Scheme one Stop Centre(₹ 0.40 crore), (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 14.48 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 109

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 138 देखिये)

(See page 138 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1540.23		0.90		1541.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.05				0.05
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1540.28		0.90		1541.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिर	बाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for	under the f	ollowing	Major Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)			0.01
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.02		0.05

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना i)निम्नांकित के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अन्तर्गत कामनवेल्थ युवा यात्रियों की बैठक का आयोजन, ब्रिक्स युवा सम्मेलन तथा अन्य युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रूस यात्रा (₹ 2 करोड़), ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत वेतन, चिकित्सा, अभिमुखीकरण तथा अनुसंधान केन्द्रों को भुगतान हेतु (₹ 10.50 करोड़), iii) विभिन्न कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए नेहरु युवा केन्द्र संगठन की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़), iv) हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान विभाग, जवाहर माउंटेनियरिंग संस्थान, प्रवासी भारतीय दिवस की शेयर मनी के भुगतान हेतु राष्ट्रीय युवा एवं प्रौढ़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़), v) विभिन्न कार्यकलापों के लिए राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 11 करोड़) और vi) डोप कन्ट्रोल किट्स, एन्टी डोपिंग एवेयरनेस आदि के लिए नेशनल एन्टी डोपिंग एजेंसी विषयक स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) i) कामनवेल्थ सचिवालय अंशदान/प्रतिबद्धता, एशिया क्षेत्रीय केन्द्र 2013-15 तथा 2014-15 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 2.50 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ तथा The supplementary grants are required for:

meeting additional requirements towards i)organizing Commonwealth Youth Ministers Meet, visit of Indian Delegations to Russia to participate BRICS Youth Summit and other Youth Exchange Programmes under the Scheme of International Co-operation in connection with (₹ 2 crore), ii) To make payment of Salary, Medical, Reorientation and Research Centres etc under the National Service Scheme(₹ 10.50crore)iii) GIA General under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for various programme activities(₹ 25 crore, iv) GIA General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for making payment of share money of the Deptt. Of Himalayan Mountaineering Instt., Jwahar Instt. Of Mountaineering, Pravasi Bhartiya Divas, etc.(₹ 9 crore), v) GIA General under the Scheme of Rajiv Gandhi Khel Abhiyan for various programme activities (₹ 11crore) and vi) GIA General under the Scheme of National Anti Doping Agency for purchase of Dope control Kits, conducting of Anti-doping Awareness etc (₹ 1.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional requirement towards i) contribution/commitment to the Commonwealth Sectt, Asia Regional Centre for the years 2013-14 & 2014-15 to meet the liabilities (₹ 2.50 crore) and (ii) For क्षेत्रीय केन्द्रों के स्टाफ के वेतन भ्गतान हेत् (₹ 1.08 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) निम्निलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना i) असम में पूर्वोत्तर युवा महोत्सव के लिए राष्ट्रीय युवा एवं प्रौढ़ विकास कार्यक्रम की स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) तथा ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में कार्यक्रम विषयक कार्यकलापों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है
- (ङ) संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएस राज्य सम्पर्क कार्यालय की देयताओं को पूरा करने की राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है

making payment of salary to staff of Prog. Advisory Cells and Regional Centres under the National Service Scheme (₹ 1.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirements towards i)GIA General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for conducting North East Youth Festival in Assam (₹ 2 crore) and ii) Grants for creation of Capital Assets in various States under the Scheme of Urban Sports Infrastructure (₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting additional requirement towards GIA General under the National Service Scheme, for conduction programme activities in UT Govts. (₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) meeting additional requirement towards GIA General under the National Service Scheme for meeting liability towards NSS State Liaison Office in UTs (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध

वर्ष 2014-15 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। (करोड़ रुपए)

		(कराड़ रुपए) 							
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान 2014-15	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां				
1	2	3	4	5	6				
1.	संस्कृति मंत्रालय	एम एच 2205 1. ललित कला अकादमी, नई दिल्ली 2205.00.102.03.03.31	1.50(आयो.)		पेंशन, अनुबंधित स्टाफ को वेतन और आम रख-रखाव के भृगतान हेत्				
		2. केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी 2205.00.102.03.03.31	2.70(आयो.)	0.85	बिजली, पट्रोल/डीजल बिल के भुगतान हेतु				
		 केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी 2205.00.102.03.05.36 	11.00(आयो.)	3.00	अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु				
		2205.00.102.03.05.36	1.00 (यो.)	1.00	नए भर्ती कर्मचारियों को भुगतान हेतु;				
		4. एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता 2205.00.102.03.07.31	1.00(आयो.)	0.60	बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भुगतान हेतु				
		5. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली 2205.00.102.03.09.31	1.02(आयो.)	0.30	बिजली, जल प्रभारों के भुगतान, पेंशनभोगियों व सीजीएचएस आदि को अंशदान				
		6. केन्द्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहुंग 2205.00.102.03.15.31	0.33(आयो.)	0.43	प्रशासनिक खर्च पूरा करने हेतु				
		7. राष्ट्रीय भारतीय पुरातत्व 2205.00.104.01.03.13	3.16(आयो.)	1.00	नई दिल्ली नगर परिषद के बिजली/पानी बिलों के भुगतान के लिए प्रतिफल को पूरा करने हेतु।				
		2205.00.104.01.03.14	0.10(आयो.)	1.20	किराया, दरों व करों के भुगतान हेतु				
		2205.00.104.01.03.20	0.20(आयो.)	0.05	केंटीन स्टाफ आदि को वेतन के भुगतान हेतु				
		8. दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, दिल्ली 2205.00.105.02.01.31	1.80(आयो.)	5.20	पेंशनभोगियों को पेंशन, मृत्यु मामले में टर्मिनल लाभों, सीजीएचएस, अंशदान, किराया और करों, बिजली, पानी बिलो आदि के भुगतान के लिए				
		9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.01.03.14	1.00(आयो.)	0.25	भूमि/आवास स्वामियों को आवास किराए पर देने के लिए किराए के भुगतान हेतु				

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2014-15.

			(Rupe	es in Crore)		
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2014-15	Amount of Re-appro- priation	Remarks	
1	2	3	4	5	6	
2.	Ministry of Culture	MH 2205 1. Lalit Kala Akademi, New Delhi 2205.00.102.03.03.31	1.50 (N	IP) 3.00	For payment of Pension, salary to contractual staff and for normal maintenance.	
		2. Central University of Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.31	2.70 (N	(IP) 0.85	For payment of electricity, petrol/diesel bill.	
		3. Central University of Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.36	11.00 (N	(IP) 3.00	For payment of salaries to its employees.	
		2205.00.102.03.05.36	1.00 ((P) 1.00	For payment to newly recruited employees.	
		4. The Asiatic Society, Kolkata 2205.00.102.03.07.31	1.00 (N	(IP) 0.60	For payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes, bills, etc.	
		5. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi 2205.00.102.03.09.31	ew Delhi	IP) 0.30	For payment of electricity, water charges, contribution to pensioners and CGHS, etc.	
		6. Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung 2205.00.102.03.15.31	0.33 (N	(IP) 0.43	For meeting administrative expenses	
		7. National Archives of India 2205.00.104.01.03.13	3.16 (N	TP) 1.00	For meeting committed expenditure for payment of electricity/water bills of New Delhi Municipal Council.	
		2205.00.104.01.03.14	0.10 (N	TP) 1.20	For payment of rent, rates and taxes.	
		2205.00.104.01.03.20	0.20 (N	(IP) 0.05	For payment of salaries to Canteen Staff, etc.	
		8. Delhi Public Library, Delhi 2205.00.105.02.01.31	1.80 (N	TP) 5.20	For payment of pension to pensioner, terminal benefits in death cases, CGHS, contribution, payment of rent & taxes, electricity, water bills, etc.	
		9. Archaeological Survey of India 2205.00.106.01.03.14	a 1.00 (N	(IP) 0.25	For payment of rent to land/house owners for hires accommodation.	

	(करोड़ रुपए)					
2	3	4	5	6		
	 सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ 2205.00.107.03.01.06 	0.09(आयो.)	0.04	स्टाफ सदस्यों के परिवारों के गंभीर मामल के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान हेत्		
	11. सलारजंग म्युजियम, हैदराबाद 2205.00.107.04.00.31	0.05(आयो.)	0.95	सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु		
	12. विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता 2205.00.107.05.00.31	0.80(आयो.)	0.90	कोलकाता नगर निगम को पानी और बिजर्ल प्रभारों, किराया चुकौती आदि के भुगतान हेतु		
	13. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल 2205.00.107.06.00.31	1.15(आयो.)	0.32	आकस्मिक व्यय, बिल्डिंग, इंडोर गैलर्र और पेंशन के भुगतान के लिए		
	14. नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय, नई दिल्ली 2205.00.107.08.00.31	1.70(आयो.)	2.00	आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु		
	15. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण					
	2205.00.106.01.03.13	2.50 (यो.)	1.00	कार्यालय कांप्लैक्स के बिजली बिलों वे भुगतान हेतु		
	2205.00.106.01.03.16	13.00 (यो.)	4.30	सरकारी प्रैस, नासिक को मुद्रण और विभिन् टिकट वाले संरक्षित अनुस्मारकों/स्थले संग्रहालयों आदि के लिए विशेष निर्मि आम प्रवेश टिकट की आपूर्ति के भुगता हेतु		
	2205.00.106.99.00.13	3.50 (यो.)	1.50	सात पुरातत्व स्थल संग्रहालयों पर जत सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के कार्यान्वयन/लगाने ई-उपस्थिति और अन्य आईटी मदों व खरीद के लिए		
	2205.00.106.02.03.28	48.50 (यो.)	17.15	विभिन्न संरक्षित स्मारको/स्मारक स्थाने संग्रहलयों आदि पर तैनात सीआईएसएफ सशस्त्र पुलिस गार्ड, होम गार्ड/निजी सुरक्ष कार्मिकी के वेतनों के भुगतान के लिए।		
	एम एच 3601 16. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण					
	3601.01.203.01.00.31	0.20(आयो.)	0.50	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारिय आदि को वेतन के भुगतान हेतु		

		· · ·		Rur	ees in Cr	ore)
1	2	3	4	(Trup	5	6
1		10. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow	4			U
		2205.00.107.03.01.06		(NP)	0.04	For payment of pending medical bills of serious cases of the families of staff members.
		11. Salarjung Museum, Hyderabad 2205.00.107.04.00.31		(NP)	0.95	For payment of retirement benefits.
		 Victoria Memorial Hall, Kolkata 				
		2205.00.107.05.00.31	0.80	(NP)	0.90	For payment of Kolkata Municipal Corporation on account of water and electricity charges, rent payment, etc.
		13. Indira Gandhi Rashtriya				
		Manav Sangrahalaya, Bhopal 2205.00.107.06.00.31	1.15	(NP)	0.32	To meet contingency expenditure, building, indoor gallery and payment of pension.
		14. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi				
		2205.00.107.08.00.31	1.70	(NP)	2.00	For payment of contingent expenditure.
		15. Archaeological Survey of India				
		2205.00.106.01.03.13	2.50	(P)	1.00	For payment of electricity bills of Office Complex.
		2205.00.106.01.03.16	13.00	(P)	4.30	For payment to GOI Press, Nasik towards printing and supply of specially designed common entry tickets for various ticketed protected monuments/sites/museums, etc.
		2205.00.106.99.00.13	3.50	(P)	1.50	To implement/deploy the Jatan Software/hardware at seven Achacological Site Museums, procurement of e-attendance and purchase of other IT items.
		2205.00.106.02.03.28	48.50	(P)	17.15	For payment of of salaries to the CISF, Armed Police Guards, Home Guards/Private Security personnel deployed at various protected monuments/monumental sits/museums, etc.
		MH 3601 16. Archaeological Survey				
		of India 3601.01.203.01.00.31	0.20	(NP)	0.50	For payment of salaries to the Registering Officers and their supporting staff, etc. for implementation of the Antizuities and Art Treasures Act, 1972
		(P)- Plan (NP)- Non-Plan				and Art Treasures Act, 1972

_			(करोड़	रुपए)	
1	2	3	4	5	6
2.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण	3601.01.104.09.00.31-सड़कों व सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान [(सहायता अनुदान (सामान्य)]	5665.00	290.90	2012-13 व 2013-14 के पूर्व वित्त वर्षों के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू व तेलगाना राज्यों को प्रतिबद्ध निधियों जारी करने हेतु।
		3601.02.101.27.00.35-राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कार्य योजना (पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	50.00	0.88	सं.अ. 2014-15 के बाद अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों हेतु धन की जरूरत पूरी करने हेतु।
		3601.02.101.49.00.35-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	1180.00	1276.30	आन्ध्र प्रदेश राज्य में नई पूंजी में राजभवन, एसेंबली आदि के निर्माण और आंघ्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संसाधन अंतराल को पाटने हेतु अतिरिक्त निधियों की जरूरत पूरी करने हेतु।
		3601.02.101.49.00.35-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	1180.00	600.00	सं.अ. 2014-15 में अनुमानित रूप में नई पूंजी आदि के निर्माण के लिए आंघ्र प्रदेश राज्य हेतु अतिरिक्त निधियों की जरूरत पूरी करने हेतु।
3.	भारी उद्योग विभाग	6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. (एचएमटी) को ऋण	0.00	118.18	एचएमटी के कर्मचारीयों के बकाया वेतन, पारिश्रमिक व संविधिक देयों के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी और वेतन में विभेदक के लिए ऋण और अग्रिम(1997 वेतन संशोधन)।
		2852.08.215.10.00.31 हिंदुस्तान पेपर कारपो. लिमि. (कचार पेपर मिल्स) को सामान्य सहायता अनुदान	70.00	198.56	एचपीसी की ईकाई, कचार पेपर मिल के परिवहन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त प्रचालन लागत पूरी करने हेतु व्यय में बढ़ोत्तरी के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
4.	मानव संसाधन विकास मत्रालय विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202-आम शिक्षा (मुख्य शीर्ष) 01-प्राथमिक शिक्षा (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनु. जाति हेतु विशेष घटक आयोजना (गौण शीर्ष) 03-विद्यालयों में मिड डे मील राष्ट्रीय कार्यक्रम (उप-शीर्ष) 03.01.31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	50.00	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की घूर्णन निधि में बढ़ोत्तरी हेतु।
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3054 सड़क व सेतु (मुख्य शीर्ष) 80 सामान्य (उप शीर्ष) 80.004 अनुसंधान एवं विकास (उप शीर्ष)			
		01 राजमार्ग अनुसंधान 01.04 अन्य प्रशिक्षण संगोष्ठी 01.04.20 अन्य प्रशासनिक व्यय	1.00	2.00	शीर्ष के तहत एईई में नए आए लोगों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अतिरिक्त मांग व कुछ अन्य कार्यों के लिए प्राप्त बिलों के लिए अतिरिक्त मांग

			(1	Rupees in Cro	ore)
1	2	3	4	5	6
2.	Transfers to State and Union Territory Governments	3601.01.104.09.00.31-Grants-in- aid for Maintenance of Roads and Bridges (Grants-in aid General)	5665.00	290.90	For release of committed funds to the States of Andhra Pradesh, Tami Nadu and Telangana pertaining to the previous financial years of 2012-13 & 2013-14.
		3601.02.101.27.00.35-National e-Government Action Plan (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	50.00	0.88	To meet requirement of funds for approved projects/proposals beyond RE 2014-15.
		3601.02.101.49.00.35-Other Additional Central Assistance (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	1180.00	1276.30	To meet requirement of additional funds towards Grants for construction of Raj Bhavan. Assembly etc. in new Capital of Andhra Pradesh and to bridge the resource gap, for the financial year 2014-15 in accordance with Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014
		3601.02.101.49.00.35-Other Additional Central Assistance (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	1180.00	600.00	To meet requirement of additional funds for the State of Andhra Pradesh for construction of new capital, etc. as estimated in RE 2014-15.
	Department of Heavy Industry	6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	118.18	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages & statutory dues to the employees of HMT and for towards differential in salary (1997 pay revision).
		2852.08.215.10.00.31 Grants-in-Aid General to Hindustan Paper Corporation Ltd. (Cachar Paper Mills)	70.00	198.56	Grants-in-Aid General to augment the expenditure for meeting additional operational cost or account of transport subsidy to Cachar Paper Mills, a unit of HPC
	Ministry of Human Resource Development. Department of School Education & Literacy	2202-General Education (Major Head) 01-Elementary Education (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Caste (Minor Head) 03-National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub-Head) 03.01.31-Grants-in-aid General	0.00	50.00	For augmenting the revolving funds of Food Corporation of India (FCI).
	Ministry of Road Transport and Highways	Research and Development 3054 Roads & Bridges (Major He 80 General (Sub MH) 80.004 Research and Development (Minor Head) 01 Highways Research 01.04 Other Training Seminar 01.04.20 Other Administrative Expenses		2.00	Additional demand for training programmes for newly joined AEE and bills received for some other

work under the head.

84 अनुद	अनुदानों की पूरक मांगें 2015-2016 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS							
		(करोड़	रुपए)					
12	3	4	5	6				
	3602 संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02 संघ राज्य क्षेत्र आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप शीर्ष) 02.105 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान (गौण शीर्ष) 02 पांडिचेरी में सड़क 02.00.35 पूंजीगत आस्तियों के			पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र हेतु स्वीकृत अतिरिक्त				
	सृजनार्थ अनुदान	4.23	11.21	निर्माण कार्य				
	3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 03 केंद्रीय आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मु. शीर्ष) 03.821 कार्य नीतिक और सीमा सड़क - सड़क कार्य (गौण शीर्ष) 02 बीआरडीबी के तहत सड़क निर्माण							
	02 बाजारडाबा के तहत संबंध गिनाण कार्य							
	02.00.35 पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	50.00	5.00	स्कीम के तहत लिखित बिलों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधि अपेक्षित है ।				
	कुल	55.23	18.21					
6. पोत परिवहन मंत्रालय	3602 संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02 संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप शीर्ष) 02.903 घटाएं केंद्रीय सड़क निधि से राशि (गौण शीर्ष) 01 संघ राज्य क्षेत्रों से सड़कों हेतु अनुदान 01.00.70 घटाएं वसूलियां 3051 बंदरगाह और प्रकाश गृह (मुख्य शीर्ष) 03 प्रकाश गृह और प्रकाशपोत (उप-मुख्य शीर्ष) 03.101 प्रकाश गृह - कार्यशील खर्च (गौण शीर्ष)		11.21					
	01 प्रबंधन			विलंब शुल्क से बचने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी				
	01.00.13 कार्यालय व्यय 3051 (योजना)	6.50	0.47	मंत्रालयों को स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान अधिक कर्मचारियों द्वारा आशा से अधिक एफएसपी/एलटीसी लेने के लिए				

	(Rupees in Crore)				
1 2		3	4	5	6
1 2		3602 Grant in aid to UT Govts. (Major Head)	7		<u> </u>
		02 Grants for UT Plan Schemes (Sub MH)			
		02.105 Grants from Central Road Fund (Minor Head) 02 Roads in Puducherry			
		02.00.35 Grants for creation of Capital Assets	4.23	11.21	Additional works sanctioned for UT of Puducherry.
		3601 Grants in aid to State Govt. (Major Head)			
		03 Grant for Central Plan Schemes (Sub MH)			
		03.821 Strategic & Border Roads - Road Works (Minor Head) 02 Road Works under BRDB			
		02.00.35 Grants for creation of Capital Assets	50.00	5.00	Additional fund required to clear the pending bills under the Scheme.
		Total	55.23	18.21	
		Deduct Recoveries 3602 Grant in aid to UT Govts. (Major Head) 02 Grants for UT Plan Schemes (Sub MH) 02.903 Deduct Amount met from Central Road Fund (Minor Head 01 Grants for Roads in UTs 01.00.70 Deduct Recoveries)	11.21	
Ministry of	Shipping	3051 Ports and Light Houses (Major Head) 03 Light Houses and Light Ships (Sub-Major Head)			
		03.101 Light Houses-Working expenses (Minor Head) 01 Management			Payment of spectrum charges to
		01.00.13 Office Expenses	25.00	4.0	Ministry of IT to avoid late fee.
		Ports and Light Houses (Major Head) O2 Minor Ports (Sub Major Head) O2.001 Direction & Administration (Minor Head)			
		01 Establishment Charges in respect of CE-cum-Administrator Office	:		
		at Port Blair & New Delhi 01.00.01 Plan Salaries	6.50	0.47	For availing of FSP/LTC by more employees than expected.
		3051 (Non-Plan) Ports and Light Houses (Major Head) 02 Minor Ports (Sub Major Head) 02 001 Direction & Administration			

02.001 Direction & Administration

(Minor Head)

86	अनुदानों की पूरक मांगें 2015-2016 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए)						
1 2	2	•	रु <i>पए</i>) 5	<u> </u>			
12		4		6			
	संबंध में स्थापना प्रभार 01.00.01 गैर आयोजना वेतन	15.40	0.20	अधिक कर्मचारियों द्वारा आशा से अधिक एफएसपी/एलटीसी लेने के लिए			
	3451 सचिवालय आर्थिक सेवा (मुख्य शीर्ष)						
	00.090 सचिवालय (गौण शीर्ष) 58 जहाजरानी मंत्रालय 58.01.16 प्रकाशन	0.15	0.05	लंबित मुद्रण बिलों के कारण खर्च पूरा करने के लिए			
	2852 उद्योग (मुख्य शीर्ष) 16 ई-शासन (उप मुख्य शीर्ष) 16.99 सूचना प्रौद्योगिकी (गौण शीर्ष)	3.10	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	16.99.50 अन्य प्रभार	0.50	0.49	मंत्रालय व संगठनो में कांफ्रेस नेटवर्किंग लगाने हेतु एमआईसीएसआई को भुगतान के लिए।			
7. महिला और बाल विकास मंत्रालय	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मुख्य शीर्ष) 02-सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 41-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 41.00.20-अन्य प्रशासनिक	0.00	26.00	कोष का नए सृजित शीर्ष में पुनर्विनियोजन किया गया।			
	3601-राज्य सरकारों की अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष) 03-केन्द्र नियोजित स्कीमों के लिए अनुदान 358-सामाजिक कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष) 02-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन						
	02.00.31 -सामान्य अनुदान सहायता	0.00	13.24				
	जोड़	0.00	39.24				
	3601-राज्य सरकारों की अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य नियोजित स्कीमों के लिए अनुदान 358-सामाजिक कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष) 01-एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आईसीपीएस) 01.00.31-सामान्य अनुदान सहायता (योजना)	261.22	49.50	स्कीम (आईसीपीएस) के अन्तर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कोष हेतु कोष का पुनःविनियोजन किया गया ।			
	3602-संघ शासित सरकारों के लिए अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष) 02-संघ राज्य क्षेत्र की आयोजित स्कीमों के लिए अनुदान 358-समाज कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष)						

	3 W	नों की पूरक मांगें 2015-2016 SUPPLEMEN			
		2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	upees in Cr	<u> </u>
1	. 2	3	4	5	6
		01 Establishment Charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair & New Delhi 01.00.01 Non-Plan Salaries	15.40	0.20	For availing of FSP/LTC by more employees than expected.
		3451 Secretariat Economic Service (Major Head) 00.090 Secretariat (Minor Head) 58 Ministry of Shipping 58.01.16 Publication	0.15	0.05	To meet the expenses on account of pending printing bills.
7.	Ministry of	2852 Industries (Major Head) 16 E-Governance (Sub Major Head) 16.99 Information Technology (Minor Head) 16.99.50 Other Charges 2235-Social Security &	0.50	0.49	For payment to NICSI for installation of Video Conferencing Network in Ministry and organizations.
•	Women and Child Development	Welfare (Major Head) 02-Social Welfare 102-Child Welfare 41-Beti Bachao Beti Padhao Campaign 41.00.20-Other Administrative Expenses	0.00	26.00	Funds were re-appropriated in newly created heads.
		3601-Grants-in aid to State Government (Major Head) 03-Grants for Central Plan Schemes 358-Social Welfare Child Welfare (Minor Head) 02-Beti Bachao Beti Padhao Campaign			
		02.00.31 -Grants-in aid General	0.00	13.24	
		Total	0.00	39.24	
		3601-Grants-in aid to State Government (Major Head) 02-Grants for Central Plan Schemes 358-Social Welfare Child Welfare (Minor Head) 01-Integrated Child Protection Scheme (ICPS) 01.00.31-Grants-in-aid General (Plan)	261.22	49.50	Funds were re-appropriated for the additional funds required for States/UTs under the scheme (ICPS).
		3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head) 02-Grants for Union Territory Plan Schemes 358-Social Welfare Child			

Welfare (Minor Head)

		(करोड़ रुपए)						
1	2	3	4	5	6			
		01 -एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आईसीपीएस)						
		01.01-सामान्य सेवाएं						
		01.01.31-सामान्य (नियोजित)						
		सहायता अनुदान						
		(ब.अ.: रुपए ४००.०० करोड़)	15.19	0.50				
		कुल	276.41	50.00				
		2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण(मुख्य शीर्ष) 02-सामाजिक कल्याण	3.80	1.80	फंड को यूनिसेफ से अंशदान के लिए विनियोग किया गया जो भारत सरकार द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है।			
		02.798 -अन्तरराष्ट्रीय सहयोग 01- यूनिसेफ को अंशदान 01.00.32 -अंशदान (गैर नियोजित) (ब.अ.: रुपए 3.80 करोड़)						
		2251-सिववालय-समाज सेवाएं(मुख्य शीर्ष) 00-उप शीर्ष 090-सिववालय(लघु शीर्ष) 13-महिला और बाल विकास मंत्रालय 01-स्थापना 13.01.14-किराया दर और कर योजना-भिन्न (ब.अ.: रुपए 0.45 करोड़)	0.45	5.47	मंत्रालय के दखल वाले स्थान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के भुगतान के लिए किराया दशें और करों के अन्तर्गत निधियों को पुर्नविनियोजित किया गया था।			

		(Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6
		01-Integrated Child Protection Scheme (ICPS) 01.01-General Component 01.01.31-Grants-in-aid General (Plan)			
		(BE: Rs.400.00 crore)	15.19	0.50	
		Total	276.41	50.00	
		2235-Social Security & Welfare (Major Head) 02-Social Welfare 02.798-International Cooperation 01-Contribution to UNICEf 01.00.32-Contributions (Non Plan) (B.E: Rs. 3.80 crore)	3.80	1.80	The funds were re-appropriated to Contribution to UNICEF which is a international commitment announced by the Government of India.
		2251-Secretariat-Social Services (Major Head) 00-Sub Major Head 090-Secretariat (Minor Head) 13-Ministry of Women and Child Development 01-Establishment 13.01.14-Rent Rates and Taxes (Non-Plan) (BE: Rs.0.45 crore)	0.45	5.47	The funds were re-appropriated under Rent Rates and Taxes for payment of rent to LIC for the space occupied by the Ministry.